सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन

ANNUAL REPORT

2019-2020



तटीय जलकृषि प्राधिकरण

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

5वीं मंजिल, पषुपालन और मत्स्यपालन इंटीग्रेटिड ऑफिस कॉम्पलेक्स
वेट्रिनरी हॉस्पिटल रोड, फानेपेट, नंदानम, चेन्नई–600003
वेबसाइट: http://www-caa-gov-in



प्रकाशित द्वारा

सदस्य सचिव,
तटीय जलकृषि प्राधिकरण

संकलन और संपादन

कृपा वसंत
एंटॉनी जेवियर .ए
कनकसाबपति .डी
प्रिया .जी
रमेश कुमार .एस

मुद्रित द्वारा

विषय–सूची

	प्रस्तावना	5
	कार्यकारी सारांश	7
1	सीएए के बारे में	11
	2019–20 के दौरान प्राधिकरण की संरचना	12
	प्राधिकरण के लक्ष्य और उद्देश्य	15
	प्राधिकरण की शक्तियां और कार्य	15
	भारत में एसपीएफ लिटोपेनेयुसवन्नामी कल्चर का विनियमन	17
	एंटीबायोटिक मुक्त इनपुट का प्रमाणन	18
2	लक्ष्य और प्रदर्शन	21
	वार्षिक लक्ष्य और प्रदर्शन	21
3	प्राधिकरण बैठकें	25
	प्राधिकरण की बैठक	25
	जलीय संगरोध सुविधा की निगरानी हेतु तकनीकी समिति पर बैठकें	26
4	तटीय एक्वाकल्चर फार्मों के पंजीकरण का पंजीकरण और नवीनीकरण	31
	2006 से मार्च 2020 तक राज्यवार सीएए पंजीकृत फार्म	32
	अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान फार्मों का पंजीकरण	34
	तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण का नवीकरण	35
	वर्तमान वर्ष (अप्रैल 2019 से मार्च 2020) के दौरान नवीनीकृत फार्मों का राज्यवार विवरण	35
5	हैचरी के पंजीकरण का पंजीकरण और नवीनीकरण	39
	विदेशी ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं पैनल तैयार करना और भारतीय हैचरियों द्वारा आयात करना	40
	एसपीएफ एल वैनमेब्रूडस्टॉक का आयात	41
	भारत में एसपीएफ एल. वैनमेई हैचरियों का विकास	41
	2019–20 में हैचरियों का राज्यवार पंजीकरण	43
	एसपीएफ एल. वननामेई बीज उत्पादन के लिए नौपली पालन हैचरियां (एनआरएच)	45
6	जलकृषि आदानों पर विनियम	49
7	पर्यावरण अनुवीक्षण और निगरानी	51
8	आउटरीच गतिविधियाँ	52
9	नई पहल	53
10	राज्यवार तटीय जलकृषि स्थिति 2019–2020	57
11	2020–21 के लिए लक्ष्य	69
12	सीएए द्वारा कार्यक्रमों में भाग लेना	71
13	संस्थानिक गतिविधियाँ	72
	प्रशासनिक और लेखा मामले	
14	वित्त: वास्तविक वित्तीय का सारांश	73
15	प्राधिकरण के कर्मचारी और वर्तमान संगठनात्मक संरचना	74
	संविदा कर्मचारी	74
	भर्ती / सेवानिवृत्ति / प्रत्यावर्तन / प्रतिनियुक्ति	75
16	सूचना का अधिकार अधिनियम	75

17 अनुबंधरू वर्ष 2019–20–21 के लिए सीएजी की वार्षिक लेखा और पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1	तुलन पत्र	79
2	आय और व्यय खाते	80
3	प्राप्ति और भुगतान खाते	81
4	तुलन पत्र की अनुसूची (1 से 11)	86
5	आय और व्यय की अनुसूचियां (12 –23)	93
6	लेखाकरण नीतियां	96
7	आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां	99
8	सीएजी की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट	106

संक्षिप्ताक्षर

एआईएसएचए	ऑल इंडिया श्रिम्प हैचरीज एसोसिएशन
ए एंड एन	अंडमान और निकोबार
एक्यूएफ	जलीय संगरोध सुविधा
एक्यूसीएस	जलीय संगरोध और प्रमाणन सेवाएं
बीएमसी	ब्रूडस्टॉक गुणन केंद्र
सीआईबीए	केन्द्रीय खारा जल जलकृषि संस्थान
सीएमएफआरआई	केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान
सीआरजेड	तटीय विनियमन क्षेत्र
डीएएचडी एंड एफ	पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग
डीएलसी	जिला स्तरीय समिति
डीओएफ	मत्स्यपालन विभाग
ईआईए	पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन
ईएमपी	पर्यावरण प्रबंधन योजना
ईटीएस	बहिस्त्राव उपचार प्रणाली
एलओपी	अनुमति पत्र
एमओए	कृषि मंत्रालय
एमओएफएएच एंड डी	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
एमपीईडीए	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
एनबीसी	न्यूक्लियस प्रजनन केंद्र
एनबीएफजीआर	राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो
एनएफडीबी	राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड
ओआईई	ऑफिस इंटरनेशनल डेस एपिजोटीज (ओआईई)
पीपीएल	पेरेंट पोस्ट लार्वा
आरजीसीए	राजीव गांधी जलकृषि केंद्र
एसएलसी	राज्य स्तरीय समिति
एसपीएफ	विशिष्ट रोगजनक मुक्त
टीएफए	कुल कृषि क्षेत्र
डब्ल्यूएसए	जल प्रसार क्षेत्र

आई. रानी कुमुदिनी, आई ए एस
सदस्य सचिव

I. Rani Kumudini, IAS
Member Secretary



तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, मत्स्यपालन,
पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
चेन्नई.६००० ३५, तमिलनाडु, भारत

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
Government of India, Ministry of Fisheries,
Animal Husbandry and Dairying
Chennai - 600 035, Tamil Nadu, India

प्रस्तावना

तटीय जलकृषि उत्पादों के निर्यात के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करने के अलावा, तटीय क्षेत्रों में एक जीवंत ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने में भारत में तटीय जलकृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तटीय जलकृषि प्राधिकरण का स्थापना अधिदेश तटीय पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सतत जलकृषि को बढ़ावा देना है। इस प्राधिकरण द्वारा लागू किए गए दिशा–निर्देशों में निहित एहतियाती दृष्टिकोण के सिद्धांत प्रत्येक तटीय जलकृषि पद्धति में तत्व धारणीयता को स्थापित करते हैं और इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2008–09 के दौरान 75,000 मीट्रिक टन के स्तर की तुलना में वर्ष 2019–20 में 7,47,111 मीट्रिक टन के रिकॉर्ड झींगा उत्पादन के साथ तटीय जलकृषि में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। यह स्पष्ट है कि देश में किसी भी अन्य खाद्य उत्पादन क्षेत्र ने पिछले 10 वर्षों में तटीय जलकृषि क्षेत्र द्वारा हासिल की गई उच्च विकास दर हासिल नहीं की है। इस प्राधिकरण ने उच्च स्वास्थ्य बीजों का उत्पादन करने के लिए अच्छी तरह से स्थापित अंतर्राष्ट्रीय ब्रूड स्टॉक आपूर्तिकर्ताओं से भारतीय हैचरी में उच्च गुणवत्ता वाले एसपीएफ ब्रूड स्टॉक के आयात को सुनिश्चित करके इस उपलब्धि में सराहनीय योगदान दिया है, जो स्वस्थ और प्रगतिशील तटीय जलकृषि के लिए प्राथमिक इनपुट हैं। इस प्राधिकरण ने चालू वर्ष के दौरान व्यापार करने में आसानी को सक्षम बनाने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं, जिससे भारत में तटीय जलकृषि के विकास प्रक्षेपवक्र में भारी उछाल आने की उम्मीद है। मत्स्यपालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के निरंतर सहयोग ने इस प्राधिकरण को पर्यावरण के अनुकूल, टिकाऊ तटीय जलकृषि पद्धतियों के माध्यम से एक मिलियन टन के उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के अपने प्रयास को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया है।

IRKu

(आई. रानी कुमुदिनी)
सदस्य सचिव

कार्यकारी सारांश

तटीय जलकृषि प्राधिकरण, जिसे भारत की संसद द्वारा अधिनियमित तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 24) के तहत स्थापित किया गया था, ने वर्ष 2020 में राष्ट्र की सेवा के 14 गौरवशाली वर्ष पूरे किए। फरवरी 2019 तक सीएए कृषि मंत्रालय के अधीन था। कैबिनेट सचिवालय की अधिसूचना एफ.एन.1ध्21ध्21ध्2018–कैब दिनांक 05.02. 2019 द्वारा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी के लिए अलग मंत्रालय के गठन के साथ, सीएए ने मत्स्यपालन विभाग, नई दिल्ली के तहत काम करना शुरू कर दिया।

2005 से 2020 की अवधि के दौरान, सीएए तटीय जलकृषि और तटीय पर्यावरण की सुरक्षा के माध्यम से आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखने में सफल रहा था, जो जीवों और वनस्पतियों के एक समृद्ध तथा विविध समूह के लिए एक उत्पादक प्राकृतिक वास प्रदान करता है। सीएए ने पर्यावरण कानून के एहतियाती सिद्धांत का पालन किया है और वैज्ञानिक सलाह के आधार पर तैयार किए गए दिशानिर्देशों को लागू किया है जो पर्यावरण के अनुकूल हैं और दो दशक पहले पालन किए गए विनाशकारी और अनियमित पद्धतियों की तुलना में अधिक कुशल हैं।

66 जिलों और 12 राज्योंध्संघ राज्य क्षेत्रों की स्तरीय समिति के सहयोग से, जिसमें संबंधित राज्यध्संघ राज्य क्षेत्र के कृषि, वन, मत्स्यपालन और राजस्व विभागों तथा एमपीईडीए से भी प्रतिनिधित्व हैं, तटीय क्षेत्र में खेतों का पंजीकरण सीएए द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए किया गया है। प्राधिकरण की 63 बैठकों के माध्यम से 2005 से 2020 के दौरान, सीएए ने 40838.53 हेक्टेयर के जल प्रसार क्षेत्र के साथ 59741.48 हेक्टेयर के कुल क्षेत्र को कवर करते हुए 39134 फार्मों को पंजीकृत किया है।

2019–20 में, समितियों द्वारा 825 हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल और 552 हेक्टेयर जल प्रसार क्षेत्र वाले 775 फार्मों को मंजूरी दी गई थी और संबंधित किसानों को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए थे।

सभी बीज उत्पादन इकाइयों, हैचरियों और नौपली पालन केंद्रों को सीएए में पंजीकरण करना होगा। मार्च 2020 तक, प्रति वर्ष 32578 मिलियन बीज की उत्पादन क्षमता के साथ 315 हैचरियां सीएए में पंजीकृत की गई हैं। इसके अलावा प्रति वर्ष 10843 मिलियन बीज की उत्पादन क्षमता वाले 122 नौपल्ली पालन केंद्र भी सीएए में पंजीकृत हैं। पंजीकृत हैचरियों को सीएए पैनल में शामिल अंतरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं से एसपीएफ ब्रूडस्टॉक के 4,07,700 जोड़े आयात करने की अनुमति है। 2019–20 के दौरान, पांच नई हैचरियों और एसपीएफएल.वैनमेई बीज उत्पादन के लिए अनुमति दी गई थी। एसपीएफएल. वैनमेई के बीज उत्पादन के लिए, 34 नौपली पालन केन्द्रों को अनुमति दी गई है।

सीएए ने एसपीएफ ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं को पैनल में शामिल करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। सीएए प्रतिनिधि के साथ सीआईबीए, एक्यूसीएस और एनएफडीबी के विशेषज्ञों की तकनीकी समिति ने संभावित ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं की सुविधा और प्रक्रियाओं का ठीक से मूल्यांकन किया है और 13 आपूर्तिकर्ताओं, एल. वैनमेई के लिए 11 एवं पी.मोनोडॉन के लिए 2, को पैनल में शामिल किया है। 2019–20 के दौरान यूएसए से एक एसपीएफ एल. वैनमेई ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ता

को सूचीबद्ध किया गया था। झींगा हैचरी ऑपरेटरों और एक्यूएफ प्रबंधन टीम के लाभ के लिए सीएए वेबसाइट में पैनल में शामिल विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की सूची पोस्ट की गई थी।

एसपीएफ ब्रूडस्टॉक आयात करने वाली हैचरियों की सूची भी समय–समय पर सीएए वेबसाइट पर अद्यतन की गई थी। यह उन किसानों के लाभ के लिए है जो गुणवत्ता वाले बीज प्राप्त करने के लिए हैचरी से संपर्क कर सकते हैं। 2019–20 के दौरान, हैचरी ऑपरेटरों द्वारा ब्रूडस्टॉक के 126982 जोड़े देश में आयात किए गए थे।

फार्म और हैचरी संचालन में एंटीबायोटिक का उपयोग उद्योग के लिए खतरा रहा है, खासकर निर्यात के दौरान। सीएए ने 20 एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है और ये सीएए दिशानिर्देशों में सूचीबद्ध हैं तथा वेबसाइट पर भी अपलोड किए गए हैं। हालांकि, बीज के अलावा जलीय कृषि आदानों में एंटीबायोटिक को शामिल करने और किसानों द्व ारा इनके उपयोग से कृषि उपज में एंटीबायोटिक की उपस्थिति भी हो सकती है। सीएए ने 2015 से यह प्रमाण पत्र जारी करना शुरू किया था कि उत्पाद एंटीबायोटिक मुक्त हैं। उत्पादन प्रक्रिया और उत्पाद की गुणवत्ता को दर्शाने वाले दस्तावेजों की जांच के आधार पर 13 राज्यों से आठ श्रेणियों के तहत 3470 उत्पाद एंटीबायोटिक–मुक्त इनपुट के रूप में पंजीकृत हैं, जिनमें से 108 रिपोर्टिंग अवधि के दौरान पंजीकृत किए गए थे।

वर्ष 2019–20 के दौरान, सीएए निगरानी टीम ने तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल और पश्चिम बंगाल के विभिन्न राज्यों में स्थित 67 हैचरियों और 739 झींगा फार्मों का दौरा किया। उत्पादन सुविधाओं का निरीक्षण किया गया और अभिलेखों का सत्यापन भी किया गया था।

सतत जलकृषि के लिए नीतिगत सहायता के रूप में, भारत में हैचरियों को विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा गुणवत्तायुक्त विशिष्ट पैथोजन फ्री (एसपीएफ) ब्रूडस्टॉक और झींगा के मूल पोस्ट लार्वा की आपूर्ति के लिए नियम एवं शर्तें तैयार की गई थीं।

सीएए के विस्तार की आवश्यकता पर विचार करते हुए, सीएए को मजबूत करने के लिए एक प्रस्ताव मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। सीएए वेबसाइट को प्रासंगिक डेटा सेटों और दिशानिर्देशों के साथ अद्यतन किया गया था।

चेन्नई में एक स्थायी कार्यालय के लिए सीएए द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों के एक हिस्से के रूप में, अतीत में विभिन्न प्रयास किए गए थे। यह प्रयास वर्ष के दौरान फलीभूत हुए क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में राज्य मत्स्यपालन विभाग के अपने नए भवन परिसर में एक विशेष कार्यालय स्थान आवंटित किया था। सीएए ने 05.09.2019 को अपने कार्यालय को वनुवमपेट, मदीपक्कम, चेन्नई से पशुपालन और मत्स्यपालन विभाग के लिए एकीकृत पशुपालन और मत्स्यपालन कार्यालय परिसर में स्थानांतरित कर दिया था, जो वेटरनरी अस्पताल रोड, फनेपेट, नंदनम, चेन्नई में स्थित है।

प्राधिकरण की एक बैठक बुलाई गई थी और डीएलसी द्वारा अनुशंसित सभी पंजीकरणों को अनुमोदित किया गया था। एक्यूएफ पर विशेषज्ञ समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी और हितधारकों के मुद्दों को हल करने के लिए महत्वपूण र्ा निर्णय लिए गए थे।

सीएए के बारे में



1 सीएए के बारे में

तटीय जलकृषि प्राधिकरण का आरंभ

उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका सं. 1994 का 561 (जगन्नाथन बनाम भारत संघ) में अपने फैसले में तटीय क्षेत्रों के पर्यावरण संरक्षण पर चिंता जताई थी और केंद्र सरकार को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील तटीय क्षेत्रों तथा समुद्र तट की रक्षा के साथ–साथ देश में स्थायी और जिम्मेदार तटीय जलकृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए एक प्राधिकरण का गठन करने का निर्देश दिया था।

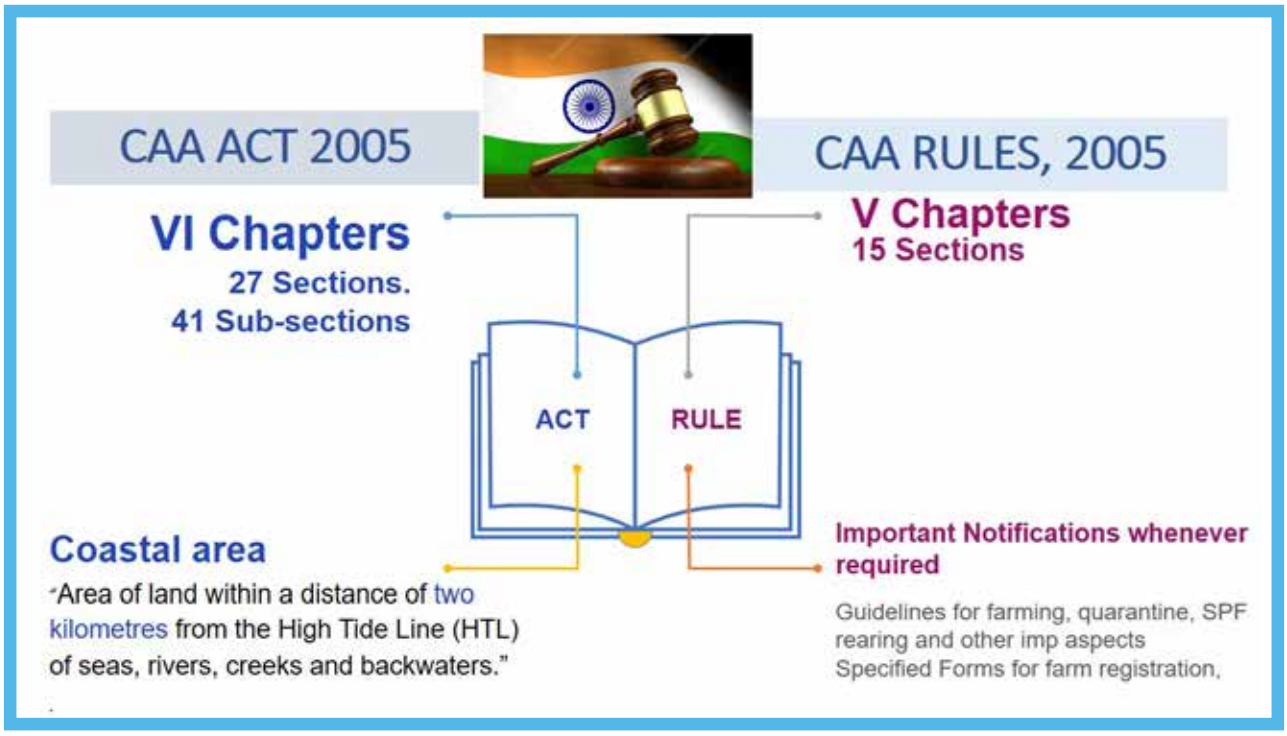
तटीय जलकृषि प्राधिकरण की स्थापना भारत की संसद द्वारा अधिनियमित तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के तहत की गई थी, जिसे 23 जून, 2005 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी।

सीएए अधिनियम के अनुसार, तटीय जलकृषि को श्तालाबों, पेनों, बाड़ों या अन्यथा, तटीय क्षेत्रों में, झींगा, झींगा, मछली या खारे पानी में किसी अन्य जलीय जीवन में नियंत्रित परिस्थितियों में संवर्धनश के रूप में परिभाषित किया गया हैय लेकिन इसमें ताजे पानी का जलकृषि शामिल नहीं हैश। तटीय क्षेत्र का अर्थ है समुद्रों, नदियों, खाड़ियों और बैकवाटर की हाई टाइड लाइन (एचटीएल) से दो किलोमीटर की दूरी के भीतर भूमि का क्षेत्र।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005
अधिनियम सं. 2002 का 24

तटीय क्षेत्रों (एचटीएल से 2 किमी दूर) में तटीय जलकृषि से संबंधित गतिविधियों को विनियमित करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करने के लिए एक अधिनियम है।

प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य जिम्मेदार तटीय जलकृषि पद्धतियों का पालन करते हुए तटीय पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना सतत विकास को बढ़ावा देना और तटीय क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न हितधारकों की आजीविका की रक्षा करना है।



2019–20 के दौरान प्राधिकरण की संरचना

सीएए अधिनियम 2005 की धारा 4 (3) के अनुसार, प्राधिकरण में ग्यारह सदस्य होंगे जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

ल 2019 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान, निम्नलिखित सदस्यों ने सीएए प्राधिकरण का गठन किया, जिसका गठन अधि ासूचना एस.ओ.5649 (ई) दिनांक 2 नवंबर 2018 के तहत किया गया था।

अध्यक्ष, सीएए — **अध्यक्ष**
(रिक्त)

डॉ. के. के. विजयन, सदस्य — सदस्य
निदेशक,
केंद्रीय खारा पानी जलकृषि संस्थान, चेन्नई,
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
(तटीय जलकृषि के क्षेत्र में विशेषज्ञ)
(2 नवंबर, 2018 से पुनरू नियुक्त)

डॉ. जी. धरणी, सदस्य — सदस्य
वैज्ञानिक श्एफश,
राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई,
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय,
भारत सरकार,
(तटीय पारिस्थितिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञ)
(2 नवंबर, 2018 से)

डॉ. डब्ल्यू. भरत सिंह, सदस्य — सदस्य
वैज्ञानिक श्एफश,
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली,
भारत सरकार
(पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञ)
(2 नवंबर, 2018 से)

डॉ. जे. बालाजी, आईएएस, सदस्य — सदस्य
संयुक्त सचिव (समुद्री मत्स्यपालन)
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार

श्री के. एस. श्रीनिवास, आईएएस सदस्य — सदस्य
अध्यक्ष, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण,
एमपीईडीए हाउस, पैनमपिल्ली एवेन्यू,
कोचीन, केरल
(4 जनवरी, 2019 से)

श्री मोहम्मद शाहिद, आईएएस, सदस्य — सदस्य
मत्स्यपालन आयुक्त, मत्स्यपालन विभाग,
गुजरात सरकार
(2 नवंबर, 2018 से)

श्री अनूप कुमार, आईएएस, सदस्य — सदस्य
सचिव (मत्स्यपालन)
कृषि और एडीएफ विभाग, मुंबई,
महाराष्ट्र सरकार
(2 नवंबर, 2018 से)

डॉ. के. गोपाल, आईएएस, सदस्य — सदस्य
प्रधान सचिव,
पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग,
तमिलनाडु सरकार, चेन्नई
(2 नवंबर, 2018 से)

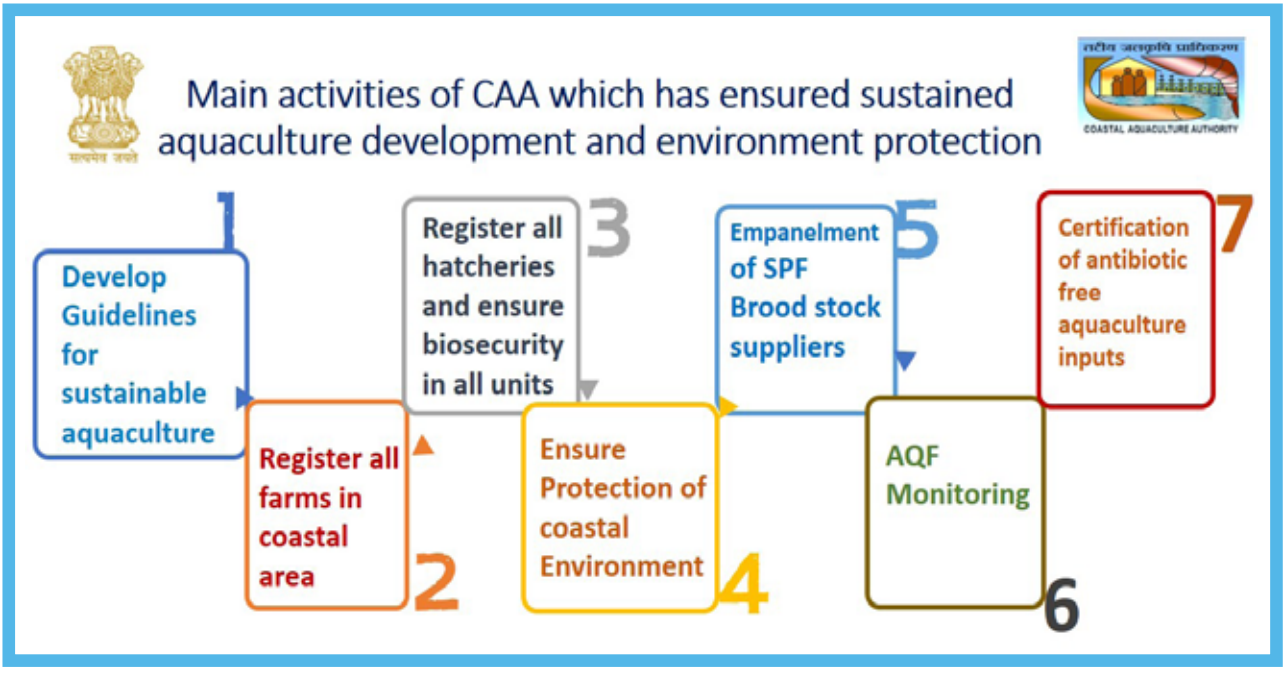
श्री प्रभात कुमार मिश्रा, आईएएस, सदस्य — सदस्य
प्रधान सचिव, मत्स्यपालन विभाग,
पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता
(2 नवंबर, 2018 से)

डॉ. सी. गोपाल, सदस्य सचिव — सदस्य
सदस्य सचिव
तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई
(19 मई, 2019 तक)

श्रीमती आई. रानी कुमुदिनी, सदस्य सचिव — सदस्य
(मुख्य कार्यपालक, एनएफडीबी)
प्रभारी सदस्य सचिव,
तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई
मत्स्यपालन विभाग
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय,
भारत सरकार
(22 मई, 2019 से एमएस–प्रभारी)

प्राधिकरण के लक्ष्य और उद्देश्य

प्राधिकरण के लक्ष्य और उद्देश्य केन्द्र सरकार द्वारा तटीय क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित क्षेत्रों में तटीय जलकृषि गतिविधियों को विनियमित करना और इससे संबंधित मामलों के लिए हैं। प्राधिकरण को तटीय क्षेत्रों में जलकृषि फार्मों के निर्माण और संचालन, फार्मों और हैचरियों के निरीक्षण, पर्यावरण पर प्रभावों की निगरानी, जलकृषि फार्मों और हैचरियों के पंजीकरण, प्रदूषण का कारण बनने वाले तटीय जलकृषि फार्मों को हटाने या ध्वस्त करने, सभी तटीय जलकृषि आदानों, जैसे बीज, फीड, विकास अनुपूरकों, रसायनों और तटीय जलकृषि में प्रयुक्त होने वाले अन्य आदानों के लिए मानक तय करने और देश में तटीय जलकृषि गतिविधियों की समग्र निगरानी के लिए अधिकार प्राप्त है।



प्राधिकरण की शक्तियां और कार्य

प्राधिकरण की शक्तियां और कार्य सीएए अधिनियम, 2005 के अध्याय प्ट, उसके तहत बनाए गए नियमों और मार्च 2008 में अधिसूचित तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों में निर्दिष्ट किए गए हैं। सीएए, अन्य बातों के साथ–साथ, तटीय जलकृषि क्षेत्र के व्यवस्थित और सतत विकास के लिए विनियम बनाएगा ताकि गतिविधि में शामिल विभिन्न हितधारकों के सामाजिक–आर्थिक लाभों के लिए पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार और सामाजिक रूप से स्वीकार्य तटीय जलकृषि को सुविधाजनक बनाया जा सके।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में तटीय जलकृषि प्राधिकरण की प्रमुख जिम्मेदारी सभी तटीय, खारे और खारे जलकृषि फार्मों तथा हैचरियों का पंजीकरण सुनिश्चित करना है। अधिसूचित क्षेत्र के भीतर देश में उचित जैव सुरक्षा के साथ लिटोपेनेयस वननामेई की खेती और बीज उत्पादन की अनुमति के लिए विशेष जोर दिया जाता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। किसानों को संवेदनशील बनाने के लिए आयोजित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से सभी पात्र तटीय जलकृषि फार्मों को पंजीकृत करने के लिए प्राधिकरण द्वारा कई उपाय शुरू किए गए हैं।

तटीय जलकृषि करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम और नियमों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार, तटीय जलकृषि प्राधिकरण के साथ अपने फार्मों को पंजीकृत करना अनिवार्य है। पंजीकरण पांच साल की अवधि के लिए मान्य है, जिसे समय–समय पर समान अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। पंजीकरण प्रक्रिया मौजूदा फार्मों, नए फार्मों के साथ–साथ उन फार्मों के संबंध में जारी रखी जाएगी जिन्हें भविष्य में तटीय जलकृषि गतिविधियों के लिए पुनर्निर्मित किया जा सकता है।

तटीय विनियमन क्षेत्र के भीतर समुद्र, खाड़ियों, नदियों और बैकवाटर की उच्च ज्वार रेखा से दो सौ मीटर के भीतर जलकृषि की अनुमति नहीं है। तथापि, यह शर्त अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व स्थापित किए गए मौजूदा फार्मों अर्थात् फार्मों और सरकार अथवा सरकार के किसी अनुसंधान संस्थान द्व ारा प्रचालित गैर–वाणिज्यिक और प्रायोगिक जलकृषि फार्मों पर लागू नहीं होती है। हालांकि, ऐसे सभी फार्मों को सीएए में पंजीकृत होना आवश्यक है। इस तरह के पंजीकरण के बिना तटीय जलकृषि करने वाले किसी भी व्यक्ति को अधि ानियम की धारा 14 में प्रावधान के अनुसार तीन साल तक की अवधि के लिए कारावास या एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले अतिरिक्त कार्य सीएए नियम, 2005 की धारा 5

- यह सुनिश्चित करना कि तटीय क्षेत्रों में रहने वाले तटीय समुदाय की आजीविका की रक्षा के लिए कृषि भूमि, नमक पैन भूमि, मैंग्रोव, गीली भूमि, वन भूमि, गांव के सामान्य उद्देश्यों के लिए भूमि और सार्वजनिक उद्देश्यों तथा राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों के लिए भूमि को जलकृषि फार्मों के रूप में परिवर्तित नहीं किया जाता हैय
- संपूर्ण तटीय क्षेत्र का सर्वेक्षण करना और पर्यावरण अनुकूल विकास प्राप्त करने के लिए उपयुक्त कार्यनीतियां तैयार करने हेतु केन्द्र सरकार तथा राज्यध्संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सलाह देनाय
- राज्यध्संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सामान्य अवसंरचना, सामान्य जल ग्रहण, निस्सरण नहरों और सामान्य बहिस्त्राव शोधन प्रणालियों के निर्माण के लिए सलाह देना और सहायता प्रदान करनाय
- जल निकायों और पाले गए जीवों तथा अन्य जलीय जीवन के रखरखाव के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज, फीड, विकास की खुराक तथा रसायनों के लिए मानक तय करेंय
- पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन से संबंधित जांच तथा अध्ययन करनाध योजनाएं बनाना या प्रायोजित करनाय
- तटीय जलकृषि से संबंधित आंकड़े और अन्य वैज्ञानिक तथा सामाजिक–आर्थिक जानकारी एकत्र करना एवं प्रसारित करनाय
- तटीय जलकृषि और संबंधित गतिविधियों के सतत विकास से संबंधित सामग्री तैयार करनाय
- तटीय संसाधनों के सतत उपयोग और उचित तथा न्यायसंगत साझाकरण के बारे में प्रचार एवं कर्मियों को प्रशिक्षण देनाय
- तकनीकी मैनुअल और अन्य तकनीकी ब्रोशर तैयार करने के लिए विभिन्न तकनीकी समितियों, उप–समितियों और कार्य समूहों का गठनय
- फार्म के मालिकों को तटीय पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने के लिए संशोधन करने के लिए निर्देशित करनाय
- स्थिरता सुनिश्चित करने के लिएय या तटीय पर्यावरण के हित में पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखने तथा आजीविका की सुरक्षा के हित में मौसमी बंद करने का आदेश देनाय
- पंजीकरण रद्द करना जहां किसी भी व्यक्ति ने गलत जानकारी प्रस्तुत करके पंजीकरण प्राप्त किया है या इन नियमों के किसी भी प्रावधान या पंजीकरण के प्रमाण पत्र में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किया होय
- तटीय जलकृषि से संबंधित किसी भी मुद्दे से निपटना, जिसमें वे मुद्दे भी शामिल हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा इसे भेजा जा सकता हैय

- समय–समय पर दिशा–निर्देशों में संशोधन करने के लिए सरकार को उपयुक्त सिफारिशें करना।

भारत में एसपीएफ एल. वननामेई कल्चर का विनियमन

पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (पशुधन आयात अधिनियम, 2001 द्वारा यथा संशोधित) के अंतर्गत पशुपालन, डेयरी एवं मात्स्यिकी विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 15 अक्तूबर, 2008 की अधिसूचना के माध्यम से तटीय जलकृषि प्राधिकरण को हैचरियां पंजीकृत करने और एसपीएफ लिटोपेनेयस वैनमेई के ब्रूडस्टॉक के आयात की अनुमति प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। विदेशी ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं को राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी), केंद्रीय खारा जल जलकृषि संस्थान (सीआईबीए) और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) के परामर्श से सीएए द्वारा अनुमोदित किया गया था। संगरोध के लिए जैव सुरक्षा आवश्यकताएं, आयात परमिट, प्रवेश पत्तन, पूर्व–सीमा संगरोध आवश्यकताएं, आयातित ब्रूडस्टॉक के आगमन पर संगरोध आवश्यकताएं, कीटाणुशोधन विधियां और अन्य विवरण उपर्युक्त अधिसूचना में निहित उक्त दिशानिर्देशों में विस्तार से दिए गए हैं।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2009 के अंतर्गत एसपीएफएल. वैनमेई के आयात और प्रजातियों की खेती के लिए हैचरियों को विनियमित करने हेतु दिशा–निर्देश जारी किए गए थे। इन दिशा–निर्देशों में आवेदकों के लिए एल. वननामेई प्रजनन करने के लिए मानदंड, तकनीकी आवश्यकताएं, एसपीएफ एल वननामेई बीजों के उत्पादन और बिक्री के लिए प्रक्रियाएं तथा खेतों के अनुमोदन एवं संचालन के लिए विशिष्ट मानदंड और विनियम शामिल हैं।

हैचरी प्रचालकों और झींगा किसानों द्वारा सुचारू प्रचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारत सरकार ने मार्च, 2012 में एक अधिसूचना के माध्यम से सीएए नियम, 2005 में और संशोधन किए, जिसमें एल. वननामेई के एसपीएफ किशोरों को वयस्क ब्रूडस्टॉक में पालने, अनुमत हैचरियों में नौपली की बिक्री तथा पर्याप्त ड्राई–आउट अवधि के बाद एक प्रजाति के कल्चर को दूसरी प्रजाति में स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई। यह अधिसूचना अनधिकृत स्टॉक को नष्ट करके या सीएए के निरीक्षण दल द्वारा स्टॉक को जब्त करने तथा निपटान के माध्यम से एल वननामेई के अनधिकृत बीज उत्पादन तथा खेती से निपटने के लिए निरीक्षण प्रक्रिया को भी मजबूत करती है।

बॉक्स 1

सीएए और एसपीएफ ब्रूडस्टॉक का आयात

तटीय जलकृषि प्राधिकरण अनुमोदित विदेशी एसपीएफ ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं से एसपीएफ एल वन्नामेई के ब्रूडस्टॉक के आयात के लिए अनुमति प्रदान करने और ब्रूडस्टॉक की वार्षिक आवश्यकताओं को आवंटित करने के लिए अधिकृत है, जैसा कि पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (पशुधन आयात अधिनियम, 2001 द्वारा संशोधित) के तहत पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग (डीएएचडी एंड एफ) द्वारा जारी 15 अक्टूबर 2008 की अधिसूचना के तहत जारी दिशानिर्देशों में बताया गया है।

सीएए को तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2009 के तहत अधिसूचना के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों के सख्त अनुपालन के लिए एसपीएफ एल. वननामेई हैचरियों तथा खेतों की निगरानी करने का भी अधिकार है।

16 फरवरी, 2015 को एक संशोधन अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके तहत पेनियस मोनोडन के लिए पंजीकृत खेतों को शून्य जल विनिमय के बाद कम स्टॉकिंग घनत्व वाले एल. वननामेई कल्चर को अपनाने की अनुमति देने के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं। तटीय जलकृषि प्राधिकरण हैचरियों और फार्मों को एल वननामेई खेती करने की अनुमति देने और इस उद्यम के सतत विकास के लिए फार्मों एवं हैचरियों के निरीक्षण और निगरानी में इन दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है। एसपीएफ एल. वननामेई की शुरूआत ने बड़ी संख्या में परित्यक्त झींगा फार्मों के पुनरुद्धार का मार्ग प्रशस्त किया और इसके परिणामस्वरूप देश में कृषि झींगा के उत्पादन और निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

एंटीबायोटिक मुक्त आदानों का प्रमाणन

तटीय जलकृषि उत्पादों के खाद्य सुरक्षा मुद्दों के संबंध में उठाई गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 और उसके तहत नियमों तथा दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार सभी जलकृषि आदानों को पंजीकृत करने का निर्णय लिया गया था जो चिंताजनक एंटीबायोटिक दवाओं से मुक्त हैं। जलकृषि आदानों के सभी विनिर्माताओं (स्वदेशी) और वितरकों (आयातित) से अनुरोध है कि वे अपने प्रत्येक उत्पाद के पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करें और इसे पंजीकृत कराएं। पंजीकृत उत्पादों की पहली सूची 2016 में जारी की गई थी। आवेदन प्रोफार्मा और पंजीकरण के नियम तथा शर्तें सीएए वेबसाइट (www-caa-gov-in) पर उपलब्ध हैं एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि आदान जैसे लार्वा फीड, वयस्क फीड, फीड एडिटिव्स, प्रोबायोटिक्स, रसायन, ड्रग्स और प्रतिरक्षा–उत्तेजक सीएए में पंजीकृत हैं तथा सूची समय–समय पर सीएए वेबसाइट पर अद्यतन की जाती है।

लक्ष्य और प्रदर्शन



2 लक्ष्य और प्रदर्शन

सीएए नियम के अनुसार, सीएए के वार्षिक प्रतिवेदन में, वर्ष के लिए नियोजित लक्ष्यों को सूचीबद्ध किया जाना है और प्रदर्शन की रिपोर्ट की जानी है। तदनुसार 2020–21 के लिए वार्षिक लक्ष्य और उपलब्धियां नीचे दी गई हैं। प्रत्येक श्रेणी के तहत विवरण बाद के खंडों में दिए गए हैं।

वार्षिक लक्ष्य और प्रदर्शन

	लक्ष्य	उपलब्धि
1	प्राधिकरण की बैठकें: कार्यान्वयन के लिए उचित निर्णय लेने हेतु दो महीने में कम से कम एक बार प्राधिकरण की बैठकें आयोजित करना।	प्राधिकरण की एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें प्राप्त सभी आवेदनों की जांच की गई थी और सभी संबंधित हितधारकों को प्रमाण पत्र जारी किए गए थे।
2	तटीय जलकृषि फार्मों का पंजीकरण और नवीनीकरण जिला और राज्य स्तरीय समितियों की सिफारिशों के साथ प्रस्तावों की प्राप्ति के अधीन अतिरिक्त 1,000 तटीय जलकृषि फार्मों को पंजीकृत किए जाने की उम्मीद थी।	लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था और पंजीकरण, नएध्नवीनीकरण के 1056 प्रमाणपत्र जारी किए गए थे।
3	एसपीएफ ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं को पैनल में शामिल करना आवश्यकता के आधार पर और मौजूदा आपूर्तिकर्ताओं के प्रदर्शन की समीक्षा के आधार पर तकनीकी समिति द्वारा ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं का चयन।	एक आपूर्तिकर्ता को विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की सूची में जोड़ा गया था और झींगा हैचरी प्रचालकों तथा एक्यूएफ प्रबंधन टीम के लाभ के लिए सीएए वेबसाइट पर विवरण पोस्ट किया गया था।
4	हैचरियों का नवीनीकरण और पंजीकरण ब्रूडस्टॉक आयात कोटे का उनकी क्षमता के आधार पर आबंटन।	एसपीएफ एल. वन्नामेई बीज उत्पादन के लिए पांच नई हैचरियों को अनुमति दी गई है। 315 हैचरियों को सीएए द्वारा सूचीबद्ध 13 आपूर्तिकर्ताओं से एसपीएफ एल. वन्नामेई की 4,07,700 जोड़ी ब्रूडस्टॉक आयात करने के लिए अनुमति पत्र (एलओपी) जारी किया है। ब्रूडस्टॉक की 1,26,982 जोड़ी आयात की गई हैं।

	लक्ष्य	उपलब्धि
5	एनआरएच का पंजीकरण नौपल्ली पालन हैचरियों द्वारा एसपीएफ एल. वन्नामेई के बीज उत्पादन के लिए प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही।	एसपीएफ एल. वन्नामेई बीज उत्पादन के लिए 34 नौपल्ली पालन केंद्रों की अनुमति दी गई है। 122 नौपल्ली पालन केन्द्रों ने एसपीएफ एल. वन्नामेई – उत्पादन क्षमता 10,843 मिलियन बीज प्रतिवर्ष के लिए एलओपी जारी किए थे।
6	जलकृषि गतिविधियों की निगरानी हैचरी प्रचालकों द्वारा सीएए दिशानिर्देशों का उल्लंघन, उत्पादित बीज की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। इसलिए यहां निगरानी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।	वर्ष 2019–20 के दौरान, सीएए निगरानी टीम ने तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल और पश्चिम बंगाल के विभिन्न राज्यों में स्थित 67 हैचरियों और 739 झींगा फार्मों का दौरा किया था।
7	एक्यूएफ का कार्य उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समितियों की बैठकें आयोजित करना।	एक्यूएफ पर विशेषज्ञ समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी और हितधारकों के मुद्दों तथा एक्यूएफ के सुचारू संचालन के लिए सामना किए जाने वाले मुद्दों को हल करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे।
8	एंटीबायोटिक मुक्त जल– आदान एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि आदानों का पंजीकरण।	उत्पादन प्रक्रिया और उत्पाद की गुणवत्ता को इंगित करने वाले दस्तावेजों की जांच के आधार पर आठ श्रेणियों के तहत 3470 उत्पादों को एंटीबायोटिक–मुक्त आदानों के रूप में पंजीकृत किया गया था, जिनमें से 108 वर्ष 2019–20 के दौरान थे।
9	पानी की गुणवत्ता की निगरानी बहिःस्राव उपचार प्रणाली (ईटीएस) से निकलने वाले अपशिष्ट जल का नमूना और परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए कि पानी की गुणवत्ता मानदंड सीएए द्वारा अधिसूचित मानकों के अनुरूप हैं।	फार्मों/हैचरियों से एकत्र किए गए पानी के नमूनों का विश्लेषण किया गया था।
10	आउटरीच कार्यक्रम खेतों के पंजीकरण और प्रतिबंधित दवाओं तथा अन्य पदार्थों से संबंधित मुद्दों पर किसानों को जागरूक करने के लिए समुद्री राज्यों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।	विभिन्न तटीय जिलों में लघु कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।



प्राधिकरण की बैठकें और विशेषज्ञ समिति की बैठकें



3 प्राधिकरण की बैठकें और विशेषज्ञ समिति की बैठकें

सीएए ने अप्रैल 2019 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान, एक प्राधिकरण बैठक आयोजित की थी। इसके अलावा सीएए के अधिदेश के अनुसार अलग–अलग उद्देश्यों के साथ अन्य उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की बैठकें भी आयोजित की गईं थीं। विवरण नीचे दिए गए हैं।

प्राधिकरण की बैठकें

प्राधिकरण की एक बैठक आयोजित की गई थीय बैठकों और लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के विवरण नीचे दिए गए हैं।

4 जुलाई 2019 को चेन्नई में तटीय जलकृषि प्राधिकरण की 63वीं बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय

- 775 झींगा फार्मों के पंजीकरण अनुमोदित किए गए थे। 277 झींगा फार्मों के पंजीकरण के नवीनीकरण अनुमोदित किए गए थे।
- एसपीएफ एल. वन्नामेई को कल्चर के लिए 4 झींगा फार्मों की अनुमति देने का संकल्प लिया गया था।
- पंजीकरण और एलओपी जारी करने के लिए पांच हैचरियों को कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।
- एसपीएफ एल. वन्नामेई और बीज उत्पादन के लिए 34 नौपल्ली पालन केंद्रों के लिए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।
- 102 एंटीबायोटिक मुक्त आदानों के पंजीकरण को अनुमोदन प्रदान किया गया।
- मैसर्स एसवाई एक्वा अमेरिकाज आईएनसी, फ्लोरिडा, यूएसए द्वारा 22 अक्टूबर, 2019 को पेश की गई प्रस्तुति के आधार पर सूची में भारतीय हैचरियों में एसपीएफ एल. वन्नामेई ब्रूडस्टॉक के विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध करने के लिए तकनीकी मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर ध्यान दिया गया था और उन्हें अनुमोदित किया गया था।
- सैदापेट में सीएए कार्यालय को नए परिसर में स्थानांतरित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था।
- सीए एंड जी लेखापरीक्षा से पहले वर्ष 2019–20 के लिए सीएए के मसौदा वार्षिक लेखाओं को अनुमोदित किया गया था।

तकनीकी मूल्यांकन समिति ने एसपीएफ एल. वन्नामेई के ब्रूडस्टॉक की आपूर्ति के लिए मैसर्स एसवाई एक्वा अमेरिकाज आईएनसी, फ्लोरिडा, यूएसए की सिफारिश की थी और अनुमोदित किया था। इस पर ध्यान दिया गया था और अनुमोदित किया गया था।



जलीय संगरोध सुविधा की निगरानी पर तकनीकी समिति की बैठकें

तमिलनाडु के नीलांकरई में जलीय संगरोध सुविधा, एनएफडीबी से वित्तीय सहायता के साथ स्थापित की गई थी और यह एमपीईडीए के आरजीसीए द्वारा प्रबंधित और प्रचालित की जाती है। इस सुविधा का उपयोग अब आयातित ब्रूडस्टॉक विशिष्ट रोगजनक मुक्त (एसपीएफ) एल.वन्नामेई और एसपीएफ पी.मोनोडॉन को संगरोध करने के लिए किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर एसपीएफ पैरेंट पोस्ट लार्वा (पीपीएल) का संगरोध भी किया जाता है। तकनीकी समिति में एनएफडीबी, सीआईबीए, एमपीईडीए, आरजीसीए एक्यूसीएस, डीओएफ और सीएए के सदस्यों को शामिल किया गया है।

चेन्नई के नीलांकरई में जलीय संगरोध सुविधा (एक्यूएफ) के कामकाज की देखरेख और निगरानी के लिए गठित विशेषज्ञ तकनीकी समिति की 18वीं बैठक 10 जनवरी, 2020 को आयोजित की गई थी। इन बैठकों का उद्देश्य एक्यूएफ में तकनीकी चिंताओं और प्रचालन पर चर्चा तथा समाधान करना था और इस बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय तालिका 3.1 में प्रस्तुत किए गए हैं।



तालिका 3.1. 10 जनवरी 2020 को जलीय संगरोध सुविधा की निगरानी के लिए 18वीं तकनीकी समिति की बैठक के प्रमुख निर्णय

- भारत में एसपीएफ एल. वन्नामेई के आयात के लिए वास्तविक शिपमेंट से पहले सीमा–पूर्व संगरोध के लिए विंडो अवधि की समय–सीमा को प्रचलित 20 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया था, ताकि आसान और त्वरित प्रलेखन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सके।
- बफर अवधि के बाद आने वाली किसी भी खेप के समायोजन को उपलब्धता के आधार पर आपातकालीन हैंडलिंग क्षेत्र में व्यवस्थित किया जाना था।
- एक्यूएफ सुविधा में खेप को खोलते समय आयातक और आपूर्तिकर्ता के प्रतिनिधित्व के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया था ताकि मृत्यु दर और आकार भिन्नता का निष्पक्ष और उचित निर्णय लिया जा सके। किसी एक प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में, कमियों की घोषणा पर खेप के आगमन के समय एक्यूएफ में मौजूद सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।
- खेप में ईएचपी रोगजनक की जांच के लिए क्यूबिकल उपयोक्ता शुल्क में 5,600/– रुपये की राशि तक वृद्धि की गई थी।
- पैरेंट पोस्ट लार्वा को संगरोध करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को सदस्यों के बीच परिचालित करने का निर्णय लिया गया था।
- पशुधन आयात अधिनियम, 2001 (2001 का अधिनियम 28) के प्रावधानों के अंतर्गत विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा झींगा के गुणवत्ता विशिष्ट रोगजनक मुक्त (एसपीएफ) ब्रूडस्टॉक और पैरेंट पोस्टलार्वे की आपूर्ति के लिए मसौदा नियम और शर्तें, जैसा कि एक्यूएफ के एसओपी के लिए किया गया था, को यथा प्रस्तावित अनुमोदित किया गया था।

विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से एसपीएफ एल. वन्नामेईध्पी. मोनोडॉन के ब्रूडस्टॉक के आयात के लिए समिति की बैठक

प्राधिकरण की 63वीं बैठक के दौरान लिए गए संकल्प के अनुसार, भारत में एसपीएफ झींगा ब्रूडस्टॉक की आपूर्ति से संबंधित मसौदा नियम और शर्तें तैयार की गई थीं, जिसमें जिम्मेदारियों, आपूर्तिकर्ताओं और आयातक हैचरियों की ओर से जवाबदेही, प्रदर्शन संकेतक और गैर–अनुपालन के लिए दंड प्रावधानों पर खंड थे।

मसौदा नियम और शर्तों पर चर्चा करने के लिए 27.8.2019 को एसपीएफ ब्रूडस्टॉक के विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के हैचरी प्रचालकों और भारतीय प्रतिनिधियों के साथ एक प्रारंभिक हितधारक परामर्श आयोजित किया गया था। इसके बाद, 22 अक्टूबर, 2019 को चेन्नई में पैनल में शामिल किया गया एसपीएफ ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं, हैचरी प्रचालक, एक्यूएफ और अन्य के विदेशी प्रिंसिपलों के साथ एक हितधारक परामर्श आयोजित किया गया था।

विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के लिए नियम और शर्तें

भारत में हैचरियों के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा गुणवत्ता विशिष्ट रोगजनक मुक्त (एसपीएफ) ब्रूडस्टॉक और झींगा के पैरेंट पोस्ट लार्वा की आपूर्ति के लिए नियम और शर्तें तैयार की गई थीं।

इन बैठकों के माध्यम से प्राप्त सुझावों के आधार पर, भारत में हैचरियों को विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा गुणवत्ता विशिष्ट रोगजनक मुक्त (एसपीएफ) ब्रूडस्टॉक और झींगा के पैरेंट पोस्ट लार्वे की आपूर्ति के लिए नियम तथा शर्तों का एक संशोधित मसौदा तैयार किया गया था।

इसे 16 अक्टूबर, 2019 को सीएए, चेन्नई में सीएए, एक्यूसीएस और एक्यूएफ के अधिकारियों की एक समन्वय समिति के समक्ष रखा गया था, जिसमें समिति ने भारत में हैचरियों को विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा गुणवत्ता विशिष्ट रोगजनक मुक्त (एसपीएफ) ब्रूडस्टॉक और झींगा के पैरेंट पोस्टलार्वे की आपूर्ति के लिए नियम और शर्तों पर सहमति व्यक्त की थी।

भारत में हैचरी के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा गुणवत्ता विशिष्ट रोगजनक मुक्त (एसपीएफ) ब्रूडस्टॉक और झींगा के मूल पोस्टलार्वा की आपूर्ति के लिए नियमों और शर्तों का अंतिम मसौदा हितधारकों के सभी उचित विचारों को शामिल करते हुए एक्यूएफ पर तकनीकी समिति के समक्ष रखा गया था। 18वीं बैठक दिनांक 10.01.2020 को हुई।

तकनीकी समिति ने मसौदा नियम और शर्तों पर अनुमोदन प्रदान किया था और मंत्रालय द्वारा पशुधन आयात अधि नियम, 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत इसे अधिसूचित करने की सिफारिश की थी, जैसाकि एक्यूएफ के एसओपी के लिए किया गया था।

तदनुसार, मंत्रालय से 10.01.2020 को ही अनुरोध किया गया था कि वह भारत में हैचरियों को विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा गुणवत्ता विशिष्ट रोगजनक मुक्त (एसपीएफ) ब्रूडस्टॉक और झींगा के पैरेंट पोस्ट लार्वे की आपूर्ति के लिए नियम और शर्तों को अधिसूचित करे।

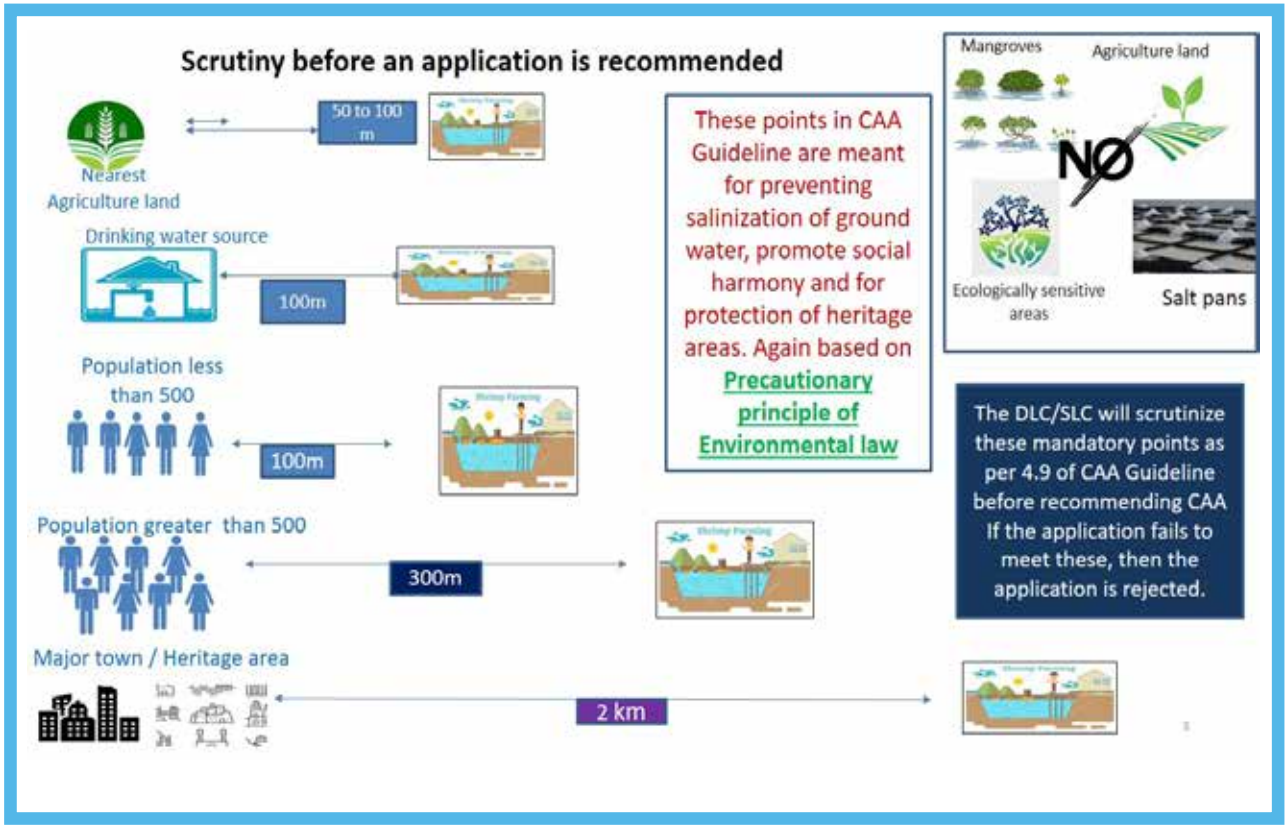
तटीय एक्वाकल्चर फार्मों के पंजीकरण का पंजीकरण और नवीनीकरण



4 तटीय एक्वाकल्चर फार्मों के पंजीकरण का पंजीकरण और नवीनीकरण

सीएए अधिनियम, अधिनियम में यथा परिभाषित तटीय क्षेत्र में प्रचालन कर रहे देश के सभी तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण का अधिकार देता है। जिला स्तरीय समितियों को नए पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं और 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले फार्मों के आवेदनों को उचित जांच के बाद सीएए को अनुशंसित किया जाता है।

बड़े फार्मों (2 हेक्टेयर से अधिक जल प्रसार क्षेत्र) के आवेदनों की सिफारिश राज्य स्तरीय समिति को की जाती है जो सीएए नियमों के तहत निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा करती है। संतुष्टि होने पर एसएलसी पंजीकरण पर विचार करने के लिए सीएए हेतु आवेदन की सिफारिश करता है।



सीएए के दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मैंग्रोव, कृषि भूमि, नमकीन भूमि, अभयारण्यों और समुद्री पार्कों जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों का उपयोग झींगा पालन के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यह दिशानिर्देश विरासत स्थलों, सामान्य संसाधन उपयोग, भूजल और अन्य पर्यावरणीय रूप से प्रासंगिक बिंदुओं को भी महत्व देते हैं, जिससे आर्थिक विकास और पर्यावरण स्थिरता के बीच एक अच्छा संतुलन सुनिश्चित होता है।

सीएए खेतों के पंजीकरण के लिए जिला और राज्य स्तरीय समितियों द्वारा अनुशंसित और अग्रेषित आवेदनों की जांच करता है और इसे नियमित आधार पर दो महीने में एक बार आयोजित प्राधिकरण की बैठकों में पेश करता है। चालू वर्ष में, प्राधिकरण ने फार्मों के पंजीकरण के लिए 775 आवेदनों पर विचार किया था और मंजूरी दी थी तथा प्रमाणपत्र सीधे किसानों को जारी किए गए थे। लौटाए गएध्अप्राप्य प्रमाण पत्र प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए प्रोटोकॉल के अनुसार राज्यों के संबंधित डीएलसीध्एसएलसी के सदस्य संयोजकों को भेजे गए थे। पंजीकृत फार्मों का विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट www.बं.हवअ.पद पर अंतिम उपयोगकर्ताओं को भी उपलब्ध कराया जाता है, जिसे समय–समय पर अद्यतन किया जाता है।

2006 से मार्च 2020 तक राज्यवार सीएए पंजीकृत फार्म

पूर्वी और पश्चिमी तटों में फैले, 9 समुद्री राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में 66 जिला स्तर की समितियां हैं, जिनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीप केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की 12 समितियां भी फार्मों के पंजीकरण तथा नवीनीकरण में सीएए का समर्थन कर रही हैं। पिछले 15 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्तर के तटीय जलकृषि फार्मों का विवरण नीचे दिया गया है।

- सीएए के गठन के तुरंत बाद, 2006–07 के दौरान, कुल क्षेत्रफल 1856.61 हेक्टेयर और 1352.3 हेक्टेयर के जल प्रसार क्षेत्र के साथ केवल 1334 फार्म थे। 2019–20 तक यह बढ़कर 39134 पंजीकृत फार्मों तक पहुंच गया है, जिसमें 40838.53 हेक्टेयर के जल प्रसार क्षेत्र (डब्ल्यूएसए) के साथ 59741.48 हेक्टेयर का कुल क्षेत्र शामिल है (तालिका 4.1)।
- मार्च 2020 तक, 51 प्रतिशत पंजीकृत फार्म आंध्र प्रदेश में हैं, इसके बाद ओडिशा (26%), पश्चिम बंगाल (10%) और तमिलनाडु (5%) हैं। अन्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फार्मों की संख्या राष्ट्रीय कुल के 4 प्रतिशत से कम थी।

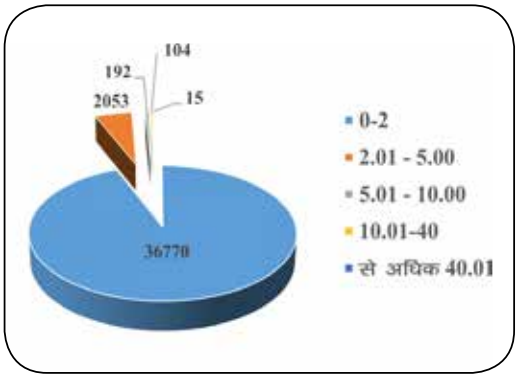
छोटे किसान बहुसंख्यक हैं

देश में अधिकांश (89%) फार्म 2 हेक्टेयर डब्ल्यूएसए से कम हैं। 2.01 से 5.0 हेक्टेयर आकार के थोड़े बड़े फार्म 9 प्रतिशत थे और केवल 0.9 प्रतिशत खेत 5.01 से 10 हेक्टेयर श्रेणी में थे।

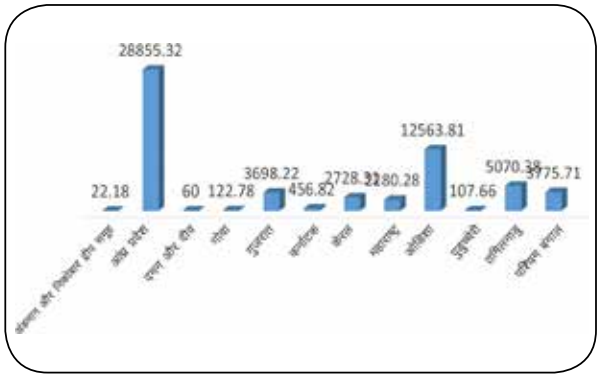
- देश में अधिकांश (89%) फार्म 2 हेक्टेयर डब्ल्यूएसए से कम हैं। 2.01 से 5.0 हेक्टेयर आकार के थोड़े बड़े फार्म 9 प्रतिशत थे और केवल 0.9 प्रतिशत खेत 5.01 से 10 हेक्टेयर की श्रेणी में थे और 0.1 प्रतिशत 10.01 से 40 हेक्टेयर के बड़े आकार के समूह में थे। केवल 4 खेत 40 हेक्टेयर से ऊपर थे (तालिका 4.1)।

तालिका 4.1 2005 – 2020 तक सीएए द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्रों का विवरण

राज्य	विभिन्न क्षेत्र श्रेणियों में फार्मों की संख्या						क्षेत्रफल हेक्टेयर में	
	0-2	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01-40	40.01 से अधिक	कुल	टीएफए (है.)	डब्ल्यूएसए (है.)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3	1	0	0	0	4	22.18	5.29
आंध्र प्रदेश	19374	479	85	56	7	20001	28855.32	20149.81
दमन और दीव	0	12	0	0	0	12	60.00	38.4
गोवा	23	13	2	1	0	39	122.78	91.01
गुजरात	146	668	7	1	2	824	3698.22	2645.53
कर्नाटक	270	38	1	1	0	310	456.82	346.94
केरल	1167	202	12	4	0	1385	2728.31	1870.58
महाराष्ट्र	134	111	18	19	6	288	2280.28	1446.19
ओडिशा	10235	68	20	18	0	10341	12563.81	7864.51
पुडुच्चेरी	57	5	1	0	0	63	107.66	81.1
तमिलनाडु	1415	446	46	4	0	1911	5070.38	3743.14
पश्चिम बंगाल	3946	10	0	0	0	3956	3775.71	2556.03
सकल जोड़	**36770**	**2053**	**192**	**104**	**15**	**39134**	**59741.47**	**40838.53**



चित्र 1: खेतों का पंजीकरण (क्षेत्रवार) में 2005–2020 तक सभी तटीय राज्य



चित्र 2: फार्मों का पंजीकरण (राज्यवार) कुल मिलाकर 2005–2020 के दौरान तटीय राज्य

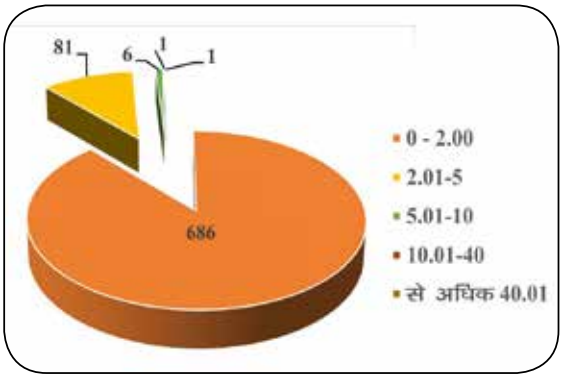
अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान फार्मों का पंजीकरण

चालू वर्ष के दौरान पंजीकृत 775 फार्मों का कुल क्षेत्रफल 552 हेक्टेयर के जल प्रसार क्षेत्र के साथ 825 हेक्टेयर था।

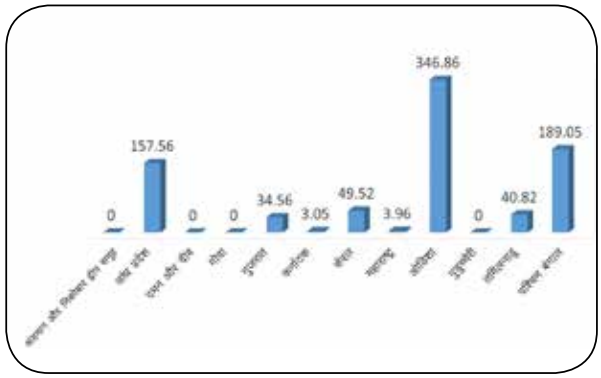
- सबसे अधिक आवेदन ओडिशा (310 सं.) से थे, इसके बाद पश्चिम बंगाल (258 सं.) और आंध्र प्रदेश (136 सं.) थे। (तालिका 4.2)
- 2 हेक्टेयर क्षेत्र से कम आकार के छोटे फार्मों के मालिक आवेदकों ने 88.5 प्रतिशत, इसके बाद 2.01 से 5 हेक्टेयर (10%) के फार्म तैयार किए थे। 5 हेक्टेयर से अधिक से 40 हेक्टेयर के अधिक बड़े किसान एक प्रतिशत से कम थे और 40 हेक्टेयर क्षेत्र से बड़े क्षेत्र का कोई आवेदन नहीं था।

तालिका 4.2. अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक सीएए द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्रों का विवरण

राज्य	विभिन्न क्षेत्र श्रेणियों में फार्मों की संख्या						क्षेत्र (हे.)	
	0 - 2.00	2.0-1-5	5.01-10	10.01-40	40.01 से अधिक	कुल	टीएफए (हे.)	डब्ल्यूएसए (हे.)
पश्चिम बंगाल	246	9	3	0	0	258	189.05	120.22
ओडिशा	275	34	1	0	0	310	346.86	207.61
आंध्र प्रदेश	122	13	1	0	0	136	157.56	117.98
तमिलनाडु	27	4	0	0	0	31	40.82	31.59
पुडुच्चेरी	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
केरल	11	7	1	1		20	49.52	44.07
कर्नाटक	3	0	0	0	0	3	3.05	2.15
गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
महाराष्ट्र	0	0	0	0	1	1	3.96	2.9
गुजरात	2	14	0	0	0	16	34.56	26.29
दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
ए एंड एन द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	**686**	**81**	**6**	**1**	**1**	**775**	**825.38**	**552.81**



चित्र 3: खेतों का पंजीकरण (क्षेत्रवार) में अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक सभी तटीय राज्य



चित्र 4: खेतों का पंजीकरण (राज्यवार) में अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक सभी तटीय राज्य

तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण का नवीनीकरण

तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण का नवीनीकरण अनिवार्य है और पंजीकरण अवधि की समाप्ति से दो महीने पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा। अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के बाद डीएलसी द्वारा प्राप्त आवेदन को एक नया आवेदन माना जाएगा। पंजीकरण प्रक्रिया सितंबर 2012 से चल रही है और मार्च 2020 तक पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए 14265.31 हेक्टेयर (डब्ल्यूएसए 9930 हेक्टेयर) के कुल क्षेत्रफल के साथ लगभग 7688 फार्मों को अनुमोदित किया गया था।

तालिका 4.3. सितंबर 2012 से मार्च 2020 तक सीएए द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्रों के नवीनीकरण का विवरण।

राज्य का नाम	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर) के अंतर्गत फार्मों की संख्या						फार्म का क्षेत्रफल	
	0-2.00	2.01-5.00	5.01-10.00	10.01-40.00	40.01 से अधिक	फार्मों की सं.	टीएफए	डब्ल्यूएसए
आंध्र प्रदेश	4381	122	9	10	3	4525	7300.33	5226.46
गोवा	17	6	1	0	0	24	67.63	48.50
गुजरात	18	176	0	2	1	196	990.55	706.26
कर्नाटक	51	6	1	0	0	58	95.73	76.72
केरल	179	67	3	0	0	249	414.11	312.98
महाराष्ट्र	76	20	16	6	2	120	834.72	556.54
ओडिशा	1589	72	3	6	1	1671	2746.13	1668.84
पुडुच्चेरी	5	0	0	0	0	5	15.48	12.07
तमिलनाडु	654	161	5	0	0	820	1745.77	1286.40
पश्चिम बंगाल	11	0	0	0	0	11	9.86	6.23
दमन और दीव	0	9	0	0	0	9	45.00	29.00
ए एंड एन द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
कुल	**6981**	**639**	**38**	**24**	**7**	**7688**	**14265.31**	**9930.00**

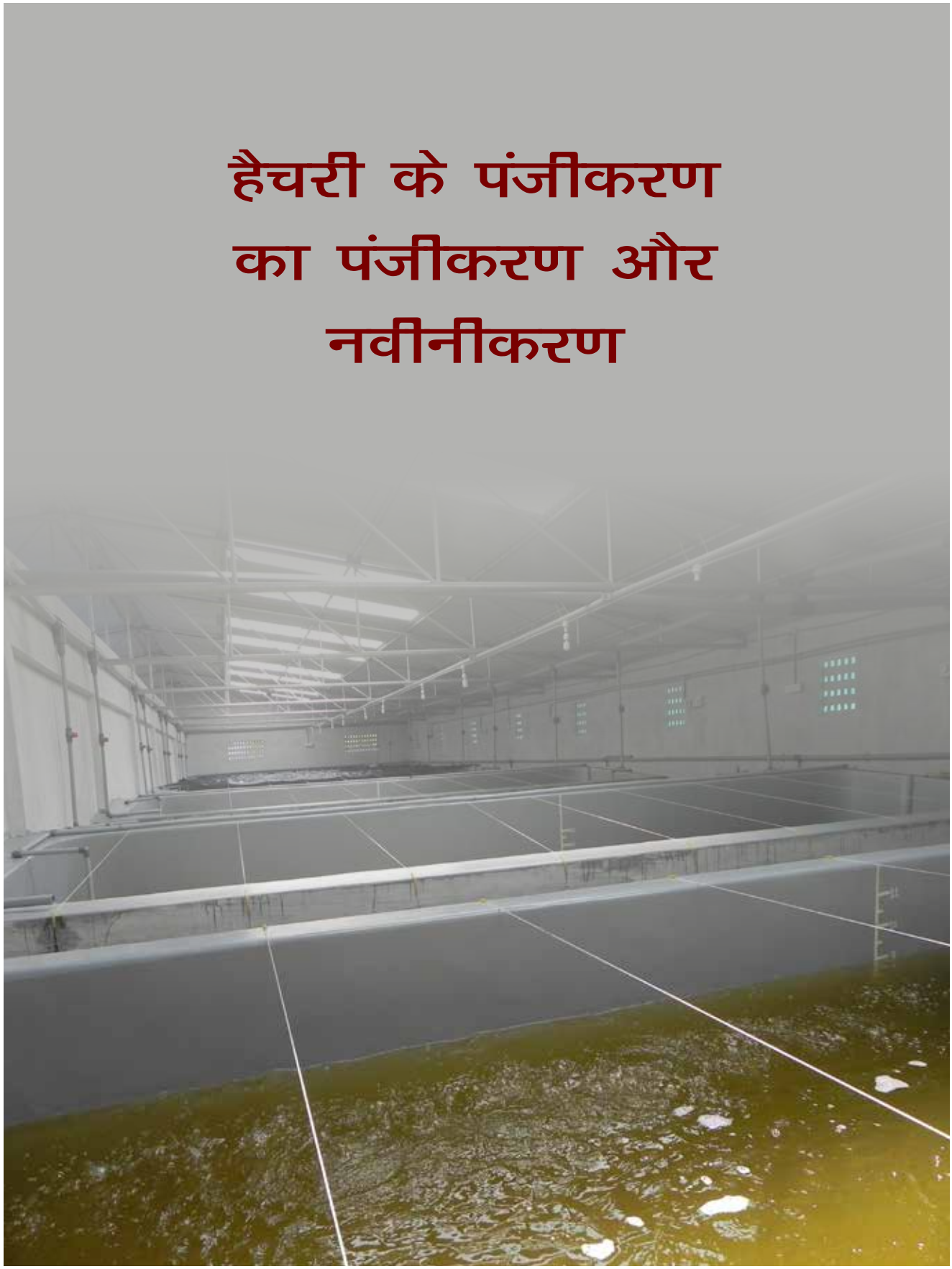
चालू वर्ष (अप्रैल 2019 से मार्च 2020) के दौरान नवीनीकृत फार्मों का राज्यवार विवरण

- कुल मिलाकर, कुल 871 हेक्टेयर (डब्ल्यूएसए 579 हेक्टेयर) क्षेत्र वाले किसानों से 277 आवेदन प्राप्त हुए थे, और इसे प्राधिकरण द्वारा नवीनीकरण के लिए अनुमोदित किया गया था और उस आशय का समर्थन मूल पंजीकरण प्रमाणपत्रों में किया गया है। चालू वर्ष (अप्रैल 2019 से मार्च 2020) के दौरान नवीनीकृत फार्मों का राज्य–वार ब्यौरा तालिका 4.4 में दिया गया है।

तालिका 4.4. अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक सीएए द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्रों के नवीनीकरण का विवरण

राज्यों का नाम	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर) के अंतर्गत फार्मों की संख्या						फार्म का क्षेत्र	
	0-2.00	2.01-5.00	5.01-10.00	10.01-40.00	40.01 से अधिक	कुल	टीएफए (है.)	डब्ल्यूएसए (है.)
पश्चिम बंगाल	4	0	0	0	0	4	3.86	2.23
ओडिशा	86	19	0	0	0	105	140.97	84.04
आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	63	27	0	0	0	90	147.67	114.3
पुडुच्चेरी	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
केरल	22	13	2	0	0	37	75	57.32
कर्नाटक	4	0	0	0	0	4	3.48	3.01
गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
महाराष्ट्र	0	12	6	6	2	26	486.05	308.24
गुजरात	9	2	0	0	0	11	14.44	10.06
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
ए एंड एन द्वपी समूह	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
कुल	**188**	**73**	**8**	**6**	**2**	**277**	**871.47**	**579.2**

हैचरी के पंजीकरण का पंजीकरण और नवीनीकरण



5 हैचरी के पंजीकरण का पंजीकरण और नवीनीकरण

स्वस्थ बीज लाभदायक और टिकाऊ जलकृषि के लिए प्रमुख आदानों में से एक है। तटीय जलकृषि फार्मों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली हैचरियां सीएए द्वारा पंजीकृत हैं और वे दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करती हैं। इस प्रकार सीएए पंजीकृत निजी और सरकारी हैचरियां एल. वन्नामेई, पी.मोनोडॉन, फिन मछली और केकड़े के बीज का उत्पादन करती हैं, जिनका उपयोग भारतीय तट पर फैले तटीय जलकृषि किसानों द्वारा किया जाता है।

एल.वन्नामेई के मामले में, जो एक गैर–देशी प्रजाति (विदेशी) है, एसपीएफ ब्रूडस्टॉक को राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी), केंद्रीय खारा जलजीव पालन अनुसंधान संस्थान (सीआईबीए), राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरों (एनबीएफजीआर), समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) और सीएए के सदस्यों वाली एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर सीएए द्वारा पैनल में शामिल किए गए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से आयात किया जाता है।

विशेषज्ञ समिति ने एसपीएफ पी.मोनोडन ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं को भी मंजूरी दे दी है। आयातित ब्रूडस्टॉक का संगरोध एमपीईडीए के आरजीसीए द्वारा प्रचालित जलीय संगरोध सुविधा (एक्यूएफ) में किया जाता है। सीएए एक तकनीकी समिति का नेतृत्व करता है जो एक्यूएफ के कामकाज की निगरानी करती है।

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, नई हैचरियों के आवेदनों की जांच और अनुमोदन किया गया था। साथ ही, जिन हैचरियों के पंजीकरण नवीनीकरण के लिए होने वाले थे, उन पर विचार किया गया। समिति के सदस्यों के साथ सीएए कर्मचारियों ने ब्रूडस्टॉक पालन सुविधाओं पर विचार किया है और एसपीएफ ब्रूडस्टॉक के आयात के लिए वार्षिक आबंटन जारी किया है।

सीएए, नौपल्ली की आपूर्ति और पालन के लिए हैचरियों के बीच समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी देता है। नौपल्ली पालन केंद्र नामक ये इकाइयां मूल रूप से सभी जैव सुरक्षा उपायों और ईटीएस के साथ हैचरियां हैं।

सीएए पंजीकृत हैचरियां

झींगा (हैचरियां और नौपल्ली पालन केंद्र) की बीज उत्पादन इकाइयां सीएए में पंजीकृत हैं। कुल मिलाकर 437 इकाइयां हैं जिनमें एल. वन्नामेई और पी. मोनोडॉन की बीज उत्पादन इकाइयां शामिल हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता 43,361 मिलियन बीज प्रतिवर्ष है। ये पांच समुद्री राज्यों, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात, कर्नाटक, केरल और पश्चिम बंगाल में फैले हुए हैं। कुल उत्पादन इकाइयों में से 77% का योगदान देने वाली अधिकांश इकाइयां (346 इकाइयां) आंध्र प्रदेश में हैं, इसके बाद तमिलनाडु (18%), गुजरात (2%) और ओडिशा (1.5%) हैं।

सीएए ने बेहतर गुणवत्ता वाले एसपीएफ एल. वन्नामेई बीजों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपायों को लागू किया हैरू

हैचरियों के पंजीकरण के संबंध में सीएए नियम, 2005 के दिशा–निर्देशों अनुलग्नक–1 में संशोधन डीएएचडी एंड एफ द्वारा जारी किया गया था ताकि तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा तटीय क्षेत्रों में सभी झींगा हैचरियों (पी. मोनोडॉन सहित) को शामिल किया जा सके।

भारत में एसपीएफ लिटोपेनियस वन्नामेई कल्चर के महत्वपूर्ण विनियम – भारत सरकार ६ सीएए से जारी अधिसूचनाएं और सलाह

2008: पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा 1898 (पशुधन आयात अधिनियम, 2001 द्वारा यथा संशोधित) के तहत हैचरियों को पंजीकृत करने और एसपीएफ एल. वन्नामेई के ब्रूडस्टॉक के आयात के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए दिनांक 15 अक्टूबर, 2008 की अधिसूचना जारी की गई थी।

2009: तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2009 एसपीएफ एल. वन्नामेई की शुरूआत के लिए हैचरियों और फार्मों को विनियमित करने के लिए दिशा–निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें एल. वन्नामेई के प्रजनन के लिए मानदंड, एसपीएफ एल. वन्नामेई बीजों के उत्पादन और बिक्री के लिए तकनीकी आवश्यकताओंध्प्रक्रियाओं तथा फार्मों के अनुमोदन एवं प्रचालन के लिए विशिष्ट मानदंड तथा विनियम निर्धारित किए गए हैं।

2012: सीएए नियम, 2005 में संशोधन करते हुए मार्च, 2012 में अधिसूचनारू हैचरी प्रचालकों और झींगा किसानों द्वारा सुचारू प्रचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए, (प) वयस्क ब्रूडस्टॉक के पालन के लिए एल. वननामेई 10 ग्राम तक के एसपीएफ किशोरों को आयात करने की अनुमति देना, (पप) अनुमत हैचरियों के बीच नौपल्ली की बिक्री और (पपप) पर्याप्त शुष्क अवधि के बाद एक प्रजाति के कल्चर को दूसरी प्रजाति में स्थानांतरित करना। यह अधि ासूचना अनधिकृत स्टॉक को नष्ट करके या सीएए के निरीक्षण दल द्वारा स्टॉक के त्याग और निपटान के माध्यम से एल. वन्नामेई के अनधिकृत बीज उत्पादन और खेती से निपटने के लिए निरीक्षण प्रक्रिया को भी मजबूत करती है।

2015: 16 फरवरी 2015 की अधिसूचनारू पी.मोनोडॉन के लिए पंजीकृत फार्मों को शून्य जल विनिमय के बाद कम स्टॉकिंग घनत्व वाले एल. वन्नामेई कल्चर करने की अनुमति देने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं। सीएए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप सीएए द्वारा तटीय क्षेत्रों में सभी झींगा हैचरियों (पी. मोनोडॉन सहित) के पंजीकरण के संबंध में सीएए नियम, 2005 के अनुबंध–1 में दिशानिर्देशों में नवंबर 2015 में संशोधन किया गया।

- निरीक्षण की सिफारिश के आधार पर अनुमोदन प्रदान करके हैचरियों के पंजीकरण हेतु प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है।
- प्रत्येक वर्ष एलओपी जारी करने के निपटान के लिए हैचरियों को एलओपी जारी करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली शुरू की गई है, जिसके द्वारा डीएएचडीएंडएफ प्रत्येक हैचरी की अनुशंसित क्षमता के अनुसार एसआईपी जारी करता है जैसा कि पंजीकरण प्रमाणपत्र में दर्शाया गया है।
- सीएए अनुमोदित एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि आदानों के उपयोग की वकालत की गई है ताकि कल्चर किए गए उत्पाद में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले एंटीबायोटिक मुक्त बीजों की आपूर्ति बढ़ाई जा सके।
- अग्रणी हैचरी की उत्पादन क्षमता के आधार पर हैचरी के संघ का अनुमोदन जारी रखा गया है ताकि भागीदार हैचरियों (जो खराब परिपक्वता प्रदर्शन करते हैं) को परिसंघ की अग्रणी हैचरी में नौपल्ली उत्पादन करने में मदद मिल सके।

तटीय जलकृषि के लिए बीज उत्पादन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का विवरण नीचे दिया गया है।

विदेशी ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं को पैनल में शामिल करना और भारतीय हैचरियों द्वारा आयात करना

सीएए को मैसर्स बेंचमार्क जेनेटिक्स, कोना, हवाई और मैसर्स एसवाई एक्वा अमेरिका, फ्लोरिडा, यूएसए से भारतीय हैचरियों को एसपीएफ एल. वन्नामेई ब्रूडस्टॉक की आपूर्ति के प्रस्ताव

(प) संस्थापक आबादी के स्रोत और उत्पत्ति (पप) अपनाए गए चयन कार्यक्रम (पपप) पीढ़ी की वर्तमान स्थिति (पअ) वर्तमान ब्रूडस्टॉक संतति का क्षेत्र प्रदर्शन (अ) एसपीएफ और ओआईई मानकों के संबंध में और ईएमएस के बिना ब्रूडस्टॉक की स्वास्थ्य और (अप) ईओआई के नियमों और शर्तों पर सहमति योग्य और सीआईबीए, एनएफडीबी और एमपीईडीए जैसे संगठनों में डोमेन विशेषज्ञों के साथ गहन चर्चाओं पर आधारित है।

तकनीकी मूल्यांकन समिति ने दोनों आपूर्तिकर्ताओं की सिफारिश की और सीएए में चयन समिति के समक्ष 22 अक्टूबर, 2019 को एक प्रस्तुति पेश की थी। इस समिति में सीआईएफई, सीआईबीए (2), एनबीएफजीआर (2), आरजीसीए (एमपीईडीए) (2) विशेषज्ञ, एआईएसएचए, एसएपी, एसईएआई (2), अध्यक्ष के रूप में सदस्य सचिव, सीएए के प्रतिनिधि शामिल हैं।

चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर मैसर्स एसवाई एक्वा अमेरिकाज आईएनसी, फ्लोरिडा, यूएसए के प्रस्ताव को सीएए द्वारा अनुमोदित किया गया है और सीएए के नियमों तथा शर्तों की स्वीकृति के अधीन एसपीएफ एल. वन्नामेई के विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की सूची में सूचीबद्ध किया गया।

समिति ने आदेश की तारीख से छह महीने की संक्षिप्त अवधि के बाद मैसर्स बेंचमार्क जेनेटिक्स के प्रस्ताव की समीक्षा करने की सिफारिश की थी। पैनल में शामिल किए जाने की अधि ासूचना प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी।

समिति ने मार्च 2020 के महीने में एसपीएफ एल. वन्नामेई के ब्रूडस्टॉक की आपूर्ति के लिए ग्यारह आपूर्तिकर्ताओं और एसपीएफ पी. मोनोडॉन के ब्रूडस्टॉक की आपूर्ति के लिए दो आपूर्तिकर्ताओं की सिफारिश की थी और उन्हें अनुमोदित किया था।

मैसर्स एसवाई एक्वा अमेरिकाज आईएनसी, फ्लोरिडा, यूएसए के आपूर्तिकर्ता का विवरण वर्ष 2019–20 के दौरान विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की सूची में शामिल किया गया था और 17.02.2020 को सीएए वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया गया था और डीएएचडीएंडएफ को केवल इन स्रोतों से एसपीएफ एल. वन्नामेई और पी. मोनोडॉन ब्रूडस्टॉक के आयात के लिए एसआईपी जारी करने के लिए सूचित किया गया है।

दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में ईएमएस की व्यापकता के कारण आयातकों को इन स्त्रोतों से ब्रूडस्टॉक का आयात करते समय उचित सावधानी बरतने की सलाह दी गई थी। बाद में उन्हें सलाह दी गई कि चूंकि ओआईई (विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन) ने आधिकारिक तौर पर एशियाई क्षेत्र के चार देशों (चीन, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम) को ईएमएस प्रभावित होने की सूचना दी थी, इसलिए अन्य देशों से ब्रूडस्टॉक के आयात, जिन्हें ईएमएस से मुक्त बताया गया है, को निर्यातक देशों से आवश्यक प्रमाणीकरण प्रस्तुत करने और सीमा–पूर्व संगरोध आवश्यकताओं को पूरा करने पर विचार किया जा सकता है।

एसपीएफ एल.वन्नामेई ब्रूडस्टॉक का आयात

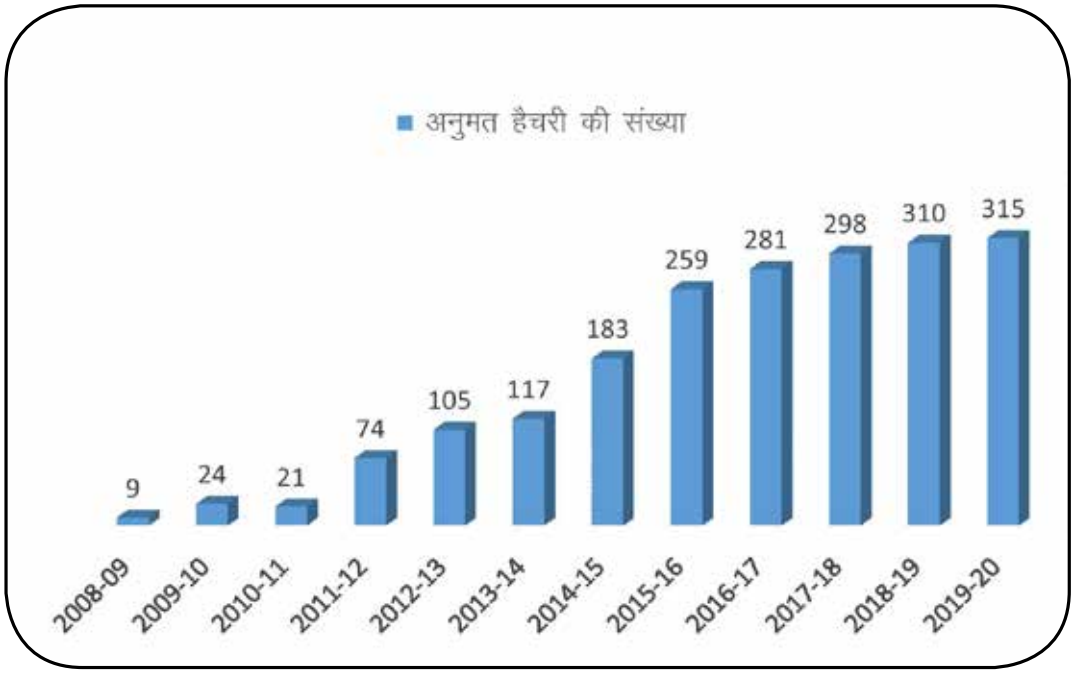
सीएए द्वारा प्रकाशित दिशानिर्देशों में संगरोध, आयात परमिट, पत्तन प्रवेश, सीमा–पूर्व संगरोध आवश्यकताओं और आयातित ब्रूडस्टॉक के आगमन पर संगरोध आवश्यकताओं, कीटाण ुशोधन विधियों तथा अन्य परिचालन विवरणों के लिए जैव सुरक्षा आवश्यकताएं दी गई हैं। एल. वन्नामेई ब्रूडस्टॉक के लगभग 4,07,700 जोड़ों को पंजीकृत हैचरियों द्वारा आयात के लिए अनुमति दी गई थी। अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 की अवधि के दौरान पैनल में शामिल किए गए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से कुल 1,24,957 ब्रूडस्टॉक का आयात किया गया था (तालिका 5.1)।

भारत में एसपीएफ एल.वन्नामेई हैचरियों की संख्या में वृद्धि

दस वर्षों की छोटी अवधि में भारत में एल. वन्नामेई हैचरियों में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की गई है। वर्ष 2009 से मार्च, 2022 तक 43361 मिलियन बीजों की उत्पादन क्षमता के साथ तटीय राज्यों में फैले कुल 315 एसपीएफ एल. वन्नामेई हैचरियों और 122 नौपल्ली पालन हैचरियों (एनआरएच) को अनुमोदन प्रदान किया गया था (तालिका 5.1)।

तालिका 5.1. सीएए की स्थापना के बाद से (जुलाई 2009 से मार्च 2020 तक) भारत में सीएए अनुमोदित एल. वननामेई हैचरियों का विवरण

वर्ष	अनुमत हैचरियों की सं.	उत्पादन क्षमता (मिलियन पीएल)	अनुमत (जोड़े)	आरजीसीए के बीएमसी द्वारा आपूर्ति किए गए ब्रूडस्टॉक जोड़े	आयातित (जोड़े)
2008-09	9	-	-		-
2009-10	24	615	15,300		**12,367**
2010-11	21	1329	16100		**10733**
2011-12	74	5608	48720		**18980**
2012-13	105	8295	66360		**64580**
2013-14	117	8776	70,208		**52,818**
2014-15	183	13928	165156		**99899**
2015-16	259	24209	302632	9077	**84729**
2016-17	281	26783	339300	11065	**102360**
2017-18	298	29155	368300	16015	**1,28,550**
2018-19	310	31568	396700	9220	**115570**
2019-20	315	32518	407700	2025	**1,24,957**



चित्र 5.1: भारत में सीएए द्वारा अनुमोदित एल. वन्नामेई हैचरी (जुलाई 2009 से मार्च 2020 तक)

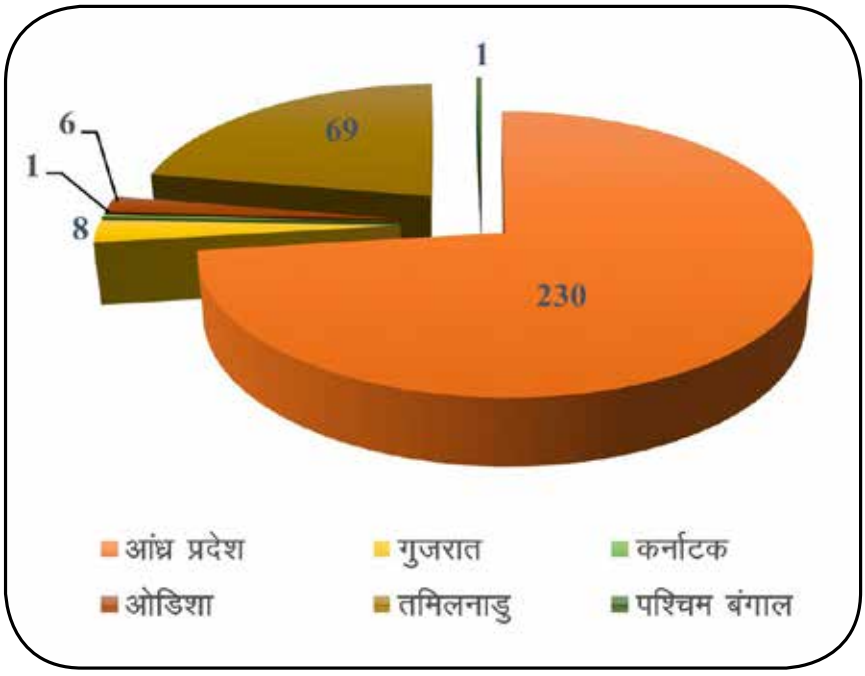
2019–20 में हैचरियों का राज्यवार पंजीकरण

पांच नई हैचरियों को एसपीएफ एल. वन्नामेई बीज उत्पादन के लिए अनुमति प्रदान की गई है। हैचरियों के जिलावार, राज्यवार वितरण और उनकी उत्पादन क्षमता का ब्यौरा तालिका 5.2 में दिया गया है।

तालिका 5.2. मार्च 2021 तक सीएए अनुमोदित एसपीएफ एल. वनमेई हैचरियों का राज्यवार वितरण।

आंध्र प्रदेश	जिला/ राज्य	हैचरियों की संख्या	बीज उत्पादन क्षमता (मिलियन / वर्ष)	अनुमत ब्रूडस्टॉक की संख्या (सं.)
1	**तमिलनाडु**			
	विल्लुपुरम	36	3240	**84000**
	कांचीपुरम	27	2069	**54000**
	नागपट्टिनम	4	550	**14800**
	कुड्डालोर	1	120	**3200**
	रामनाद	1	50	**1200**
	उप जोड़	69	6029	**157200**
2	**आंध्र प्रदेश**			
	नेल्लोर	72	7205	**179200**
	प्रकाशम	33	4955	**120000**
	गुंटूर	11	1753	**41000**
	ईस्ट गोदावरी	75	6577	**168000**
	विशाखापट्टणम	29	3062	**76000**
	विजयनगरम	8	810	**21200**
	श्रीकाकुलम	2	240	**6000**
	उप जोड़	230	24602	**611400**
3	**ओडिशा**			
	क) पुरी	1	90	**2400**
	ख) गंजम	5	492	**12000**
	उप–जोड़	6	582	**14400**

आंध्र प्रदेश	जिला/ राज्य	हैचरियों की संख्या	बीज उत्पादन क्षमता (मिलियन / वर्ष)	अनुमत ब्रूडस्टॉक की संख्या (सं.)
4	**गुजरात**			
	क) जूनागढ़	2	95	**2800**
	ख) वलसाड	1	40	**1200**
	ग) गिर–सोमनाथ	2	300	**7200**
	घ) पोरबंदर	3	560	**13600**
	उपजोड़	8	995	**24800**
5	**कर्नाटक**			
	उत्तर कन्नड	1	60	**1600**
6	**पश्चिम बंगाल**			
	पूर्व मेदिनीपुर	1	250	**6000**
	जोड़	**315**	**32518**	**815400**



चित्र 5.2: मार्च 2020 तक सीएए द्वारा अनुमोदित एसपीएफ एल. वन्नामेई हैचरियों का राज्य–वार वितरण।

एसपीएफ एल.वन्नामेई बीज उत्पादन के लिए नौपल्ली पालन हैचरियां (एनआरएच)

2014–15 की अवधि के दौरान, कई पंजीकृत हैचरियां परिपक्वता में देरी के कारण परिपक्वता सेक्शन के निर्माण में भारी निवेश के बाद भी और उपयुक्त तकनीकी व्यक्तियों की कमी के कारण भी परिपक्वता सुविधाओं का उपयोग नहीं कर रही थीं। कुछ हैचरियां ब्रूडस्टॉक की आबंटित संख्या का आयात किए बिना आस–पास की पंजीकृत हैचरियों से नौपली खरीदकर एल. वननामेई बीज उत्पादन पर निर्भर थीं। इसलिए, नौपली पालन हैचरियों (एनआरएच) को एक प्रामाणिक बीज उत्पादन इकाई के रूप में मान्यता दी गई थी और इसके परिणामस्वरूप पांच वर्षों की छोटी अवधि में भारत में एसपीएफ एल वननामेई के लिए एनआरएच की काफी वृद्धि हासिल की गई थी। एनआरएच की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, जो कार्यक्रम (2015–16) के शुरू होने के समय पांच थी और मार्च 2020 तक प्रति वर्ष 10843 मिलियन बीजों की उत्पादन क्षमता के साथ 122 इकाइयां थीं।

देश में सीएए की स्थापना (2015–16) से मार्च 2020 तक एसपीएफ एल. वन्नामेई हैचरियों के लिए अनुमोदित नौपल्ली पालन हैचरियों के विकास में रूझान प्रस्तुत किया गया है और हैचरियों के नौपल्ली पालन केंद्रों की वर्ष–वार वृद्धि तालिका 5.3 में दर्शाई गई है।

तालिका 5.3. स्थापना (2015–16) से मार्च 2020 तक भारत में नौपली पालन हैचरियों का विवरण

राज्य	जिला	संख्या की नौप्लि हैचरी पालन					उत्पादन क्षमता				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
आंध्र प्रदेश	ईस्ट गोदावरी	1	6	15	51	70	40	675	885	3648	5212
	प्रकाशम	2	1	3	8	8	125	40	415	885	885
	नेल्लोर	0	1	4	4	8	0	70	270	392	672
	विशाखापट्टणम			1	8	9			100	822	922
	विजयनगरम			1	5	5			60	440	440
	कृष्णा			1	6	4			60	294	177
	गुंटूर			1	3	3			80	258	258
	श्रीकाकुलम					1					160
तमिलनाडु	विलुपुरम	1	1	5		6	100	30	1615		1645
	कांचीपरुम				2	4				110	260
	नागापट्टणम				1	1				60	60
केरल	एरणाकुलम	1				1	2				2

राज्य	जिला	संख्या की नौप्लि हैचरी पालन					उत्पादन क्षमता				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
गुजरात	गिर–सोमनाथ		1			1					100
ओडिशा	गंजम					1		100			50
	जोड़	**5**	**10**	**31**	**88**	**122**	**267**	**915**	**3485**	**6909**	**10843**

जलकृषि आदानों पर विनियम



6 जलकृषि आदानों पर विनियम

डीएएचडीएंडएफ और वाणिज्य विभाग के साथ–साथ समुद्री खाद्य निर्यातक संघ द्वारा उत्पादों में एंटीबायोटिक दवाओं का पता लगाने के कारण हाल के दिनों में निर्यात के लिए समुद्री भोजन की बड़े पैमाने पर अस्वीकृति की सूचना पर चिंता व्यक्त की गई थी, सीएए को एक नियामक प्राधिकरण के रूप में झींगा हैचरियों और खेतों में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को रोकने के लिए सख्त उपाय करने हेतु अधिकार दिया गया है।

24 जुलाई 2015 को सीएए में झींगा फीड निर्माताओं के साथ आयोजित एक बैठक के बादय जलकृषि आदानों के लिए मानक विकसित करने हेतु समुद्री खाद्य निर्यातकों के साथ इस मुद्दे पर विचार–विमर्श किया गया। इस आशय का एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था जिसमें स्पष्ट किया गया था कि एक्वा किसानों और हैचरी प्रचालकों को अपनी सुविधाओं में केवल पंजीकृत आदानों का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी और परिणामस्वरूप जलकृषि आदानों के सभी निर्माताओं (स्वदेशी) और वितरकों (आयातित) को निर्देश दिया गया था कि वे अपने प्रत्येक उत्पाद को इस आशय की परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करके सीएए में पंजीकृत करें कि वे चिंताजनक एंटीबायोटिक दवाओं जैसेकि क्लोरैम्फेनिकॉल और नाइट्रोफुरन पैरेंट कंपाउंड और मेटाबोलाइट्स ख्फुराजोलिडोन–एओजेड, फुराल्टाडोन–एएमओजेड, नाइट्रोफरेशन–एएचडी और नाइट्रोफुराजोन (सेमीकार्बाजाइड)–एसईएम से मुक्त हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सीएए ने फीड एडिटिव, प्रोबायोटिक, लार्वा फीड, वयस्क फीड, रासायनिक, कीटाणुनाशक, इम्यूनोस्टिमुलेंट और ड्रग्स जैसी आठ श्रेणियों में 108 एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि आदान पंजीकृत किए हैं, जिनकी सूची सीएए की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। आठ श्रेणियों में से, 56% फीड एडिटिव्स (60 संख्याएं) हैं, इसके बाद प्रोबायोटिक्स (17%) (19संख्याएं) हैं (तालिका 6.1)।

13 राज्यों के कुल 3470 उत्पादों को सीएए द्वारा अनुपालन प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उत्पादों की अधिकतम संख्या (33%) आंध्र प्रदेश (1152 संख्या) से हैं, इसके बाद तेलंगाना (30%; 1012 संख्या) और तमिलनाडु (18%; 641 संख्या), कुल मिलाकर सीएए पंजीकृत एक्वा–आदानों में 81% योगदान हैं (तालिका 6.2)।

सभी राज्यों में प्राधिकरण द्वारा जारी की गई आठ श्रेणियों के अंतर्गत एंटीबायोटिक मुक्त आदानों के पंजीकरण की कुल संख्या तालिका 6.1 में दी गई है और एंटीबायोटिक मुक्त आदानों के संदर्भ में उनका राज्य–वार और वर्ष–वार पंजीकरण तालिका 6.2 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 6.1. 2015 – 2020 तक सीएए द्वारा जारी एंटीबायोटिक मुक्त आदानों (श्रेणी–वार) के पंजीकरण का विवरण

सं.	श्रेणी	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	कुल
1	रसायन	31	65	53	376	6	531
2	कीटाणुनाशक	11	35	55	180	5	286
3	ड्रग	1	2	1	5	0	9
4	फीड एडिटिव	72	281	208	859	60	1480
5	फीड एडल्ट	27	31	18	44	19	139
6	फीड लार्वा	37	11	14	23	2	87
7	इम्यूनोस्टिमुलेंट	4	12	19	57	3	95
8	प्रोबायोटिक	75	147	130	478	13	843
	कुल	**258**	**584**	**498**	**2022**	**108**	**3470**

तालिका 6.2. 2015 – 2020 तक सीएए द्वारा जारी एंटीबायोटिक मुक्त आदानों का पंजीकरण

सं.	श्रेणी	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	कुल
1	आंध्र प्रदेश	23	120	176	805	28	1152
2	दिल्ली	0	2	0	4	0	6
3	गुजरात	0	0	39	77	1	117
4	हरियाणा	0	0	3	17	8	28
5	कर्नाटक	15	17	20	82	10	144
6	मध्य प्रदेश	0	0	0	12	0	12
7	महाराष्ट्र	36	97	29	140	5	307
8	ओडिशा	0	0	0	4	0	4
9	तमिलनाडु	117	151	136	198	39	641
10	तेलंगाना	66	197	74	658	17	1012
11	उत्तर प्रदेश	0	0	11	12	0	23
12	उत्तराखंड	0	0	0	3	0	3
13	पश्चिम बंगाल	1	0	10	10	0	21
	कुल	**258**	**584**	**498**	**2022**	**108**	**3470**

7 पर्यावरण अनुवीक्षण और निगरानी



वर्ष 2019–20 के दौरान, सीएए निगरानी टीम ने तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल और पश्चिम बंगाल के विभिन्न राज्यों में स्थित 67 हैचरियों और 739 झींगा फार्मों का दौरा किया था। उत्पादन सुविधाओं का निरीक्षण और अभिलेखों का सत्यापन भी किया गया था। हैचरियों को प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार उचित रिकॉर्ड बनाए रखने की सलाह दी गई थी।

इन परिणामों से यह संकेत मिलता है कि फार्मों और हैचरियों सहित जलकृषि इकाइयों से छोड़े गए जल की गुणवत्ता निर्धारित सीमा के भीतर थी (तालिका 7.1) और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र जलकृषि द्वारा प्रदूषित नहीं है।

तालिका 7.1: सीएए नियमों के अनुसार जलकृषि फार्मों, हैचरियों, फीड मिलों और प्रसंस्करण इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्ट जल के उपचार के लिए मानक

क्र.सं.	मानदंड	अंतिम निर्वहन बिंदु	
		तटीय समुद्री जल	क्रीक या एस्टुरीन कोर्स जब एक ही अंतर्देशीय जल स्रोत का उपयोग जल स्रोत और निपटान बिंदु के रूप में किया जाता है
1	पीएच	6.0 - 8.5	6.0 - 8.5
2	निलंबित ठोस पदार्थ मि.ग्रा. /1	100	100
3	घुलित ऑक्सीजन मि.ग्रा.ध1	3 से अनाधिक	3 से अनाधिक
4	मुक्त अमोनिया (एनएच 3–एन के रूप में) मि.ग्रा. /1	1.0	0.5
5	बायोकेमिकल ऑक्सीजन मांग –बीओडी (5 दिन / 20 डिग्री सेल्सियस) मि.ग्रा. / 1 अधिकतम	50	20
6	रासायनिक ऑक्सीजन की मांग–सीओडी मि.ग्रा. / 1 अधिकतम	100	75
7	घुलित फॉस्फेट (पी के रूप में) मि.ग्रा. / 1 अधिकतम	0.4	0.2
8	कुल नाइट्रोजन (एन के रूप में) मि.ग्रा. / 1	2.0	2.0

8 आउटरीच गतिविधियाँ

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, सीएए समुद्री राज्यों में दूरदराज के क्षेत्रों का दौरा करके और अन्य अच्छी जलकृषि व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने में सक्रिय रूप से शामिल था। इस प्रकार, सीएए ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में किसानों के साथ बैठकें आयोजित की हैं।

- सीएए में कृषि पंजीकरणध्नवीनीकरण तटीय जलकृषि फार्मों की आवश्यकता और गैर–पंजीकरण के परिणामों पर किसानों को सीधे और साथ ही किसान समूह संगठनों के माध्यम से सलाह दी गई थी।
- तटीय राज्यों में झींगा (पी. मोनोडॉन, एसपीएफ एल. वन्नामेई), फिन मछली, केकड़े और अन्य संसाधनों की खेती करने के लिए फार्मों के पंजीकरण और नवीनीकरण पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और किसानों को जागरूक किया गया।
- स्थानीय भाषाओं में तैयार ब्रोशरध्हैंडआउट जलीय किसानों और संबंधित हितधारकों को वितरित किए गए, जिसमें विभिन्न तटीय जिलों में तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण और नवीनीकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।
- किसानों और हैचरी कर्मचारियों को एंटी–बायोटिक्स के उपयोग पर प्रतिबंध और खेती के स्टॉक या लार्वा में एंटीबायोटिक अवशेषों का पता लगाने के परिणामों के बारे में शिक्षित किया गया था। जलकृषि में एंटीबायोटिक के उपयोग के प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए पूर्वी तट पर चार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

9 नई पहल

वेबसाइट अद्यतन

खेती और हैचरी प्रचालकों को बढ़ावा देने के लिए, आवेदन प्रारूप, बीज उत्पादन पर दिशानिर्देश और संबंधित जानकारी के साथ जलीय फार्मों और हैचरियों के पंजीकरण तथा नवीनीकरण के तौर–तरीकों पर पूरा विवरण सीएए वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है।

इसी तरह कल्चर किए गए झींगों और अन्य उत्पादों का विवरण विदेशों में खरीदारों को पता लगाने (ट्रेसबिलिटी) के लिए उपलब्ध कराया जाता है। वेबसाइट प्राधिकरण की शक्तियों और कार्यों, अधिनियम, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों, जलकृषि से संबंधित अधिसूचनाओं, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सीएए सदस्यों की सूची, जिला और राज्य स्तरीय समितियों (डीएलसी और एसएलसी) सहित, समय–समय पर महत्वपूर्ण घटनाक्रमों आदि पर सभी आवश्यक विवरण उपलब्ध करवाती है।

आवश्यक प्रपत्रों के साथ हैचरियोंध्एक्वा फार्मों के पंजीकरण और नवीनीकरण के बारे में विस्तृत जानकारी वाला डेटाबेस, एसपीएफ एल. वन्नामेई ब्रूडस्टॉक के चुने गए आपूर्तिकर्ताओं की सूची, त्रैमासिक अनुपालन रिपोर्ट, जलीय संगरोध में स्थान का आरक्षण, डीएलसी और एसएलसी पर विवरण, प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं की सूची, एंटीबायोटिक दवाओं के परीक्षण के लिए जैविक नमूना, अपशिष्ट जल गुणवत्ता मानक आदि, एक व्यवहार्य डाउनलोड करने योग्य प्रारूप में दिए गए हैं।

अन्य प्रजातियों की खेती गतिविधियों को भी प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं की सूची के साथ ध्यान केंद्रित किया गया है, एंटीबायोटिक दवाओं के परीक्षण के लिए जैविक नमूने की प्रक्रियाएं, अपशिष्ट जल गुणवत्ता मानक, उपयोगकर्ता के अनुकूल डाउनलोड करने योग्य प्रारूप में भी दिए गए हैं। वेबसाइट पर समय–समय पर नई और नवीनतम जानकारी अपलोड की गई थीं।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण का सुदृढ़ीकरण

तटीय जलकृषि प्राधिकरण के पास दस तटीय राज्यों और चार तटीय संघ राज्य क्षेत्रों में तटीय जलकृषि गतिविधियों को विनियमित करने का क्षेत्राधिकार है। 1977 में मौजूद जलकृषि प्राधिकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा मूल रूप से मंजूर कुल 21 कर्मचारियों को सीएए अधिनियम, 2005 के सांविधिक प्रावधान के तहत सीएए की स्थापना के दौरान जारी रखा गया था।

2008 तक, सीएए की प्रमुख गतिविधि, डीएलसी और एसएलसी द्वारा किए गए निरीक्षणों के साथ, नए और पुराने दोनों झींगा फार्मों का पंजीकरण करना था। 2009 के बाद से, देश में विदेशी झींगा एसपीएफ एल.वन्नामेई की शुरुआत के साथ, कई अतिरिक्त कार्य जैसे तटीय राज्यों के साथ गहन जुड़ाव, डीएलसीध्एसएलसी और हितधारकों के साथ बैठकें, जलीय संगरोध के संचालन की निगरानी के लिए तकनीकी समिति का गठन, एल.वन्नामेई ब्रूडस्टॉक और बीज उत्पादन के आयात की अनुमति के लिए हैचरियों का

निरीक्षण, एल.वन्नामेई कल्चर की अनुमति के लिए झींगा फार्मों का निरीक्षण, इस प्रजाति के अनधिकृत प्रजननध्खेती को रोकने के लिए हैचरियों और फार्म की निरंतर निगरानी, सीएए मानकों के साथ उनकी अनुरूपता का आकलन करने के लिए हैचरियों और खेतों से निकलने वाले अपशिष्ट जल का संग्रह ६ विश्लेषण, जलकृषि में प्रतिबंधित दवाओं और रसायनों के उपयोग, एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि आदानों का पंजीकरण, नौपल्ली पालन केंद्र (एनआरसी) के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार जलकृषि व्यवस्थाओं पर जागरूकता पैदा करना, सीएए तटीय जलकृषि प्राधिकरण के सुदृढ़ीकरण पर काम कर रहा है।

तमिलनाडु में चेन्नई में मुख्यालय को सुदृढ़ बनाने के लिए व्यक्तियों की स्टाफ संख्या और अतिरिक्त पदों के साथ गुजरात, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश राज्यों में तीन क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना का प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया गया था।

राज्यवार तटीय जलकृषि स्थिति

2019–2020



10 राज्यवार तटीय जलकृषि स्थिति 2019–2020

जलकृषि एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है, जिसमें विभिन्न जलीय प्रजातियों की खेती के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य प्रौद्योगिकियां साल–दर–साल विकसित और परिष्कृत की जा रही हैं। शोधकर्ताओं, योजनाकारों और प्रवर्तकों के विभिन्न समूहों द्वारा अनुसंधान एवं विकास और संवर्धनात्मक गतिविधियों ने देश में विभिन्न नई प्रकार की खेती को अपनाया है, विशेष रूप से झींगा खेती के अलावा फिन मछली के केज कल्चर, समुद्री शैवाल की खेती, केकड़ा मेद, बाइवलव खेती और सजावटी मछली कल्चर। हालांकि, झींगा खेती अभी भी सबसे लोकप्रिय तटीय जलकृषि गतिविधि के रूप में बनी हुई है और यह तथ्य है कि इससे 2019–20 में 747111 टन (711674 टन एल.वन्नामेई और 35437 टन पी. मोनोडॉनय डेटा स्रोत एमपीईडीए) का उत्पादन हुआ है, जो जलकृषि के लिए उम्मीदवार प्रजातियों के रूप में और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक प्रमुख निर्यात उत्पाद के रूप में इन क्रस्टेशियंस की लोकप्रियता का एक वैध संकेत है। हालांकि सीएए के साथ मछली और केकड़ा फार्म पंजीकृत हैं, लेकिन इस 14 साल की अवधि के दौरान सीएए के साथ पंजीकृत अधिकांश किसान तटीय क्षेत्र में तालाबों में झींगा खेती कर रहे हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, 2019–2020 के दौरान तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में झींगा जलकृषि पर यह खंड प्रस्तुत किया गया।

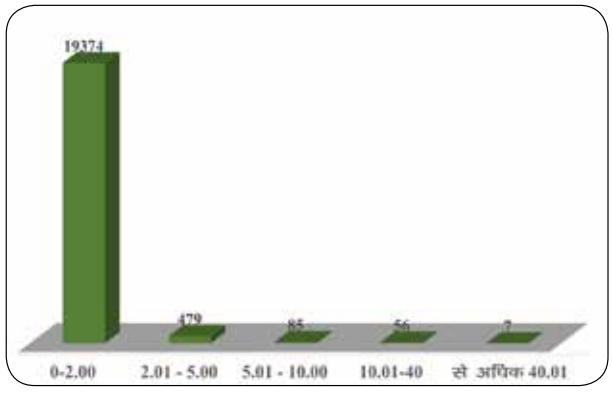
विभिन्न राज्यों में फार्मों की संख्या, क्षेत्र–वार फार्मों, हैचरियों की संख्या तथा नौपल्ली पालन हैचरियों की संख्या और प्रत्येक जिले में उनकी बीज उत्पादन क्षमता से संबंधित विवरण सीएए के डेटाबेस से हैं। प्रस्तुत की गई राज्यवार समीक्षा वर्णक्रम में दी गई है।

आंध्र प्रदेश

- राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी) के अलावा, पूर्वी गोदावरी, गुंटूर, कृष्णा, नेल्लोर, प्रकाशम, श्रीकाकुलम, विशाखापत्तनम, विजयनगरम और पश्चिम गोदावरी के तटीय जिलों में नौ जिला स्तरीय समितियां (डीएलसी) हैं जो तटीय जलकृषि फार्म पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए आवेदनों पर कार्रवाई करती हैं।
- 20001 फार्मों के साथ राज्य में देश के कुल सीएए पंजीकृत फार्मों का 49% हिस्सा है। क्षेत्रवार, 97% फार्म 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले छोटे फार्म हैं और 2% 2.1 से 5 हेक्टेयर समूह के बीच हैं।
- पूर्वी गोदावरी जिले में फार्मों की संख्या सबसे अधिक है, जो राज्यों के कुल 25% का योगदान देता है, इसके बाद नेल्लोर और कृष्णा जिले आते हैं।
- आंध्र प्रदेश में 338 बीज उत्पादन इकाइयां सीएए में पंजीकृत हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 33328 मिलियन बीज है।
- बीज उत्पादन इकाइयों की अधिकतम संख्या पूर्वी गोदावरी में है जहां प्रतिवर्ष 11789 मिलियन बीज की क्षमता के साथ बीज उत्पादन के लिए 145 इकाइयां (42.9%) हैं।
- नेल्लोर (80 संख्या), प्रकाशम (41 संख्या), विशाखापत्तनम (38 संख्या) और गुंटूर (15 संख्या) में बीज उत्पादन इकाइयों ने प्रतिवर्ष 7877, 5840, 3984 और 2011 मिलियन बीज की कुल बीज उत्पादन क्षमता के साथ सीएए में पंजीकरण किया है।

तालिका 1. आंध्र प्रदेश में सीएए में पंजीकृत जिलावार फार्मों का विवरण

आंध्र प्रदेश	0-2.00	2.01-5.00	5.01-10.00	10.01-40.00	40.01 से अधिक	सकल जोड़	टीए का जोड़	डब्ल्यूएसए का जोड़
ईस्ट गोदावरी	5058	10	3	2		5073	6466.12	4530.41
गुंटूर	2251	122	7	3		2383	3298.59	2559.55
कृष्णा	3829	2			1	3832	4598.90	2977.48
नेल्लोर	3656	207	49	35	2	3949	7575.12	4639.52
प्रकाशम	2014	91	7	9	1	2122	3494.19	2688.89
श्रीकुलम	496	13	10	1	1	521	762.71	611.39
विशाखापत्तनम	75	23	8	5	2	113	566.70	449.35
विजयानगरम	9	2	1			12	35.77	27.25
वेस्ट गोदावरी	1986	9		1		1996	2057.23	1665.97
कुल	**19374**	**479**	**85**	**56**	**7**	**20001**	**28855.33**	**20149.81**



चित्र 10.1: दिसंबर 2005 से मार्च 2020 तक आंध्र प्रदेश में पंजीकृत खेतों की संख्या

तालिका 2. मार्च 2020 तक आंध्र प्रदेश में सीएए में पंजीकृत जिलावार बीज उत्पादन इकाइयों का विवरण

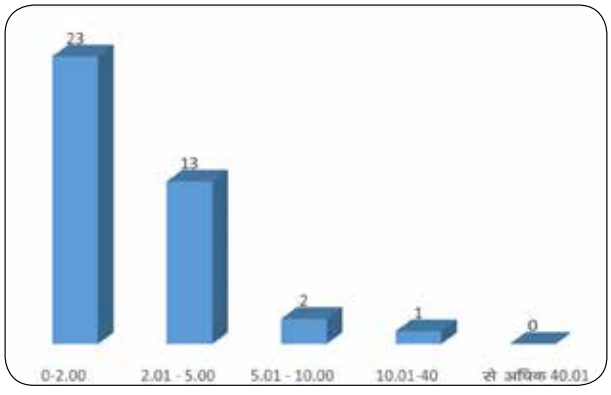
आंध्र प्रदेश	हैचरियों की सं.	बीज उत्पाद क्षमता (मिलियन)		अनुमत एनआरसी की सं.	क्षमता मिलियनों में)	कुल इकाईयां (हैचर + एनआरएच)	कुल क्षमता (हैचरी + एनआरएच)
नेल्लोर	72	7205	179200	8	672	80	7877
प्रकाशम	33	4955	120000	8	885	41	5840
गुंटूर	11	1753	41000	3	258	14	2011
ईस्ट गोदावरी	75	6577	168000	70	5212	145	11789
विशाखापत्तनम	29	3062	76000	9	922	38	3984
विजयनगरम	8	810	21200	5	440	13	1250
श्रीकुलम	2	240	6000	1	160	3	400
कृष्णा	0	0	0	4	177	4	177
कुल	**230**	**24602**	**611400**	**108**	**8726**	**338**	**33328**

गोवा

- राज्य में राज्य स्तरीय समिति के अलावा दो जिलों, उत्तरी गोवा और दक्षिण गोवा में डीएलसी हैं, जहां किसानों के तटीय जलकृषि अनुप्रयोगों पर कार्यवाही की जाती है और पंजीकरण पर विचार करने के लिए सीएए को सिफारिश की जाती है।
- राज्य में सीएए में 39 खेत पंजीकृत हैं जो 122.7 हेक्टेयर (91.01 डब्ल्यूएसए) के कुल क्षेत्र को कवर करते हैं।
- अधिकांश फार्म (59%) 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्र के छोटे फार्म हैं और 33 प्रतिशत 2.1 से 5 हेक्टेयर क्षेत्र के आकार के फार्म हैं। राज्य में 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र वाले फार्म (8%) हैं।
- गोवा में कोई पंजीकृत हैचरियां या नौपल्ली पालन हैचरियां नहीं है।

तालिका 3. गोवा में सीएए में पंजीकृत जिलावार फार्मों का विवरण

गोवा	0-2.00	2.01-5.00	5.01-10.00	10.01-40.00	40.01 से अधिक	सकल जोड़	कुल क्षेत्र (हे.)	कुल
उत्तर गोवा	9	6	1	1		17	64.70	49.96
दक्षिण गोवा	14	7	1			22	58.08	41.05
जीओए कुल	**23**	**13**	**2**	**1**		**39**	**122.78**	**91.01**



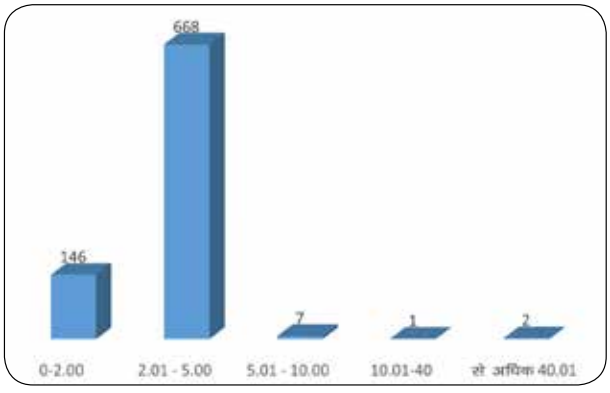
चित्र 10.2: दिसंबर 2005 से मार्च 2020 तक गोवा में पंजीकृत खेतों की संख्या

गुजरात

- इस राज्य में सूरत, नवसारी, वलसाड, भरूच, अमरेली, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, भावनगर और पोरबंदर के तटीय जिलों में फैले नौ डीएलसीएस हैं और इन्होंने 3698 हेक्टेयर के कुल क्षेत्र के साथ 824 फार्मों के पंजीकरण का समर्थन किया है।
- सबसे अधिक फार्म (40%) सूरत में हैं, इसके बाद नवसारी (26.6%) और वलसाड (15.5%) हैं। हालांकि, सूरत की तुलना में नवसारी में कुल क्षेत्रफल और डब्ल्यूएसए अधिक है।
- गुजरात में, 81 प्रतिशत फार्म 2.1 से 5 हेक्टेयर क्षेत्र श्रेणी में हैं और 18% 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्र के छोटे फार्म हैं। राज्य में 5 हेक्टेयर क्षेत्र से ऊपर के बड़े फार्म भी हैं।
- चार तटीय जिलों में 9 बीज उत्पादन इकाइयां फैली हुई हैं। ये हैचरियां गिरसोमनाथ (3 संख्या), पोरबंदर (3 संख्या), जूनागढ़ (2 संख्या) और वलसाड (01 संख्या) में हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 1095 मिलियन बीज प्रतिवर्ष है।

तालिका 4. गुजरात में सीएए में पंजीकृत जिलावार फार्मों का विवरण दिया गया है।

गुजरात	0-2.00	2.01-5.00	5.01-10.00	10.01-40.00	40.01 से अधिक	सकल जोड़	कुल क्षेत्र (हे.)	कुल डब्ल्यूएसए
अमरेली		12				12	58.65	39.85
भरूच	2	116				118	581.39	388.52
गिरसोमनाथ	3					3	4.20	2.80
जूनागढ़	6	6				12	44.53	28.25
नवसारी	6	203	7	1	2	219	1329.56	950.21
पोरबंदर	1					1	2.00	1.60
सूरत	91	240				331	1200.33	873.01
वलसाड	37	91				128	477.56	361.29
गुजरात कुल	**146**	**668**	**7**	**1**	**2**	**824**	**3698.22**	**2645.53**



चित्र 10.3: दिसंबर 2005 से मार्च 2020 तक गुजरात में पंजीकृत खेतों की संख्या

तालिका 5. गुजरात में सीएए में पंजीकृत जिला–वार हैचरियों का विवरण

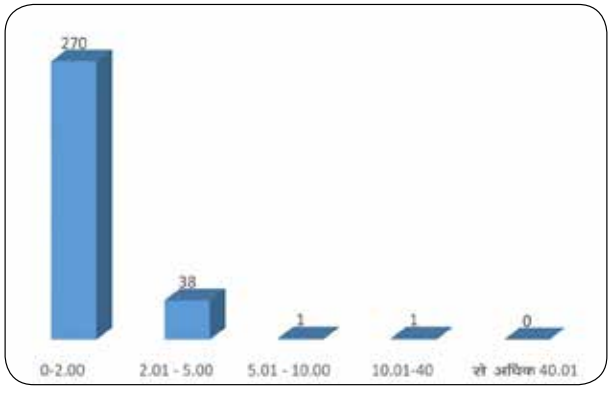
गुजरात	हैचरियों की सं.	बीज उत्पादन क्षमता (मिलियन)		अनुमत एनआरसी की सं.	क्षमता (मिलियनों में)	कुल इकाईयां (हैचरी + एनआरएच)	कुल क्षमता (हैचरी + एनआरएच)
जूनागढ़	2	95	2800			2	95
वलसाड	1	40	1200			1	40
गिर–सोमनाथ	2	300	7200	1	100	3	400
पोरबंदर	3	560	13600			3	560
कुल	**8**	**995**	**24800**	**1**	**100**	**9**	**1095**

कर्नाटक

- राज्य स्तरीय समितियों के अलावा उडुपी, उत्तर कन्नड़ और दक्षिण कन्नड़ में तीन डीएलसी हैं जिन्होंने 456. 8 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 310 फार्मों के पंजीकरण में सहयोग किया है।
- हालांकि उडुपी में फार्मों की संख्या सबसे अधिक (51%) है, कल्चर के अंतर्गत क्षेत्र उत्तर कन्नड़ में सबसे अधिक है।
- राज्य में अधिकांश (87%) फार्म 2 हेक्टेयर से कम के छोटे फार्म हैं। 2.1 से 5 हेक्टेयर आकार के फार्म कुल फार्मों का 12 प्रतिशत योगदान करते हैं और बाकी 5 हेक्टेयर से ऊपर हैं।
- कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में प्रतिवर्ष 60 मिलियन बीज की उत्पादन क्षमता के साथ एक हैचरी सीएए में पंजीकृत है।

तालिका 6. कर्नाटक में सीएए में पंजीकृत जिलावार फार्मों का विवरण

गुजरात	0-2.00	2.01-5.00	5.01-10.00	10.01-40.00	40.01 से अधिक	सकल जोड़	कुल क्षेत्र (है.)	कुल
दक्षिण कन्नड	27					27	21.01	17.26
यूडीयूपीआई	153	6				159	135.78	111.39
उत्तर कन्नड	90	32	1	1		124	300.03	218.29
कर्नाटक कुल	**270**	**38**	**1**	**1**		**310**	**456.82**	**346.94**



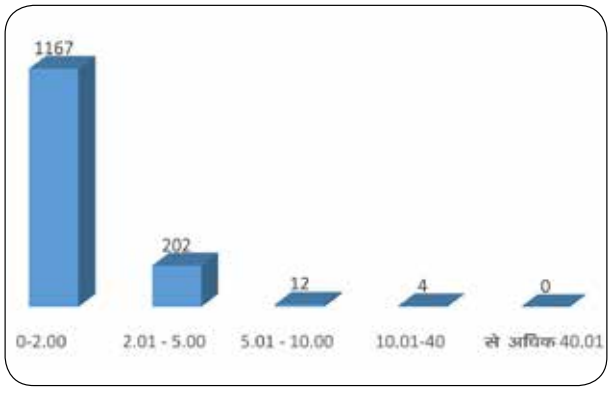
चित्र 10.4: दिसंबर 2005 से मार्च 2020 तक कर्नाटक में पंजीकृत खेतों की संख्या

केरल

- नौ तटीय जिले एर्नाकुलम, त्रिशूर, अलप्पुझा, कन्नूर, कोल्लम, कोझिकोड, मलप्पुरम, तिरुवनंतपुरम, कासरगोड हैं और प्रत्येक जिले में किसानों से प्राप्त आवेदनों की जांच करने के लिए एक समिति है और एसएलसी भी है।
- 2728 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए लगभग 1439 फार्मों को सीएए में पंजीकृत किया गया है। अधिकांश फार्म (84%) 2 हेक्टेयर क्षेत्र से कम हैं, जबकि 15% 2.01 से 5 हेक्टेयर क्षेत्र श्रेणी के भीतर हैं और 1% 5 हेक्टेयर क्षेत्र से ऊपर हैं।
- सबसे अधिक फार्म एर्नाकुलम (27%) में हैं, इसके बाद त्रिशूर (23%) और अलप्पुझा में (21%) हैं।
- एर्नाकुलम जिले में सीएए के साथ एक एनआरएच पंजीकृत है।

तालिका 7. केरल में सीएए में पंजीकृत जिलावार फार्मों का विवरण

गुजरात	0-2.00	2.01-5.00	5.01-10.00	10.01-40.00	40.01 से अधिक	सकल जोड़	कुल क्षेत्र (है.)	कुल
अलप्पुझा	280	15				295	442.43	254.80
एर्नाकुलम	297	67	8	3		375	808.02	611.06
कन्नूर	138	71	2	1		212	622.66	375.20
कासरगोड	5	3				8	19.35	13.46
कोल्लम	132					132	131.23	76.19
कोझीकोड	22	5				27	59.85	43.99
मलप्पुरम	9					9	15.45	10.65
तिरुवनंतपुरम	10					10	8.84	4.11
त्रिशूर	274	41	2			317	620.48	481.12
केरल कुल	**1167**	**202**	**12**	**4**		**1385**	**2728.31**	**1870.58**



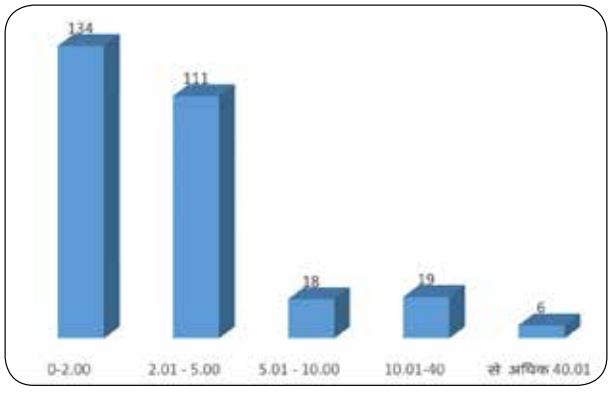
चित्र 10.5: दिसंबर 2005 से मार्च 2020 तक केरल में पंजीकृत खेतों की संख्या

महाराष्ट्र

- राज्य स्तरीय समिति और तटीय जिलों ठाणे, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरि और पालघर में पांच डीएलसी आवेदन प्रपत्रों की जांच के लिए जिम्मेदार हैं। कुल 288 फार्मों को पंजीकृत किया गया है, जिसमें कुल क्षेत्रफल 2280 हेक्टेयर हैं।
- फार्मों की अधिकतम संख्या 40% ठाणे जिले में है, इसके बाद रायगढ़ (26%) है।
- अधिकांश फार्म (47%) 2 हेक्टेयर से कम हैं, 39% फार्म 2.01 से 5.0 श्रेणी में हैं। 5.01 से 10 हेक्टेयर क्षेत्र के बीच के फार्म कुल पंजीकृत फार्मों का 6%, 10.1 से 40 हेक्टेयर के बीच 7% और शेष 2% 40.01 हेक्टेयर क्षेत्र से ऊपर हैं।
- महाराष्ट्र में कोई सीएए पंजीकृत हैचरियां या नौपल्ली पालन हैचरियां नहीं है।

तालिका 8. महाराष्ट्र में सीएए में पंजीकृत जिलेवार फार्मों का विवरण

गुजरात	0-2.00	2.01-5.00	5.01-10.00	10.01-40.00	40.01 से अधिक	सकल जोड़	कुल क्षेत्र (हे.)	कुल
पालघर	10	2				12	25.46	17.27
रायगढ़	41	20	6	8		75	486.65	309.61
रत्नागिरी ৮	29	12	3			44	135.38	102.61
सिन्धुदुर्ग	30	9	1			40	101.89	76.43
थाणे	24	68	8	11	6	117	1530.90	940.27
महाराष्ट्र कुल	**134**	**111**	**18**	**19**	**6**	**288**	**2280.28**	**1446.19**



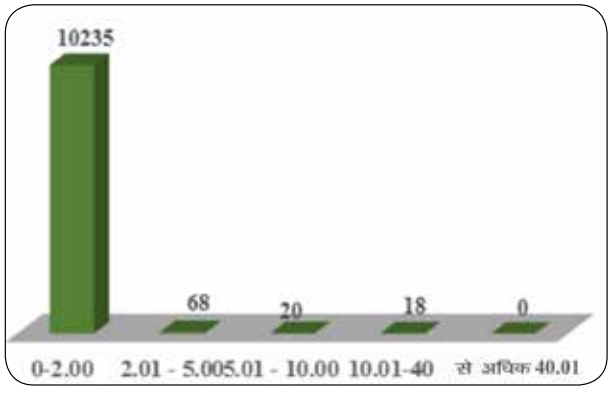
चित्र 10.6: दिसंबर 2005 से मार्च 2020 तक महाराष्ट्र में पंजीकृत खेतों की संख्या

ओडिशा

- राज्य समिति के अलावा बालासोर, भद्रक, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, गंजम और खोरधा में सात जिला स्तरीय समितियां हैं। ओडिशा में 10341 पंजीकृत फार्म हैं और ये सीएए (एपी के बाद दूसरा सबसे बड़ा) में पंजीकृत कुल फार्मों का 26% योगदान देते हैं। कुल क्षेत्रफल और डब्ल्यूएसए क्रमशः 12563 हेक्टेयर और 7864 हेक्टेयर है।
- बालासोर में सबसे अधिक फार्म (33%) हैं, इसके बाद भद्रक है। हालांकि, कल्चर के अंतर्गत क्षेत्र बालासोर की तुलना में भद्रक में अधिक है।
- ओडिशा के सभी जिलों में अधिकांश (98.9%) फार्म 2 हेक्टेयर से कम के छोटे फार्म हैं और बाकी फार्म 2.01 से 5 हेक्टेयर क्षेत्र के बीच हैं। बड़े फार्मों का भी सीएए में पंजीकरण करवाया गया है।
- गंजाम और पुरी जिलों में फैली 7 बीज उत्पादन इकाइयां, 6 हैचरियां और प्रतिवर्ष 1264 मिलियन बीज की कुल उत्पादन क्षमता के साथ 1 एनआरएच हैं। एनआरएच की सभी इकाइयां गंजाम जिले में हैं।

तालिका 9. ओडिशा में सीएए में पंजीकृत जिलेवार फार्मों का विवरण

गुजरात	0-2.00	2.01-5.00	5.01-10.00	10.01-40.00	40.01 से अधिक	सकल जोड़	कुल क्षेत्र (हे.)	कुल
बालासोर	3348	14	10	12		3384	3983.00	2379.24
भद्रक	2782	8	6	4		2800	4379.20	2627.24
गंजम	553	1	2	1		557	350.00	242.03
जगतसिंहपुर	808	26				834	900.42	613.37
केन्द्रपारा	716	13				729	877.90	671.31
खोरधा	7					7	11.44	6.82
पुरी	2021	6	2	1		2030	2061.85	1324.50
ओडिशा कुल	**10235**	**68**	**20**	**18**		**10341**	**12563.81**	**7864.51**



चित्र 10.7: दिसंबर 2005 से मार्च 2020 तक ओडिशा में पंजीकृत खेतों की संख्या

तालिका 10. ओडिशा में सीएए में पंजीकृत जिला–वार हैचरियों का विवरण

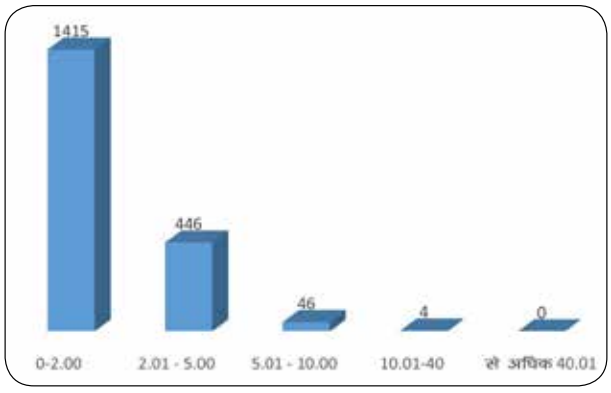
गुजरात	हैचरियों की सं.	बीज उत्पादन क्षमता (मिलियन)		अनुमत एनआरसी की सं.	क्षमता (मिलियनों में)	कुल इकाईयां (हैचरी + एनआरएच)	कुल क्षमता (हैचरी + एनआरएच)
पुरी	1	90	2400			1	90
गंजम	5	492	12000	1	50	6	542
कुल	**6**	**582**	**14400**	**1**	**50**	**7**	**632**

तमिलनाडु

- एसएलसी के अलावा चेंगलपट्टू, कुड्डालोर, कन्याकुमारी, नागपट्टिनम, पुडुकोट्टई, रामनाथपुरम, तंजावुर, तिरुवल्लूर, तिरुवरूर, थूथुकुडी, विल्लुपुरम, तिरुनेलवेली के तटीय जिलों में डीएलसी हैं।
- राज्य में 1911 फार्म हैं और सबसे अधिक फार्म नागपट्टिनम जिले (44%) में हैं, इसके बाद तंजावुर (15%) हैं। कुल क्षेत्रफल और जल प्रसार क्षेत्र में एक सा प्रभाव देखा गया था।
- 2 हेक्टेयर से कम के छोटे फार्मों ने 74% फार्म बनाये गए, इसके बाद 2.01 से 5 हेक्टेयर (23%) के थोड़े बड़े फार्म थे। 5.01 से 10 हेक्टेयर क्षेत्र वाले फार्मों में 2 प्रतिशत और 10.1 से 40 हेक्टेयर के बड़े फार्म एक प्रतिशत से कम थे।
- राज्य में झींगा बीज उत्पादन के लिए दूसरी सबसे बड़ी सुविधा है।
- तमिलनाडु में कुल 80 इकाइयां हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता क्रमशः 7994 मिलियन बीज प्रतिवर्ष 5 जिलों में फैली हुई है। विल्लुपुरम जिले में प्रतिवर्ष 4885 मिलियन बीज की उत्पादन क्षमता के साथ अधिकतम इकाइयां (42 संख्या) हैं।

तालिका 11. तमिलनाडु में सीएए में पंजीकृत जिलावार फार्मों का विवरण

गुजरात	0-2.00	2.01-5.00	5.01-10.00	10.01-40.00	40.01 से अधिक	सकल जोड़	कुल क्षेत्र (है.)	कुल डब्ल्यूएसए
चेंगलपट्टू	65	14				79	131.18	102.21
कुड्डालोर	112	23	5			140	338.43	231.14
कन्याकुमारी	1					1	0.60	0.50
नागपट्टिनम	637	180	27	2		846	2071.81	1565.29
पुडुकोट्टई	41	15				56	159.63	120.09
रामनाथपुरम	71	50	2			123	422.40	286.15
तंजावुर	235	59	5			299	819.02	613.61
तिरुवल्लूर	70	19	7	1		97	294.12	217.96
तिरुवरुर	94	58		1		153	523.42	391.75
तूतीकुडी		19				19	127.69	85.62
विल्लुपुरम	89	9				98	182.08	128.82
तमिलनाडु कुल	**1415**	**446**	**46**	**4**		**1911**	**5070.38**	**3743.14**



चित्र 10.8: दिसंबर 2005 से मार्च 2020 तक तमिलनाडु में पंजीकृत खेतों की संख्या

तालिका 12. तमिलनाडु में सीएए में पंजीकृत जिलावार हैचरियों का विवरण

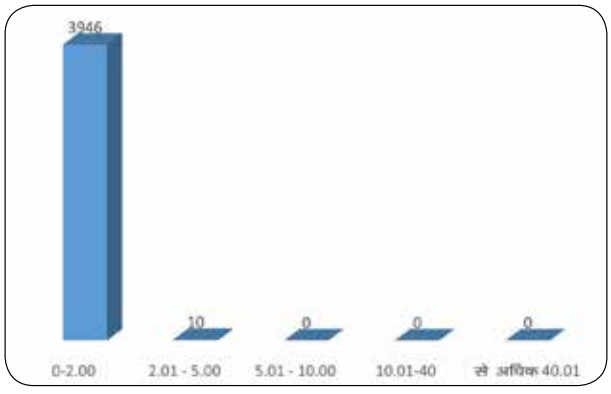
गुजरात	हैचरियों की सं.	बीज उत्पादन क्षमता (मिलियन)		अनुमत एनआरसी की सं.	क्षमता (मिलियनों में)	कुल इकाईयां (हैचरी + एनआरएच)	कुल क्षमता (हैचरी + एनआरएच)
विल्लुपुरम	36	3240	84000	6	1645	42	4885
कांचीपुरम	27	2069	54000	4	260	31	2329
नागपट्टिनम	4	550	14800	1	60	5	610
कुड्डालोर	1	120	3200			1	120
रामनाद	1	50	1200			1	50
कुल	**69**	**6029**	**157200**	**11**	**1965**	**80**	**7994**

पश्चिम बंगाल

- कुल 3775 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाले 3956 फार्मों के साथ राज्य में देश के कुल सीएए पंजीकृत फार्मों का 10% हिस्सा है। क्षेत्रवार, 99.9% खेत 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले छोटे फार्म हैं।
- एसएलसी के अलावा तीन डीएलसी, पूर्व मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना हैं जो तटीय जलकृषि खेतों के पंजीकरण में सहायता करते हैं।
- सीएए पंजीकृत फार्मों में से अधिकांश (44%) पूर्व मेदिनीपुर में हैं, इसके बाद दक्षिण 24 परगना (32%) और उत्तर 24 परगना (24%) हैं।
- पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में एक एल. वन्नामेई हैचरी है जिसकी बीज उत्पादन क्षमता 250 मिलियन प्रतिवर्ष है।

तालिका 13. पश्चिम बंगाल में सीएए में पंजीकृत जिलावार फार्मों का विवरण

गुजरात	0-2.00	2.01-5.00	5.01-10.00	10.01-40.00	40.01 से अधिक	सकल जोड़	कुल क्षेत्र (है.)	कुल डब्ल्यूएसए
नार्थ 24 परगना	961	-	-	-	-	961	1230.76	850.74
पूर्व मिदनापुर	1732	10	-	-	-	1742	1243.42	939.82
दक्षिण 24 परगना	1253		-	-	-	1253	1301.53	765.47
पश्चिम बंगाल कुल	**3946**	**10**	-	-	-	**3956**	**3775.71**	**2556.03**



चित्र 10.9: दिसंबर 2005 से मार्च 2020 तक पश्चिम बंगाल में पंजीकृत खेतों की संख्या

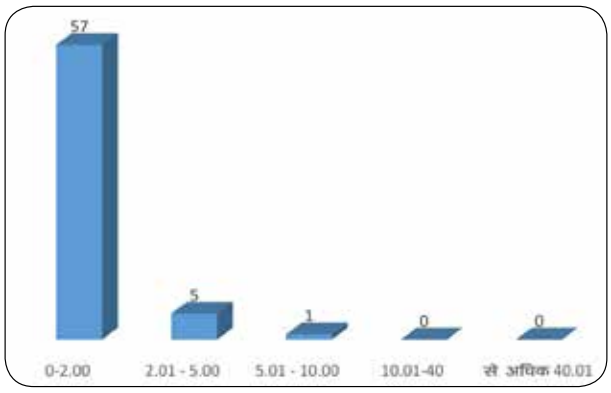
केंद्र शासित प्रदेश

पुडुचेरी, दमन और दीव, अंडमान और निकोबार

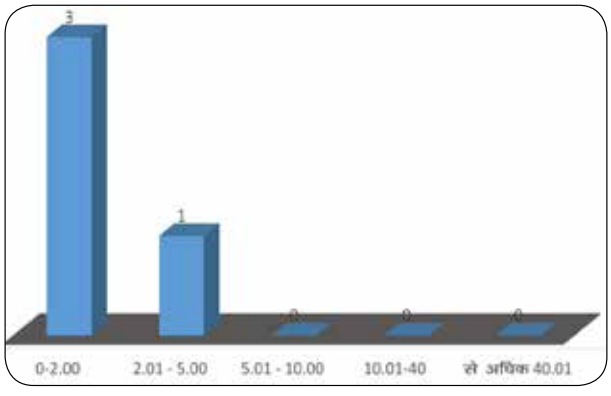
- तीन केंद्र शासित प्रदेशों में से, केवल पुडुचेरी में झींगा जलकृषि बड़े पैमाने पर प्रचलित है। यानम, कराईकल और पुडुचेरी जिलों में तीन डीएलसी हैं और केंद्र शासित प्रदेश में 107.6 हेक्टेयर के कुल क्षेत्र को कवर करने वाले 73 फार्म हैं। अधिकांश (43%) फार्म यानम जिले में हैं, इसके बाद कराईकल (38%) और पुडुच्चेरी (19%) हैं। 90 प्रतिशत फार्म छोटे हैं, 2 हेक्टेयर से कमय 2.01 से 5 हेक्टेयर के बीच 8 प्रतिशत और बाकी बचे हुए 5.01 से 10 हेक्टेयर क्षेत्र समूह के बीच हैं।
- दमन और दीव में 2008–09 में सीएए में 12 फार्म पंजीकृत थे और 2011–2013 की अवधि के दौरान 4 फार्मों में पंजीकृत थे। लक्षद्वीप द्वीप समूह का कोई फार्म नहीं है।
- किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में कोई हैचरियां नहीं हैं।
- ए एंड एन द्वपी समूह से पांच फार्म पंजीकृत किए गए थे।
- लक्षद्वीप में कोई सीएए पंजीकृत फार्म नहीं हैं।

तालिका 14. पुडुचेरी में सीएए में पंजीकृत जिलावार फार्मों का विवरण

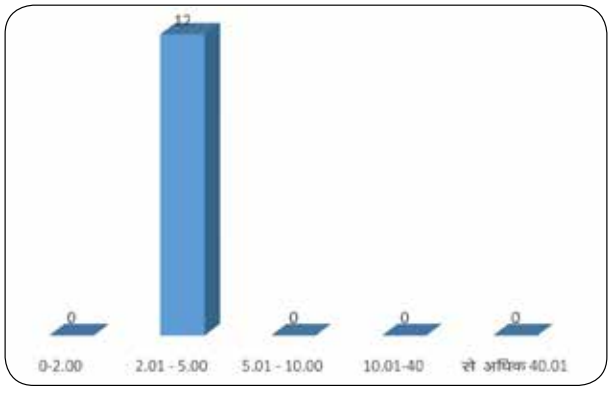
गुजरात	0-2.00	2.01-5.00	5.01-10.00	10.01-40.00	40.01 से अधिक	सकल जोड़	कुल क्षेत्र (है.)	कुल डब्ल्यूएसए
कराईकल	20	4				24	47.86	34.88
पुडुच्चेरी	12					12	17.69	12.83
यानम	25	1	1			27	42.11	33.39
पुडुच्चेरी कुल स	**57**	**5**	**1**			**63**	**107.66**	**81.10**



चित्र 10.10: पुडुचेरी में दिसंबर 2005 से मार्च 2020 तक पंजीकृत खेतों की संख्या



चित्र 10.11: दिसंबर 2005 से मार्च 2020 तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पंजीकृत खेतों की संख्या



चित्र 10.12: दिसंबर 2005 से मार्च 2020 तक दमन और दीव में पंजीकृत खेतों की संख्या

11 2020–21 के लिए लक्ष्य

तटीय जलकृषि फार्मों का पंजीकरण और नवीनीकरण

तटीय जलकृषि फार्मों का पंजीकरण और नवीनीकरण एक सतत् प्रक्रिया है। सभी समुद्री राज्यों में अधिक फार्मों को पंजीकृत करने के लिए लक्षित प्रयास किए जाएंगे।

हैचरियों और एनआरएच का पंजीकरण और नवीनीकरण

जिन हैचरियों के पंजीकरण का नवीनीकरण 2020–21 में किया जाना है, उनसे संपर्क किया जाएगा और उनके नवीनीकरण की प्रक्रिया मार्च 2021 से पहले पूरी कर ली जाएगी। नए हैचरी निर्माण के लिए आवेदनों की जांच की जाएगी और बिना किसी देरी के उनपर कार्यवाही की जाएगी।

एंटीबायोटिक–मुक्त जलकृषि आदानों के लिए अनुमोदन

चूंकि किसानों और हैचरी प्रचालकों के बीच एंटीबायोटिक अवशिष्टों पर जागरूकता मजबूत हो रही है, इसलिए अधिक उत्पादों को पंजीकृत किए जाने की उम्मीद है। साथ ही पहले से पंजीकृत उत्पादों का नवीनीकरण भी 2020–21 में होने की उम्मीद है। इसके अलावा कार्य दल समिति के माध्यम से प्रमाणित उत्पादों के नमूने और निरीक्षण की भी योजना बनाई गई है।

निरीक्षण और पर्यावरण निगरानी

विभिन्न समुद्री राज्यों में विशेष रूप से जैव–सुरक्षा और बहिस्त्राव उपचार से संबंधित सुविधाओं की नियमित निगरानी की जाएगी। ईटीएस के प्रचालन, तटीय जलकृषि फार्मों और हैचरियों से निकलने वाले अपशिष्ट जल की गुणवत्ता का विश्लेषण यह जांचने के लिए किया जाएगा कि क्या वे सीएए दिशानिर्देशों में निर्धारित इष्टतम सीमाओं को पूरा करते हैं। ये दिशानिर्देश जो एहतियाती सिद्धांत और स्थिरता के सिद्धांत जैसे मुख्य पर्यावरण सिद्धांतों पर आधारित हैं, का पालन जलकृषि हितधारकों द्वारा किया जाना है जो प्राकृतिक जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का संरक्षण सुनिश्चित करेंगे।

जल गुणवत्ता का विश्लेषण

विभिन्न सरकारी और विश्वविद्यालय प्रयोगशालाओं की पहचान की जाएगी जिनके पास जल के नमूनों का विश्लेषण करने की सुविधा है और पूर्वी तथा पश्चिमी तटों के विभिन्न क्षेत्रों से सीएए द्वारा एकत्र किए गए जल के नमूनों का विश्लेषण करने के लिए उनके साथ समझौते किए जाएंगे। तटीय जिलों से एकत्र किए गए जल के नमूनों का निकटतम अनुमोदित प्रयोगशालाओं में विश्लेषण किया जाएगा।

जागरूकता कार्यक्रम

विभिन्न तटीय जिलों में पर्यावरण संरक्षण, फार्म पंजीकरण और नवीनीकरण, अच्छी जलकृषि व्यवस्थाओं तथा रोगाण ुरोधी जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

विज्ञापन और प्रकाशन

अनधिकृत गतिविधियों के बारे में हितधारकों को सावधान करने और बीमारियों की घटना से बचने के लिए एहतियाती

उपाय करने के साथ–साथ स्थायी जलकृषि के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जलकृषि क्षेत्र में होने वाले वर्तमान मामलों और घटनाओं पर हितधारकों को सलाह देने के लिए समय–समय पर महत्वपूर्ण मामलों पर सार्वजनिक सूचनाएं जारी की जाती है।

मैनुअलध्ब्रोशरध्दृश्य–श्रव्य विज्ञापन तैयार करना

सीएए नियमों और विनियमों की मुख्य विशेषताओं, अच्छी जलकृषि व्यवस्थाओं और एंटी–बायोटिक उपयोग के हानिकारक प्रभावों तथा तटीय जलकृषि के लिए प्रासंगिक अन्य मामलों को उजागर करने वाले ब्रोशर, पैम्फलेट और दृश्य–श्रव्य कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे।

कार्यशालाएं और बैठकें

तटीय जलकृषि गतिविधियों में आने वाली समस्याओं को संबोधित करने के लिए हितधारक बैठकें आयोजित की जाएंगी, जहां तकनीकी सुधार तथा अन्य पहलुओं पर विभिन्न समूहों के अनुभवों को साझा किया जाएगा।

12 सीएए द्वारा कार्यक्रमों में भाग लेना

अन्य संस्थानों द्वारा आयोजित बैठकों/ सम्मेलनों/ संगोष्ठियों में सीएए सदस्यों/ अधिकारियों की भागीदारी

- 24 अप्रैल, 2019 को नई दिल्ली में भारत में मछली और मत्स्य उत्पादों के आयात के लिए जोखिम मूल्यांकन के लिए तकनीकी समिति की आठवीं बैठक आयोजित की गई थी।
- 16 मई, 2019 को एपी अंतरिम सचिवालय, वेलागापुडी, आंध्र प्रदेश में मत्स्यपालन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार की कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की गई थी।
- एमईपीडीए द्वारा 17 जून, 2019 को विजयवाड़ा में हितधारक परामर्श बैठक आयोजित की गई थी।
- एमपीईडीए द्वारा 18 जून, 2019 को वीरवासरम (पूर्व गोदावरी जिला), आंध्र प्रदेश में किसानों की बैठक आयोजित की गई थी।
- 25 जून, 2019 को नई दिल्ली में भारत में मछली और मत्स्य उत्पादों के आयात के लिए जोखिम मूल्यांकन के लिए तकनीकी समिति की नौवीं बैठक आयोजित की गई थी।
- 21 नवंबर, 2019 को मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, नई दिल्ली में विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया गया था।
- मत्स्यपालन और जलकृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन ष्मत्स्य पालन और जलकृषि की अप्रयुक्त क्षमता का दोहनष 13 दिसंबर, 2019 को मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
- निदेशक (तकनीकी) और वरिष्ठ तकनीकी सहायक, सीएए ने एक्वा इंडिया 2020 में भाग लिया "द चेंजिंग फेस ऑफ इंडियन एक्वाकल्चर" 31 जनवरी – 1 फरवरी, 2020 को कोच्चि में आयोजित किया गया।

13 संस्थानिक गतिविधियां

सीएए कार्यालय परिसर का स्थानांतरण

सीएए द्वारा चेन्नई में एक स्थायी कार्यालय के लिए किए गए निरंतर प्रयासों के तहत, अतीत में विभिन्न प्रयास किए गए थे। वर्ष के दौरान यह प्रयास फलीभूत हुए क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में राज्य मत्स्य विभाग के अपने नए भवन परिसर में एक विशेष कार्यालय स्थान आबंटित किया है।



04.07.2019 को नए परिसर में एक औपचारिक समारोह आयोजित किया गया था और सीएए ने 05.09.2019 को अपने कार्यालय को वननुवाम्पेट, मडिपक्कम, चेन्नई से पशुपालन और मत्स्यपालन विभाग के लिए एकीकृत पशुपालन और मत्स्यपालन कार्यालय परिसर में स्थानांतरित कर दिया, जो वेटेरनरी हॉस्पिटल रोड, फनेपेट, नंदनम, चेन्नई में स्थित है।

डॉ. आई. रानी कुमुदिनी आईएएस, सदस्य सचिव आईध्सी ने 10.01.2020 को नए सीएए कार्यालय परिसर का दौरा किया था।

हिंदी सप्ताह समारोह

- हर साल 14 सितंबर से पखवाड़े में राजभाषा सप्ताह मनाया जाता है। इस कार्यालय ने 22.09.2019 से 29.09.2019 तक अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करके हिंदी पखवाड़ा मनाया था। प्रतियोगिताओं में हिंदी टिप्पण और प्रारूपण, निबंध प्रतियोगिताएं और अन्य कार्यक्रम शामिल थे। इस प्रतियोगिता के विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए गए थे।

सतर्कता सप्ताह समारोह

- तटीय जलकृषि प्राधिकरण ने 26 अक्टूबर, 2019 से 1 नवंबर, 2019 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया था।ण

14 वित्त

(i) वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वास्तविक वित्तीय परिणामों का सारांश

वित्तीय वर्ष 2019–20 से संबंधित लेखाओं की लेखापरीक्षा सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के तहत लेखापरीक्षा महानिदेशक (केंद्रीय), चेन्नई द्वारा की गई थी और इसकी रिपोर्ट अनुलग्नक में पेश की गई है।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 16 और 17 के अनुसार, सीएए द्वारा किए गए बजट अनुमान के आधार पर सहायता अनुदान, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के बजटीय प्रावधानों के तहत 2 (दो) किस्तों में प्रदान किया गया था। प्रशासनिक मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 450 लाख रुपये का जीआईए मंजूर किया था। मंत्रालय ने 450 लाख रुपये के संशोधित अनुमानों को स्वीकार किया था और इस कार्यालय ने पूरी राशि का उपयोग किया।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए बजट अनुमानध्संशोधित अनुमान और व्यय निम्नवत् हैंरू

मुख्य शीर्ष 2405

उप शीर्ष – 131731 अनुदान सहायता (सामान्य)
– 131736 अनुदान सहायता (वेतन)

(₹ लाखों में)

मंत्रालय द्वारा स्वीकृत बजट अनुमान	मंत्रालय द्वारा स्वीकृत संशोधित अनुमान	प्राप्त राशि	व्यय की गई राशि	अव्ययित शेष राशि
450	450	450	306	1.44

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	योजना का नाम	उप–शीर्ष	बीई 2020–21
1	तटीय जलकृषि प्राधिकरण	131731 सहायता अनुदान (सामान्य) 131736 सहायता अनुदान (वेतन)	450

(ii) वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक लेखाओं का विवरण

वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक लेखाओं के विवरण अनुलग्नक में प्रस्तुत किए गए हैं।

15 प्राधिकरण के कर्मचारी और वर्तमान संगठनात्मक संरचना

वर्तमान में, सीएए ने 21 पदों की स्वीकृत प्राप्त की है और वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कर्मचारियों की स्थिति निम्नानुसार हैंरू

क्र.सं.	समूह	पद	मंजूर पदों की संख्या	शुरुआत में कर्मच. ारियों की संख्या	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित कर्मचारियों की सं.	वर्ष के दौरान जोड़े गए नए कर्मचा. रियों की सं.	वर्ष के अंत में स्टाफ
1	क	निदेशक	1	0	0	1	1
		सहायक निदेशक	1	0	0	0	0
		वरिष्ठ प्रशासनिक अधि ाकारी	1	1	1	0	0
2	ख	निरीक्षक	1	1	0	0	1
		निजी सचिव	2	2	0	0	2
		वरिष्ठ तकनीकी सहायक	2	2	0	0	2
		लेखाकार	1	0	0	0	0
		आशुलिपिक ग्रेड 'ग'	2	0	0	0	0
3	ग	वरिष्ठ लिपिक	2	0	0	0	0
		आशुलिपिक ग्रेड 'घ' '	1	1	0	0	1
		कनिष्ठ लिपिक	2	2	1	0	1
		स्टाफ कार ड्राईवर	1	1	0	0	1
		एमटीएस	4	4	0	0	4
		कुल	**21**	**14**	**2**	**1**	**13**

परामर्शदाता और कंप्यूटर प्रोग्रामर

क्र.सं.	पदनाम	प्रारंभ में संख्या	वित्तीय वर्ष के दौरान शेष रह गए की संख्या	वित्तीय वर्ष के दौरान नए जोड़े गए	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर
1	परामर्शदाता	0	0	3	3
2.	कंप्यूटर प्रोग्रामर	0	0	2	1

मैनपावर एजेंसी के माध्यम से संविदा पर

क्र.सं.	पदनाम	प्रारंभ में संख्या	वित्तीय वर्ष के दौ. रान शेष रह गए की संख्या	वित्तीय वर्ष के दौ. रान नए जोड़े गए	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर
1.	सहायक कर्मी	2	2	1	1

भर्ती / सेवानिवृत्ति / प्रत्यावर्तन / प्रतिनियुक्ति

- डॉ. सी. गोपाल ने सीएए के सदस्य सचिव के रूप में 19 महीने की सेवा के बाद 18.05.2019 को कार्यभार छोड़ दिया।
- श्रीमती। I-रानी कुमुदिनी, आईएएस, मुख्य कार्यकारी, एनएफडीबी 22.05.2019 से सीएए के सदस्य सचिव इस तिथि से (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में कार्यभार संभाला।
- श्री एंटनी जेवियर, निदेशक (तकनीकी) ने अप्रैल 2019 में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यग्रहण किया।
- श्री वी. आनंद ने अप्रैल 2019 में एसएओ के रूप में कार्यग्रहण किया और जुलाई 2019 में उनके मूल विभाग में वापिस भी भेज दिया गया।
- श्रीमती जी. राजश्री, कनिष्ठ लिपिक को प्रतिनियुक्ति के आधार पर सीबीडीटी में लेखाकार के रूप में कार्यग्रण करने के लिए मई 2019 में सीएए से कार्यमुक्त किया गया।

16 सूचना का अधिकार अधिनियम

वर्ष 2019–20 के दौरान आरटीआई अधिनियम के तहत कुल 13 (तेरह) आवेदन प्राप्त हुए थे। मांगी गई सूचना भेज दी गई थी।

अनुलग्नक

सीएए की वार्षिक रिपोर्ट
और
वर्ष 2019-20 के लिए सीएंडएजी की
पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार
मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
5वीं मंजिल, इंटीग्रेटिड ऑफिस कॉम्पलेक्स, वेटिनरी हॉस्पिटल रोड, फानेपेट, नंदानम, चेन्नई–600035

31–03–2020 तक तुलन पत्र

(राशि - ₹)

	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
कॉर्पसध्पूंजी निधि एवं देयताएं			
कॉर्पसध्पूंजीगत निधि	1	59,71,178	1,28,75,112
भारत सरकार – अनुदान	1	1,44,00,280	-
निर्धारितध्संचयी निधियां	2	9,56,08,528	7,51,22,432
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	3	1,70,42,137	93,45,704
कुल		**13,30,22,124**	**9,73,43,248**
परिसंपत्तियां			
अचत परिसंपत्तिया	4	71,23,198	82,27,094
निवेश – निर्धारितध्संचयी निधियां	5	32,25,916	30,69,183
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम आदि	6	12,26,73,010	8,60,46,971
कुल		**13,30,22,124**	**9,73,43,248**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	14		
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां	15		

ह/-
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

ह/-
सदस्य सचिव

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार
मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
5वीं मंजिल, इंटीग्रेटिड ऑफिस कॉम्पलेक्स, वेटिनरी हॉस्पिटल रोड, फानेपेट, नंदानम, चेन्नई–600035

31–03–2020 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए आय एवं व्यय लेखा

(राशि - ₹)

	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
अनुदानध्सब्सिडियां	7	3,09,78,615	3,99,93,038
शुल्कध्अंशदान	8	860	20
निवेशों से आय (निर्धारितध्संचयी से निवेश पर आय। निधियों में अंतरण की गई निधियां)	9	-	-
अर्जित ब्याज	10	6,09,716	2,79,782
अन्य आय	11	17,475	12
कुल (क)		**3,16,06,666**	**4,02,72,852**
व्यय			
स्थापना व्यय	12	1,34,15,055	1,96,06,020
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	13	1,75,63,560	1,85,43,095
अनुदानों पर व्यय, सब्सिडियां आदि		-	-
कुल (ख)		**3,09,78,615**	**3,81,49,115**
व्यय पर आय की अधिकताध(कमी) होते हुए शेष (क–ख)		6,28,051	21,23,737
मूल्यह्रास	4	11,96,022	13,61,778
पूर्व अवधि मदें			
– टेलीफोन		-	-
– डाक और टेलीग्राम		-	-
विशेष आरक्षित में अंतरण (प्रत्येक विनिर्दिष्ट)			
सामान्य आरक्षित कोध्से अंतरण			
कॉर्पसध्पूंजी निधि को अधिशेषध(घाटा) होते हुए शेष ले जाया गया शेष		**(5,67,971)**	**7,61,959**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	14		
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां	15		

ह/-
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

ह/-
सदस्य सचिव

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार
मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
5वीं मंजिल, इंटीग्रेटिड ऑफिस कॉम्पलेक्स, वेटिनरी हॉस्पिटल रोड, फानेपेट, नंदानम, चेन्नई–600035

31–03–2020 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि - ₹)

प्राप्तिया	(राशि–रू.)	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
I. प्रारंभिक शेष		
क) हाथ में रोकड़	-	-
ख) बैंक शेष		
i) चालू खातों में	-	-
ii) जमाराशि खातों में	-	-
iii) बचत खाते	8,53,77,602	4,53,60,998
iv) आईओबी – ₹10000	-	1,22,276
प्रारंभिक शेष – समायोजन	(172)	
II. प्राप्त अनुदान		
क) भारत सरकार से –		
पूंजीगत प्राप्तियां	1,03,250	6,962
राजस्व प्राप्तियां		3,99,93,038
जीआईए वेतन	2,15,00,000	
जीआईए सामान्य	2,33,96,750	
ख) राज्य सरकार से	-	-
ग) अन्य स्रोत से	-	-
(पूंजी और राजस्व व्यय के लिए अनुदान अलग–से दर्शाये जाएंगे)		
III. निम्न से निवेश पर आय		
क) निर्धारितध्संचयी निधियां (एफडीआर ब्याज)	-	
ख) स्वयं की निधियां (अन्य निवेश)	-	-

प्राप्तिया	(राशि–रु.)	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
IV. प्राप्त ब्याज		
क) बैंक जमाराशियों पर	6,09,716	2,79,782
ख) ऋण, अग्रिम आदि	-	-
ग) निर्धारित निधि पर	47,57,317	31,62,038
V. अन्य आय (निर्दिष्ट करें)		
पीओ से रियायत	-	-
विविध आय	-	12
त्योहार अग्रिम	-	-
आरटीआई शुल्क	860	20
एमटीएस आवेदन शुल्क	-	-
जमाराशि की वापिसी – सीपीडब्ल्यूडी सीसीडी	-	-
कबाड़ की बिक्री	28,599	-
संसद व्यय की हिस्सेदारी – ईपीएफओ	-	-
VI. उधार ली गई राशि		
डी.डी.ओ.	-	-
VII. कोई अन्य प्राप्तियां (ब्योरे दें)		
जमानत धनराशि जमा	10,000	-
त्योहार अग्रिम वसूली	-	-
हाथ में स्टांप	-	-
साख पत्र	-	-
संचयी निधि (प्रक्रिया शुल्क)	27,84,100	78,91,950
आवेदन शुल्क – 30:	3,16,540	3,37,384
राज्य फिशरीज – आंध्र प्रदेश	-	-
प्रतिभूति जमा	20,800	-
फीड उत्पाद	72,82,750	2,11,01,290
एनपीएस – श्रीनिवासन बाबू	-	14,078
प्रोफेशनल टैक्स	-	-
टीडीएस	-	-
स्टाफ कटौती एवं परेषण	60,442	-
मुथु सॉफ्ट लैब्स		

प्राप्तिया	(राशि–रू.)	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
सीपीएफ, जीपीएफ, पेंशन लेखा से निधि अंतरण		
अग्रिम वापिसी		
क) बैठक के लिए अग्रिम	1,052	28,481
ख) कम्पेन सप्ताह के लिए अग्रिम	-	2,832
ग) क्राकरियों के लिए अग्रिम	-	-
घ) लेखापरीक्षा के लिए अग्रिम	-	-
ड.) स्वतंत्रताध्गणतंत्र दिवस के लिए अग्रिम	-	1,647
च) हिंदी सम्मेलन के लिए अग्रिम	-	-
छ) स्टांपों के लिए अग्रिम	-	-
ज) यात्राध्दौरा व्ययों के लिए अग्रिम	-	89,940
झ) पूजा व्ययों के लिए अग्रिम	-	8,520
ञ) मरम्मत और अनुरक्षण के लिए अग्रिम	-	-
ठ) आकस्मिक व्यय के लिए अग्रिम	-	
ड) स्टाफ कल्याण के लिए अग्रिम	225	515
ढ) टेलीफोन के लिए अग्रिम	-	-
ण) एमएस सील के लिए अग्रिम	-	-
प्रत्यक्ष व्यय वापिसी		
क) स्थापना व्यय	1,41,779	4,61,097
ख) प्रशासनिक व्यय	-	38,490
कुल	**14,63,91,611**	**11,89,01,350**

ह/-
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

ह/-
सदस्य सचिव

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार
मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
5वीं मंजिल, इंटीग्रेटिड ऑफिस कॉम्पलेक्स, वेटिनरी हॉस्पिटल रोड, फानेपेट, नंदानम, चेन्नई–600035

31–03–2020 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि - ₹)

भुगतान	(राशि–रू.)	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
I. व्यय		
क) स्थापना व्यय	1,17,20,831	1,58,05,557
ख) प्रशासनिक व्यय	1,20,61,468	1,35,58,327
II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के प्रति किए गए भुगतान निधि अथवा परियोजना का नाम प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतानों के विवरण के साथ दर्शाया जाना चाहिए)	-	-
III. किए गए निवेश और जमाराशियां		
क) निर्धारित/संचयी निधियों में से	-	-
ख) स्वयं की निधियों में से	-	-
IV. अचल परिसंपत्तियों और प्रगतिधीन पूंजी पर व्यय		
क) अचल परिसंपत्तियों पर खरीद	1,03,250	6,962
ख) प्रगतिधीन पूंजी पर व्यय	-	-
V. अधिशेष धनराशि/ऋणों की वापिसी		
क) भारत सरकार को	-	-
ख) राज्य सरकार को	-	-
VI. वित्त प्रभार (ब्याज)		
क) पीएओ, एग्री को ब्याज वापिसी	2,79,782	
VII. अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें)		
क) देय किराया	2,17,888	2,17,888
ख) प्रदर्शन सुरक्षा जमाराशि वापिसी	-	-
ग) बैंक प्रभार (निर्धारित निधि)	15	-
घ) पूर्वभुगतान व्यय	-	-
ड.) निर्धारित निधि में से व्यय	3,20,000	1,00,000
च) चिकित्सा अग्रिम	-	-
छ) एलएसपीसी/सीपीसी बकाया	-	-
ज) पोस्ट मास्टर, सेंट थॉमस माउंट	-	5,00,000
झ) हाथ में स्टांप	-	25,000
ञ) देय बोनस	-	-
ट) निरीक्षण के लिए यात्रा व्यय	-	-
ठ) विविध ऋणदाता	-	-
ड) टीडीएस	9,07,083	11,38,164
ढ) एनपीएस – के श्रीनिवासन बाबू	-	-

भुगतान	(राशि–रू.)	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
ण) प्रोफेशनल टैक्स	-	-
त) अप्रत्यक्ष व्यय	-	-
थ) देय वेतन	-	12,08,025
द) वापिस की गई प्रक्रिया शुल्क (एलवी हैचरी)	-	-
VIII. ऋण और अग्रिम	-	-
क) बैठक के लिए अग्रिम	81,349	1,79,620
ख) क्रॉकरियों के लिए अग्रिम	-	-
ग) स्थानांतरण अग्रिम	75,000	5,000
घ) हिंदी सप्ताह के लिए अग्रिम	-	5,000
ड.) गणतंत्र दिवस के लिए अग्रिम	-	14,000
च) कैम्पेन सप्ताह के लिए अग्रिम	-	6,500
छ) लेखापरीक्षा के लिए अग्रिम	-	10,000
ज) स्टांपों के लिए अग्रिम	-	-
झ) हिंदी सम्मेलन के लिए अग्रिम	-	-
ञ) एमएस सील के लिए अग्रिम	-	-
ट) पूजा व्ययों के लिए अग्रिम	-	20,000
ठ) स्टाफ कल्याण के लिए अग्रिम	33,000	48,000
ड) यात्रा/दौरा व्ययों के लिए अग्रिम	1,00,000	6,47,405
ढ) एलटीसी अग्रिम	1,00,000	28,300
ण) परामर्शदाता और प्रोग्रामर साक्षात्कार के लिए अग्रिम	-	-
त) टेलीफोन के लिए अग्रिम	-	-
थ) आकस्मिक व्यय के लिए अग्रिम	-	-
द) मरम्मत और अनुरक्षण के लिए अग्रिम	-	-
सीपीएफ, जीपीएफ, पेंशन खाते में निधि अंतरण		
IX. अंत जमाशेष		
क) हाथ में रोकड़	-	-
ख) बैंक जमाशेष		
i) चालू खातों में	-	-
ii) जमाराशि खातों में	-	-
iii) बचत खाते	9,77,91,945	8,53,77,602
iv) अंतरण में निधियां	2,26,00,000	
Total	**14,63,91,611**	**11,89,01,350**

ह/-
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

ह/-
सदस्य सचिव

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार
मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
5वीं मंजिल, इंटीग्रेटिड ऑफिस कॉम्पलेक्स, वेटिनरी हॉस्पिटल रोड, फानेपेट, नंदानम, चेन्नई–600035

31–03–2020 तक तुलन पत्र के भाग की अनुसूचियां

अनुसूची 1 – कॉर्पस/पूंजी निधि

(राशि - ₹)

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. वर्ष के प्रारंभ में जमाशेष	1,28,75,112	1,21,06,191
प्रारंभिक जमाशेष – समायोजन		
घटायें: बैंक ब्याज और अन्य प्राप्तियां	17,52,847	
घटायें: ईएमएफ अनुसूची में गलती से बुक किया गया अनुदान व्यय	20,80,346	
घटायें: बैंक प्रभार	172	
घटायें: सीएटी वेतन	8,62,835	
घटायें: वेतन तथा भत्ता – मार्च 2019 प्रावधान	9,81,086	
घटायें: अव्ययित जमाशेष (अलग से प्रकट)	4,82,145	
जोड़ें: कॉर्पस/पूंजी निधि के लिए प्राप्त अनुदान	1,03,250	6,962
जोड़ें: आईओबी – खाता 209501000010000	-	-
घटायें: पीएओ, एग्री को वापिस किया गया ब्याज	2,79,782	-
	65,39,150	1,21,13,153
घटायें: आय एवं व्यय खाते से अंतरण की गई आय पर व्यय		
जोड़ें: आय एवं व्यय लेखा से अंतरण किए गए व्यय पर आय की अधिकता	(5,67,971)	7,61,959
वर्ष के अंत में जमाशेष	**59,71,178**	**1,28,75,112**
	Current Year	**Previous Year**
ख – भारत सरकार – अनुदान के ब्योरे		
प्रारंभिक जमाशेष	4,82,145	
जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्त निधि	4,50,00,000	
घटायें: व्यय	3,10,81,865	
31–03–2020 तक अव्ययित जमाशेष	**1,44,00,280**	-

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार
मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
5वीं मंजिल, इंटीग्रेटिड ऑफिस कॉम्पलेक्स, वेटिनरी हॉस्पिटल रोड, फानेपेट, नंदानम, चेन्नई–600035

31–03–2020 तक तुलन पत्र के भाग की अनुसूचियां

अनुसूची 2 – निर्धारित/संचयी निधियां

	निधि वार ब्रेकअप							कुल	
	फार्म पंजीकरण शुल्क	प्रक्रिया शुल्क (एल. वी फार्मस)	प्रक्रिया शुल्क (एल.वी. हैचरी)	ब्याज	फीड उत्पाद	अन्य प्राप्तियां	लेखा अंतर–अंतरण (देयप्राप्तियोग्य)	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) निधियों का प्रारंभिक जमा शेष	20,08,757	90,42,045	2,98,21,362	-	3,42,50,269		-	7,51,22,432	4,24,90,418
प्रारंभिक जमाशेष – समायोजन								-	
– बैंक ब्याज और अन्य प्राप्तियां				16,75,137		77,710		17,52,847	
– ईएमएफ अनुसूची में गलती से बुक किया गया अनुदान व्यय	20,80,346							20,80,346	
– मुख्य खाते में देय							17,16,928	17,16,928	
ख) निधियों में परिवर्धनरू								-	-
i. दान/अनुदान	-							-	-
ii. निर्धारित निधियों के खाते में किए गए निवेश से आय	-	-	-	-				-	-
iii. शुल्क	3,16,540	33,600	27,50,500	47,57,317	72,82,750		-	1,51,40,707	3,27,32,014
iv. अंशदान								-	-
v. संचयी निधियों में अंतरण की गई ब्याज प्राप्तियां				-				-	(62,85,641)
vi. ब्याज निधि से अंतरण की गई ब्याज प्राप्तियां	4,278.30	16,698.24	59,928.84	-	75,827.63			1,56,733	62,85,641
vii. वर्ष के दौरान प्राप्त							50,50,000	50,50,000	
कुल (क़ख)	**44,09,921**	**90,92,343**	**3,26,31,791**	**64,32,454**	**4,16,08,847**	**77,710**	**67,66,928**	10,10,19,993	7,52,22,432
ग) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोग/व्यय									
i. पूंजी व्यय									
– अचल परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-		-	-	-
– अन्य – निपटान	-	-	-	-	-		-	-	-
ज्वजंस	-	-	-	-	-		-	-	-
ii- राजस्व व्यय								-	-
– वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	-	-	-	-	-		-	-	-
– फार्मों के निरीक्षण आदि पर यात्रा व्यय	-	-	-	-	-		-	-	-
– जेआईएफएसएएन प्रशिक्षण व्यय	-	-	-	-	-		-	-	-
– सेमिनार/सम्मेलन आदि व्यय	-	-	-	-	3,20,000			3,20,000	1,00,000
– वर्ष के दौरान समायोजित निर्धारित निधि में से व्यय					15		-	15	-
कुल	-	-	-	-	-		-	-	-
घ) वर्ष दौरान अदायगी							50,91,450	50,91,450	-
कुल (ग)	-	-	-	-	3,20,015		50,91,450	54,11,465	1,00,000
वर्ष के अंत तक निवल जमाशेष (क़ख–ग)	**44,09,921**	**90,92,343**	**3,26,31,791**	**64,32,454**	**4,12,88,832**	**77,710**	**16,75,478**	**9,56,08,528**	**7,51,22,432**

टिप्पणियां
1) अनुदानों के साथ संलग्न शर्तों के आधार पर प्रासंगिक शीर्षों के अधीन प्रकटन किए जाएंगे
2) केंद्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियां पृथक निधियों के रूप में दर्शाये जाते हैं और किन्हीं अन्य निधियों के साथ मिश्रित नहीं किया जाएगा।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार
मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
5वीं मंजिल, इंटीग्रेटिड ऑफिस कॉम्पलेक्स, वेटिनरी हॉस्पिटल रोड, फानेपेट, नंदानम, चेन्नई–600035

31–03–2020 तक तुलन पत्र के भाग की अनुसूचियां

अनुसूची 3 – वर्तमान देयताएं और प्रावधान

(राशि - ₹)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
क. वर्तमान देयताएं				
1. स्वीकृतियां				
2. विविध ऋणदातारू				
i) सामानों के लिए	-	-	-	-
ii) अन्य		**31,194**		31,194
क. मुथ्थु सॉफ्ट प्रयोगशालाएं	31,194		31,194	
3. प्रदर्शन प्रतिभूति जमा		**24,462**		**3,662**
क) ऐश्वर्या कंस्ट्रक्शन	3,662		3,662	
ख) स्टडी टैक्नॉलजी	20,800			
4. जमानत धनराशि जमा		**60,000**		**50,000**
क) मेरिट एन्टरप्राइजिज	-		-	
ख) ऑर्बिट टेक्नॉलिजज	-		-	
ग) डे एन डे सर्विसस (प्रा.) लि.	30,000		30,000	
घ) बॉयो–इनकॉर्प/एलिगेन्ट टैक्नॉलिजज	-		-	
ड.) सिवा कैब्स	-		-	
च) ब्रॉडलाइन	5,000		5,000	
छ) मुथ्थु सॉफ्ट लैब्स	5,000		5,000	
ज) नुकुम टैक्नॉलजी	5,000		5,000	
झ) श्री विग्नेश कैब्स	5,000		5,000	
जे) देनाब – देना	10,000			

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
5. निम्नलिखित पर प्रोद्भूत लेकिन देय नहीं ब्याज				
क) सुरक्षित ऋण/उधारियां				
ख) असुरक्षित ऋण/उधारियां				
6. सांविधिक देयताएं				
क) नई पेंशन योजना (कर्मचारी अंशदान)	93,990	93,990		
7. प्रतिभूति जमा				
क) हिताची सिस्टम माइक्रो क्लिनिक प्रा. लि.	7,293	**7,293**	7,293	**7,293**
8. राज्य मत्स्यपालन – आंध्र प्रदेश	50,700	**50,700**	50,700	**50,700**
9. अन्य प्रावधान (आकस्मिक)	5,00,000	**5,00,000**	5,00,000	**5,00,000**
10. कैट – देय वेतन	53,20,558	**53,20,558**	30,00,000	**30,00,000**
11. टीएनपीडब्ल्यूडी के लिए इंटीरियर कार्य	41,70,000	**41,70,000**	-	-
12. एनपीएस कटौती – श्री के श्रीनिवासन बाबू	1,09,737	**1,09,737**	1,09,737	**1,09,737**
13. सीपीसीएलएसपीसी बकाया राशियां	14,45,845	**14,45,845**	14,45,845	**14,45,845**
14. टीएनपीडब्ल्यूडी को देय अनुरक्षण	15,31,028	**15,31,028**	-	-
15. देय किराया – वानुवमपेट	-	-	2,17,888	**2,17,888**
16. वि.व. 2019–20 के लिए देय किराया (टीएनपीडब्ल्यूडी)	24,13,320	**24,13,320**		
17. स्टाफ कटौती और परेषण	1,87,725	**1,87,725**	-	-
18. वेतन और देय भत्ता	7,15,995	**7,15,995**		
19. किराया बकाये		-	32,98,672	**32,98,672**
20. मै. डे एन डे	-	-	2,50,423	**2,50,423**
21. जयरमन एलएसपीसी/जीपीएफ	3,80,290	3,80,290	3,80,290	**3,80,290**
कुल		**1,70,42,137**		**93,45,704**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार
मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
5वीं मंजिल, इंटीग्रेटिड ऑफिस कॉम्पलेक्स, वेटिनरी हॉस्पिटल रोड, फानेपेट, नंदानम, चेन्नई–600035

31–03–2020 तक तुलन पत्र के भाग की अनुसूचियां

अनुसूची 4

(राशि - ₹)

मद	मूल्यह्रास की दर	सकल प्रखंड					मूल्यह्रास					निवल प्रखंड	
		वर्ष की शुरूआत में लागत मूल्यांकन	वर्ष के दौरान अतिरिक्त		वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान अतिरिक्त पर	रू. 5,000 के कम की परिसंपत्तियों की खरीद पर 100%	वर्ष के दौरान कटौती पर	वर्ष के अंत तक कुल	चालू वर्ष के अंत में	पिछले वर्ष के अंत में
			सितंबर तक	सितंबर के बाद									
संयंत्र और मशीनरी	15%	1,08,07,581				1,08,07,581	79,36,308	4,30,691	-		83,66,999	24,40,582	28,71,273
प्रयोगशाला उपकरण	15%	52,54,588				52,54,588	32,48,211	3,00,957			35,49,168	17,05,420	20,06,377
कार्यालय उपकरण	15%	46,18,029	-	-		46,18,029	31,71,158	2,17,031			33,88,189	12,29,840	14,46,871
कार	15%	3,30,860			11,124	3,19,736	3,18,326	1,410			3,19,736	-	12,534
फर्नीचर और जुड़नार	10%	46,20,673	8,850	-		46,29,523	27,91,578	1,83,795			29,75,373	16,54,150	18,29,095
कंप्यूटर और पेरिफेरल्स	40%	33,85,900	94,400	-		34,80,300	33,39,588	56,285			33,95,873	84,427	46,312
पुस्तकालय पुस्तकें और तकनीकी पुस्तकें	40%	23,58,882				23,58,882	23,44,250	5,853	-		23,50,103	8,779	14,632
चालू वर्ष का जोड़		**3,13,76,513**	**1,03,250**	-	**11,124**	**3,14,68,639**	**2,31,49,419**	**11,96,022**	-	-	**2,43,45,441**	**71,23,198**	**82,27,094**
पिछला वर्ष													
ख. पूंजीगत प्रगतिधीन													
कुल												**71,23,198**	**82,27,094**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार
मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
5वीं मंजिल, इंटीग्रेटिड ऑफिस कॉम्पलेक्स, वेटिनरी हॉस्पिटल रोड, फानेपेट, नंदानम, चेन्नई–600035

31–03–2020 तक तुलन पत्र के भाग की अनुसूचियां

अनुसूची 5 – निर्धारितध्संचयी निधियों से निवेश

(राशि - ₹)

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अचल जमाराशियां प्राप्तियां (आईओबी)	32,25,916	30,69,183
कुल	**32,25,916**	**30,69,183**

अनुसूची 6 – वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम आदि

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. वर्तमान परिसंपत्तियारू		
1. बैंक जमाशेषरू		
क) अनुसूचित बैंकों मेंरू		
– बचत खातों पर	9,77,91,945	8,53,77,602
– अंतरण में निधियां	2,26,00,000	
2. हाथ में स्टांप		
क) स्टांप (फ्रैंकिंग मशीन)	4,09,757	62,113
ख) स्टांप (डाक)	17,558	24,084
ग) पोस्ट मास्टर	-	5,00,000
कुल (ख)	**12,08,19,260**	**8,59,63,799**
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां		
निम्न के लिए नकदी अथवा वस्तु में वसूली योग्य अग्रिम और प्राप्त होने वाली अन्य राशियांरू		
क) पूर्वभुगतान (अनुबंध–1)	-	-
ख) एलटीसी अग्रिम	1,28,300	28,300
ग) बैठक के लिए अग्रिम	-	5,000
घ) यात्रा के लिए अग्रिम (अनुबंध – 1)	10,000	10,000
घ) वसूलीयोग्य वेतन	190	90
च) टेलीफोन जमाराशियां	39,782	39,782
छ) ईएमएफ खाते से वसूलीयोग्य	16,75,478	
कुल (ख)	18,53,750	83,172
कुल (क + ख)	**12,26,73,010**	**8,60,46,971**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार
मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
5वीं मंजिल, इंटीग्रेटिड ऑफिस कॉम्पलेक्स, वेटिनरी हॉस्पिटल रोड, फानेपेट, नंदानम, चेन्नई–600035

31–03–2020 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय के भाग की अनुसूचियां

अनुसूची 7 – अनुदान/सब्सिडियां

(अवसूलीयोग्य अनुदान और प्राप्त सब्सिडियां) **(राशि - ₹)**

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1) केंद्रीय सरकार	3,09,78,615	3,99,93,038
कुल	**3,09,78,615**	**3,99,93,038**

अनुसूची 8 – शुल्कध्अंशदान

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1) निविदा शुल्क	-	-
2) आरटीआई शुल्क	860	20
3) एमटीएस आवेदन शुल्क	-	-
कुल	**860**	**20**
टिप्पणी – प्रत्येक मद के लिए लेखाकरण नीतियां प्रकट नहीं की जाती हैं		

अनुसूची 9 – निवेशों से आय

(निधियों में अंतरण की गई निर्धारितध्संचयी निधियों से निवेश पर आय)

	निर्धारित निधि से निवेश	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
इंडियन बैंक में सावधि जमाराशि पर ब्याज	-	-
कुल	-	-
निर्धारितध्संचयी निधियों में अंतरण	-	-

अनुसूची 10 – अर्जित ब्याज

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1) सावधि जमाराशियों पर:		
क) अनुसूचित बैंकों में		
2) बचत खातों पर:		
क) अनुसूचित बैंकों में	6,09,716	2,79,782
कुल	**6,09,716**	2,79,782

टिप्पणी – स्रोत पर कटौती किया गया टैक्स दर्शायें

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार
मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
5वीं मंजिल, इंटीग्रेटिड ऑफिस कॉम्पलेक्स, वेटिनरी हॉस्पिटल रोड, फानेपेट, नंदानम, चेन्नई–600035

31–03–2020 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय के भाग की अनुसूचियां

अनुसूची 11 – अन्य आय

(राशि - ₹)

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
विविध आय	-	12
अन्य आय – कार की बिक्री पर लाभ	17,475	
कुल	**17,475**	**12**

अनुसूचियां 12 – स्थापना व्यय

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) वेतन और मजदूरी	1,17,34,888	1,44,07,253
ख) बोनस	82,896	84,623
ग) एलटीसी सुविधा	-	2,20,848
घ) पीएफ अंशदान	1,70,668	7,37,890
ड.) टयूशन शुल्क की प्रतिपूर्ति	-	1,98,000
च) चिकित्सा व्यय	62,135	22,665
छ) स्टाफ कल्याण	35,775	47,485
ज) छुट्टी नकदीकरण	1,32,735	7,492
झ) जीएसएलआई	240	660
ञ) एनपीएस	10,06,718	8,34,894
ट) पेंशन अंशदान	-	30,26,210
ठ) प्रोफेशनल कर	1,89,000	-
ड) सिटिंग शुल्क		18,000
कुल	**1,34,15,055**	**1,96,06,020**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार
मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
5वीं मंजिल, इंटीग्रेटिड ऑफिस कॉम्पलेक्स, वेटिनरी हॉस्पिटल रोड, फानेपेट, नंदानम, चेन्नई–600035

31–03–2020 को समाप्त वर्षअवधि के लिए आय एवं व्यय अनुसूची

अनुसूची 13 – अन्य प्रशासनिक व्यय आदि

(राशि - ₹)

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. विज्ञापन और प्रचार	1,61,749	71,619
2. घरेलू यात्रा व्यय	9,77,558	26,66,119
3. अन्य व्यय		
मरम्मतें और अनुरक्षण	73,27,628	88,096
बिजली और पावर	3,24,782	5,12,048
ईंधन प्रभार	3,000	64,500
किराया, दरें और टैक्स	38,24,860	59,13,328
जल प्रभार	4,460	3,090
डाकव्यय, टेलीग्राम	1,58,882	2,22,133
मुद्रण, स्टेशनरी और उपभोज्य	3,47,754	5,36,140
कंप्यूटर अनुरक्षण	2,42,590	-
टेलीफोन व्यय	2,06,332	4,13,764
प्रोफेशनल प्रभार	10,81,718	2,70,287
विदेशी यात्रा व्यय	1,00,000	-
वाहन किराया प्रभार	5,09,309	9,41,990
बैठक व्यय	3,10,083	3,92,348
विविध व्यय	-	19,657
सम्मेलन/कार्यशालाएं/प्रशिक्षण व्यय	1,72,337	8,96,169
अन्य सांविदिक सेवा	-	8,07,142
स्थानांतरण व्यय	2,95,336	5,120
प्रयोगशाला रसायन	1,82,664	7,37,053
एएमसी व्यय (ए.सी., कंप्यूटर, कार्यालय उपकरण आदि)	79,674	50,250
वाहन	-	7,227
परामर्शदाता शुल्क	8,65,170	32,48,182
समाचारपत्र और पत्रिका	5,904	748
सॉफ्टवेयर विकास	3,23,240	4,41,217
प्रयोगशाला उपकरण	35,482	3,068
हिंदी सप्ताह समारोह/प्रतियोगिता	-	1,09,838
स्वतंत्र/गणतंत्र दिवस समारोह	-	12,353
बैंक प्रभार	982	5,529
लेखापरीक्षा व्यय	22,066	12,261
आंतरिक लेखापरीक्षा व्यय	-	73,556
प्रचार सप्ताह	-	3,668
पूजा व्यय	-	14,595
कुल	**1,75,63,560**	**1,85,43,095**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार
मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
5वीं मंजिल, इंटीग्रेटिड ऑफिस कॉम्पलेक्स, वेटिनरी हॉस्पिटल रोड, फानेपेट, नंदानम, चेन्नई–600035

अनुबंध–1

स्टाफ त्योहार अग्रिम

क्र.सं.	नाम	31.03.2020	31.03.2019
1	श्रीमती जी. प्रिया, एसटीए	-	-
2	श्री रमेश कुमार, एसटीए	-	-
3	कुमारी एस. प्रिया, स्टैनो ग्रेड डी	-	-
4	श्री वी. सेल्वम, स्टाफ कार ड्राईवर	-	-
5	श्री इलावरसन, एमटीएस	-	-
6	श्री पी. राजेश, एमटीएस	-	-
7	श्री वी. प्रसाद, एमटीएस	-	-
8	श्रीमती जयंती, कनिष्ठ लिपिक	-	-
	कुल	-	-

क्र.सं.	अन्य अग्रिम		
1	पूर्व भुगतान व्यय	-	-
2	बैठक के लिए अग्रिम	-	-
3	एलटीसी अग्रिम	-	-
4	यात्रा के लिए अग्रिम – श्री जयरमन	10,000	10,000
	कुल	**10,000**	**10,000**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार
मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
5वीं मंजिल, इंटीग्रेटिड ऑफिस कॉम्पलेक्स, वेटिनरी हॉस्पिटल रोड, फानेपेट, नंदानम, चेन्नई–600035

अनुसूची – 14

लेखाकरण नीतियां

1. लेखाकरण परंपरा

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत सामान्यत स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांत (जीएएपी), आईसीएआई द्वारा जारी लागू अनिवार्य लेखाकरण मानकों (एएस) और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लिए सीजीए द्वारा यथा निर्धारित संगत प्रस्तुति संबंधी अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए जाते हैं। प्राधिकरण व्यय और आय की सभी मदों के संबंध में लेखाकरण की उपार्जन विधि का अनुसरण करता है, सिवाय इसके कि जहां अन्यथा कहा गया है।.

2. अचल परिसंपत्तियां

(क) अचल परिसंपत्तियों का विधिवत निरीक्षण किए जाने के बाद इनका हिसाब रखा जाता है।

(ख) अचल संपत्तियों को लागत कम संचित मूल्यह्रास लागत पर कहा जाता है जिसमें खरीद मूल्य, आवक माल ढुलाई, शुल्क और कर तथा इसके इच्छित उपयोग के लिए परिसंपत्तियों को उसकी कामकाजी परिस्थितियों में लाने की कोई अन्य प्रत्यक्ष लागत शामिल है। अर्हक अचल परिसंपत्तियों के अधिग्रहणधनिर्माण से संबंधित वित्तपोषण लागत को भी उस सीमा तक शामिल किया जाता है जब तक कि ऐसी परिसंपत्तियां अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार न हो जाएं।

(ग) पूर्ववर्ती जलकृषि प्राधिकरण की अचल परिसंपत्तियों को भी ज्ञात परिसंपत्तियों के मूल्य के लिए सीएए द्वारा अधिग्रहण की तारीख से खरीदने की तारीख तक की अवधि के लिए लागत कम मूल्यह्रास पर ध्यान में रखा गया था। ज्ञात संपत्तियों के मूल्य के मामले में, सीएए के बही–खातों में पूंजी डालने के लिए 1/- रुपये के अनुमानित मूल्य पर विचार किया जाता है।

(घ) गैर–मौद्रिक अनुदानों के माध्यम से प्राप्त अचल परिसंपत्तियों को पूंजीगत निधि के संगत क्रेडिट द्वारा बताए गए मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है। निरूशुल्क उपहार के रूप में प्राप्त अचल परिसंपत्तियों को रु.1/- के नाममात्र मूल्य पर ध्यान में रखा जाता है।

(ङ) विशिष्ट सहायता अनुदान पर अर्जित अचल परिसंपत्तियां प्राधिकरण के खाते में अचल संपत्ति के रूप में शामिल हैं। सहायता अनुदान से सृजित परिसंपत्तियों की लागत पूंजी निधि में जमा की जाती है। उन परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास भी आयकर अधिनियम और नियमों द्वारा निर्धारित दरों पर परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर लगाया जाता है और आय और व्यय खाते में मान्यता प्राप्त है।

3. मूल्यह्रास

क) मूल्यह्रास आयकर अधिनियम 1961 में निर्दिष्ट दरों के अनुसार लिखित मूल्य पद्धति पर प्रदान किया जाता है।

ख) वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों के परिवर्धन/कटौतियों के संबंध में, वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में अर्जित परिसंपत्तियों पर आयकर नियमों में विनिदष्ट दरों पर पूर्ण मूल्यह्रास लगाया जाता है तथा वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में अर्जित परिसंपत्तियों पर 50% मूल्यह्रास लगाया जाता है।

ग) 5000/– रुपये और उससे कम की लागत वाली अचल परिसंपत्तियों की प्रत्येक मद का अधिग्रहण के वर्ष में पूर्ण रूप से अवमूल्यन किया जाता है।

घ) वित्त अधिनियम 2017 में नवीनतम संशोधन के अनुसार पुस्तकों और कंप्यूटरों के संबंध में मूल्यह्रास की दर 31.03.2020 तक ब्लॉक के डब्ल्यूडीवी के 40: तक सीमित थी।

4. पट्टा / किराया

पट्टेधकिराया किराये का हिसाब पट्टे के नियमों और शर्तों के अनुसार व्यय के रूप में रखा जाता है।

5. परिसंपत्तियों की हानि

एक परिसंपत्ति को बिगड़ा हुआ माना जाता है जब परिसंपत्ति की वहन लागत उसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है। क्षति हानि का शुल्क उस वर्ष के लिए आय तथा व्यय विवरण से लिया जाता है जिसमें परिसंपत्तियों की पहचान बिगड़ा हुआ है। क्षति हानि को पहचाना या पुनर्प्राप्त करने योग्य राशि माना गया है।

6. सरकारी अनुदान/ सब्सिडियां

पूंजीगत व्यय अर्थात सहायता अनुदान से सृजित मूल्यह्रासीय परिसंपत्तियों की लागत को श्पूंजी निधिश खाते में जमा किया जाता है। सहायता अनुदान से होने वाले राजस्व व्यय को ष्आय और व्यय खातेष में डेबिट किया जाएगा। व्यय की तुलना में अनुदान की अधिकता वर्ष के अंत में पूंजी निधि खाते में अंतरण कर दी जाती है।

7. सेवानिवृत्ति लाभ

क) नई पेंशन योजना के लिए वर्ष के दौरान भुगतान किए गएध्देय प्राधिकरण के योगदान को आय और व्यय विवरण में मान्यता प्राप्त है।

ख) सेवानिवृत्ति लाभों अर्थात ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, पेंशन के संबंध में देयताओं का निर्धारण डीओपीटीएम सं. 7/5/2012–पी एंड पीडब्ल्यू (एफ)/ बी दिनांक 26.08.2016, केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम, 1972, केंद्रीय सिविल सेवा छुट्टी नियमों और प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित अनुसार प्रतिवर्ष किया जाता है।

8. कराधान

प्राधिकरण अपनी संपत्ति, आय, प्राप्त लाभ के संबंध में संपत्ति कर, आयकर, सेवा कर, सीएसटी या किसी अन्य कर के संबंध में संघ/ राज्य को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसलिए, वर्तमान और स्थगित आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

9. प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक परिसंपत्तियां

माप में अनुमान की पर्याप्त डिग्री से जुड़े प्रावधानों को मान्यता दी जाती है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह संभव है कि संसाधनों का बहिर्वाह होगा। आकस्मिक देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है, लेकिन खातों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है। आकस्मिक संपत्ति न तो मान्यता प्राप्त है और न ही वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई है।

10. आय और व्यय

इस अनुच्छेद में बाद में निर्दिष्ट आय को छोड़कर वर्ष की सभी आय और व्यय, खातों के विशिष्ट प्रत्यक्ष शीर्षों के तहत उपार्जन आधार पर हिसाब किया जाता है:

क) पिछले वर्ष की आय या व्यय, जो एक या अधिक पूर्व अवधियों में प्रावधान करने / देयता बनाने में चूक की त्रुटियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है, को "पूर्व अवधि समायोजन" खाते के तहत रखा जाता है।

ख) यदि वास्तविक व्यय या आय व्यय के आधार पर सृजित देयताधकिए गए प्रावधान से अधिक है, तो इसका हिसाब नकद आधार पर लगाया जाता है।

ग) वार्षिक खातों और असाधारण मदों को अंतिम रूप देने की तारीख के बाद लिए गए निर्णय के कारण प्राधिकरण को प्राप्त होने वाला व्ययध्आय। यदि कोई पूर्वव्यापी प्रभाव है, तो उसका नकद आधार पर हिसाब रखा जाता है।

घ) तुलन पत्र औरध्या आय तथा व्यय खाते में किसी मद के प्रकटीकरण के लेखाकरण उपचार और तरीके का निर्धारण करते समय, भौतिकता की अवधारणा पर उचित विचार किया जाता है और इसलिए प्रत्येक मामले में 1,000 रुपये तक की पूर्व–भुगतानध्पूर्व अवधि मदों का नकद आधार पर खाता के प्राकृतिक प्रमुखों को हिसाब दिया जाता है।

11. राजस्व मान्यता

क) प्राधिकरण डीएलसीध्एसएलसी द्वारा फार्मों के पंजीकरण के लिए डीएलसीध्एसएलसी और सीएए के बीच 7030 के अनुपात में एकत्र किया गया शुल्क प्राप्त कर रहा है। इसके अलावा प्राधिकरण लिटोपेनेयस वैननामेई फार्म्स और हैचरी और फीड उत्पादों के लिए प्रसंस्करण शुल्क एकत्र कर रहा है। प्राधिकरण की बाहर निकलने की नीति के अनुसारय शुल्क को प्राप्तियों के वर्ष में प्राधिकरण की निर्धारितध्बंदोबस्ती निधि के रूप में रखा जाता है और प्राधिकरण द्वारा विशिष्ट या निर्धारित उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने के लिए रखा जाता है।

ख) ब्याज आय को नकद आधार पर बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए मान्यता दी जाती है।

12. पृथक प्रकटन

आय और व्यय खाते में निम्नलिखित के संबंध में अलग–अलग प्रकटन किए जाते हैंरू

क) "पूर्व अवधि" मदें जिनमें आय या व्यय की भौतिक मदें शामिल होती हैं जो वर्तमान अवधि में त्रुटियों या व्ययों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती हैं जो वर्तमान अवधि में उत्पन्न होती हैं या एक या अधिक पूर्व अवधियों के वित्तीय विवरणों की तैयारी में चूक की त्रुटियां होती हैं।

ख) "असाधारण" मदें, जो आय या व्यय की भौतिक वस्तुएं हैं जो घटना या लेनदेन से उत्पन्न होती हैं जो इकाई की सामान्य गतिविधियों से स्पष्ट रूप से अलग हैं। इसलिए, बार–बार या नियमित रूप से पुनरावृत्ति की उम्मीद नहीं है।

ग) "विविध आय" शीर्षक के तहत कोई भी वस्तु जो 50,000/– रुपये से अधिक है, आय और व्यय खाते में एक उपयुक्त खाता शीर्ष के सामने दिखाया गया है।

घ) ''विविध व्यय'' शीर्ष के अंतर्गत कोई भी मद जो 50,000/– रुपये से अधिक है, उसे आय और व्यय खाते में उपयुक्त खाता मद के विरुद्ध दर्शाया जाता है।

ह/-
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

ह/-
सदस्य सचिव

अनुसूची – 15

आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां

सीएजी ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2016–17, 2017–18 और 2018–19 के लिए वार्षिक खातों से संबंधित ईएमएफ अनुसूची और बैंक बैलेंस के बीच अंतिम शेष राशि बेमेल है। इसके कारणों की पहचान की गई और तदनुसार पूंजी निधि खाते में आवश्यक समायोजन करके वर्ष 2019–20 के लिए संशोधित अंतिम खाते तैयार किए गए हैं। वर्ष 2018–19 के लिए समापन शेष राशि को वर्ष 2019–20 के लिए प्रारंभिक जमाराशि के रूप में लिया गया है और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए संशोधित वार्षिक खातों में संशोधित प्रारंभिक और अंतिम जमाशेष पर पहुंचने के लिए वित्त वर्ष 2019–20 के लिए संशोधित वार्षिक खातों में समायोजन प्रविष्टियां की गई हैं।

आकस्मिक देयताएं

31 मार्च 2018 तक, एजी पत्र सं. पीडीए (सी)/सीई/वी/2018–48/17–18/156 दिनांक 01.09.2017 भाग प्ठ पैरा सं. 2, सीपीडब्ल्यूडी उचित किराया प्रमाण पत्र और संपत्ति कर रसीद के अनुसार किराए के भवन के फर्श क्षेत्र में अंतर के कारण जुलाई 2017 से 126,872 रुपये की राशि रोक दी गई थी। इसलिए 31.3.2018 तक 11,41,848 रुपये की संदिग्ध देयता मौजूद थी। लेखापरीक्षा पैरा सं. 2/ IIB का निपटान एजी लेटर सं. डीजीए (सी)/सीई/वी/28–48/17–18/54 दिनांक 18.9.2019 के अनुसार किया गया है। तदनुसार दायित्व का निपटान कर दिया गया है।

अचल परिसंपत्तियां

पूर्ववर्ती जलकृषि प्राधिकरण की अचल परिसंपत्तियों को भी ज्ञात परिसंपत्तियों के मूल्य के लिए सीएए द्वारा अधिग्रहण की तारीख से खरीदने की तारीख तक की अवधि के लिए लागत कम मूल्यह्रास पर ध्यान में रखा गया था। ज्ञात परिसंपत्तियों के मूल्य के मामले में, सीएए के बही–खातों में पूंजी डालने के लिए 1/- रुपये के अनुमानित मूल्य पर विचार किया जाता है। आयकर नियमों में निर्धारित दर पर सभी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना की गई है और वित्त वर्ष 2019–20 के लिए आय और व्यय खाते में शुल्क लगाया गया है।

वर्ष के दौरान, प्राधिकरण ने कार की बिक्री पर 17,475 रुपये का लाभ अर्जित किया, जिसका बिक्री की तारीख तक लिखित मूल्य 11,124 रुपये है।

वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

प्राधिकरण ने डाकघर से फ्रैंकिंग मशीन ली है और उस प्राधिकरण द्वारा डाकघर से सरकारी डाक टिकट खरीदने के अलावा एकमुश्त राशि के लिए टिकटों से भरा जाता है, इस तरह भुगतान की गई राशि को हाथ में डाक टिकट के रूप में दिखाया जाता है। स्टाम्प की दैनिक खपत के लिए रखे जाने वाले रजिस्टर के आधार पर, डाक टिकटों पर किए गए कुल व्यय को वार्षिक आधार पर हाथ के खाते में टिकटों के तदनुरूपी क्रेडिट द्वारा संबंधित व्यय मद में घटाया जाता है। 31 मार्च, 2020 तक 4,27,315/- रुपये के डाक टिकटों की राशि थी।

वर्तमान देयताएं

निष्पादन गारंटी के रूप में प्राप्त 24,462/- रुपये की प्रतिभूति जमा राशि इसकी वारंटी अवधि पूरी होने तक रखी जाएगी।

कराधान

प्राधिकरण अपनी संपत्ति, आय, प्राप्त लाभ के लाभ के संबंध में संपत्ति कर, आयकर या किसी अन्य कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसलिए, वर्तमान और आस्थगित आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

सरकारी अनुदानध्संग्रहीत शुल्क

पूंजीगत व्यय अर्थात् सहायता अनुदान से सृजित मूल्यह्रासीय परिसंपत्तियों की लागत को श्पूंजी निधिश खाते में जमा किया जाता है। सहायता अनुदान से होने वाले राजस्व व्यय को ष्आय और व्यय खातेष् में डेबिट किया जाएगा। व्यय से अधिक आय 31 मार्च, 2020 को वर्ष के अंत में पूंजी निधि खाते में अंतरण कर दी जाती है।

प्राधिकरण डीएलसीध्एसएलसी द्वारा फार्मों के पंजीकरण के लिए एकत्र शुल्क डीएलसी/एसएलसी और सीएए के बीच 70:30 के अनुपात में साझा किया जा रहा है। इसके अलावा प्राधिकरण एलवी फार्मों और हैचरी के लिए प्रसंस्करण शुल्क एकत्र कर रहा है। प्राधिकरण की बाहर निकलने की नीति के अनुसारय शुल्क को प्राप्तियों के वर्ष में प्राधिकरण की निर्धारित/वृत्ति निधि के रूप में रखा जाता है और प्राधिकरण द्वारा विशिष्ट या निर्धारित उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने के लिए रखा जाता है।

पिछले वर्ष के आंकड़े

स्वायत्त निकायों के लिए सीएजी द्वारा निर्धारित लेखाकरण प्रक्रिया, तुलन पत्र, आय और व्यय खाते तथा रसीद एवं भुगतान खाते में पिछले वर्ष के आंकड़ों को दिखाने के लिए निर्दिष्ट करती है।

ह/-
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

ह/-
सदस्य सचिव

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार
मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
5वीं मंजिल, इंटीग्रेटिड ऑफिस कॉम्पलेक्स, वेटिनरी हॉस्पिटल रोड, फानेपेट, नंदानम, चेन्नई–600035

अंशदायी भविष्य निधि

31 मार्च 2020 तक तुलन पत्र

पूंजी निधि/देयताएं	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
जीपीएफ निधि		
आरंभिक जमाशेष	11,28,053	5,43,681
व्यय पर आय की अधिकता/(कमी)	1,13,317	5,84,372
	12,41,370	11,28,053
कुल	**12,41,370**	**11,28,053**
परिसंपत्तियां		
अचल परिसंपत्तियां		
निवेश		
वर्तमान परिसंपत्तियां	-	-
बैंक में रोकड़	-	-
– इंडियन बैंक		
– आईओबी	12,39,417	11,26,109
	1,953	1,944
कुल	**12,41,370**	**11,28,053**

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता

आय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
सीपीएफ अंशदान	48,438	5,48,800
ब्याज	64,938	35,631
कुल	**1,13,376**	**5,84,431**
व्यय		
बैंक प्रभार	59	59
निपटान/अंतरण किया गया सीपीएफ	-	-
व्यय पर आय की अधिकता/(कमी)	1,13,317	5,84,372
कुल	**1,13,376**	**5,84,431**

1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 अवधि के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान खाता

प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
– इंडियन बैंक	11,26,109	5,41,747
– आईओबी	1,944	1,934
सीपीएफ अंशदान	48,438	5,48,800
ब्याज	64,938	35,631
कुल	**12,41,429**	**11,28,112**
भुगतान		
बैंक प्रभार		
निपटान/अंतरण किया गया सीपीएफ	59	59
अंत जमाशेष	-	-
– इंडियन बैंक	12,39,417	11,26,109
– आईओबी	1,953	1,944
कुल	**12,41,429**	**11,28,112**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार
मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
5वीं मंजिल, इंटीग्रेटिड ऑफिस कॉम्पलेक्स, वेटिनरी हॉस्पिटल रोड, फानेपेट, नंदानम, चेन्नई–600035

सामान्य भविष्य निधि

31 मार्च 2020 तक तुलनपत्र

पूंजी निधिध्देयताएं	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
जीपीएफ निधि		
आरंभिक जमाशेष	13,89,125	1,223,133
व्यय पर आय की अधिकता/(कमी)	2,34,859	165,992
	16,23,984	1,389,125
कुल	**16,23,984**	**1,389,125**
परिसंपत्तियां		
अचल परिसंपत्तियां		
निवेश	-	-
वर्तमान परिसंपत्तियां	-	-
बैंक में रोकड़		
– इंडियन बैंक	16,21,512	1,386,681
– आईओबी	2,472	2,444
कुल	**16,23,984**	**1,389,125**

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता

आय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
जीपीएफ अंशदान	1,43,000	156,000
ब्याज	91,918	72,051
कुल	**2,34,918**	**228,051**
व्यय		
बैंक प्रभार	59	59
निपटान/अंतरण किया गया जीपीएफ	-	62,000
व्यय पर आय की अधिकता/(कमी)	2,34,859	165,992
कुल	**2,34,918**	**228,051**

1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 अवधि के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान खाता

प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
आरंभिक जमाशेष		
– बैंक जमाशेष	13,86,681	12,20,717
– आईओबी	2,444	2,416
जीपीएफ अंशदान	1,43,000	1,56,000
ब्याज	91,918	72,051
कुल	**16,24,043**	**14,51,184**
भुगतान		
बैंक प्रभार	59	59
निपटान/अंतरण किया गया जीपीएफ	-	62,000
अंत जमाशेष		
– इंडियन बैंक	16,21,512	13,86,681
– आईओबी	2,472	2,444
कुल	**16,24,043**	**14,51,184**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार
मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
5वीं मंजिल, इंटीग्रेटिड ऑफिस कॉम्पलेक्स, वेटिनरी हॉस्पिटल रोड, फानेपेट, नंदानम, चेन्नई–600035

पेंशन निधि

31 मार्च 2020 तक तुलन पत्र

पूंजी निधिध्देयताएं	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
पेंशन निधि		
आरंभिक जमाशेष	1,51,11,154	1,13,84,993
व्यय पर आय की अधिकता/(कमी)	9,02,441	37,26,161
	1,60,13,595	1,51,11,154
कुल	**1,60,13,595**	**1,51,11,154**
परिसंपत्तियां		
अचल परिसंपत्तियां		
निवेश	-	-
वर्तमान परिसंपत्तियां	-	-
बैंक में रोकड़		
– इंडियन बैंक	1,59,86,159	1,50,84,600
– आईओबी	27,436	26,554
कुल	**1,60,13,595**	**1,51,11,154**

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता

आय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
पेंशन अंशदान	-	30,26,210
ब्याज	9,02,500	7,00,010
कुल	**9,02,500**	**37,26,220**
व्यय		
बैंक प्रभार	59	59
निपटान/अंतरण की गई पेंशन	-	-
व्यय पर आय की अधिकता/(कमी)	9,02,441	37,26,161
कुल	**9,02,500**	**37,26,220**

1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 अवधि के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान खाता

प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
आरंभिक जमाशेष		
– इंडियन बैंक	1,50,84,600	1,13,59,293
– आईओबी	26,554	25,700
पेंशन अंशदान	-	30,26,210
ब्याज	9,02,500	7,00,010
कुल	**1,60,13,654**	**1,51,11,213**
भुगतान		
बैंक प्रभार		
निपटानध्अंतरण की गई पेंशन	59	59
अंत जमाशेष	-	-
– इंडियन बैंक	1,59,86,159	1,50,84,600
– आईओबी	27,436	26,554
कुल	**1,60,13,654**	**1,51,11,213**

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) चेन्नै का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT
(CENTRAL) CHENNAI

सं. पीडीए(सी)/सीई/V/28-037/2021-22/ 134 दिनांक: 30.12.2021

सेवा में,
सचिव, भारत सरकार,
कृषि मंत्रालय,
पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001।

महोदय,

विषय: वर्ष 2019-20 के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संबंध में।

मैं यहां वर्ष 2019-20 के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट लेखाओं के विवरण के साथ अग्रेषित करना चाहता हूं।

कृपया वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए संसद में लेखाओं की प्रस्तुति की तारीख के बारे में इस कार्यालय को सूचित करें। कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट संसद में वर्तमान वर्ष की रिपोर्ट पटल पर रखने से पहले पटल पर रखी जाए। इसके अलावा, संसद में यथा प्रस्तुत रिपोर्ट की एक प्रति भी यथासमय इस कार्यालय को भेज दी जाए।

कृपया संलग्नकों के साथ इस पत्र की पावती भेज दें।

संलग्न: उपर्युक्त

भवदीय,

हस्ता./

उप निदेशक/सीई

लेखापरीक्षा भवन, 361, अण्णा सालै, तेनामपेट, चेन्नै - 600 018. "LEKHA PARIKSHA BHAVAN", 361, ANNA SALAI, TEYNAMPET, CHENNAI - 600 018.
Phone : 91-044 - 2431 6406, Fax: 91- 044 - 24338924, E.mail : dagacchennai@cag.gov.in

सं. पीडीए(सी)/सीई/V/28-037/2021-22/ 136 दिनांक: 30.12.2021

वर्ष 2019-20 के लिए पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रति के साथ इसकी प्रति सदस्य सचिव, तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई को भेजी जाती है। यह अनुरोध किया जाता है कि संसद में यथा प्रस्तुत पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के हिंदी संस्करण की प्रति और वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति यथाशीघ्र भेजें। कृपया यह सुनिश्चित करें कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट संसद में वर्तमान वर्ष की रिपोर्ट पटल पर रखने से पहले पटल पर रखी जाए। यह भी अनुरोध है कि वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए संसद में लेखे प्रस्तुत किए जाने की तारीखों के बारे में भी जानकारी भेजें।

उप निदेशक/सीई

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट।

हमने तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 20(3) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अधीन उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2020 तक आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के संलग्न तुलन पत्र की लेखापरीक्षा की थी। ये वित्तीय विवरण प्राधिकरण के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखाकरण पद्धतियों की पुष्टि, लेखाकरण मानकों, प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में लेखाकरण संव्यवहार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां शामिल हैं। कानून, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) तथा दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं, यदि कोई हो, के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन-देनों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों की सूचना निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अलग से दी जाती है।

3. हमने भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हम इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय विवरण सामग्री गलत विवरणों से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशि तथा प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की जांच करना शामिल है। लेखापरीक्षा में उपयोग किए गए लेखाकरण सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का मूल्यांकन करना, साथ ही वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हम मानते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करता है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।

ii इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा और प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किया गया है।

iii हमारी राय में तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई द्वारा प्राधिकरण के नियमों और विनियमों में यथा अपेक्षित लेखा बहियों तथा अन्य संगत अभिलेखों का रखरखाव किया गया है, जहां तक ऐसी बहियों की हमारी जांच से दिखाई देता है।

iv हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

क. सामान्य

लेखाकरण मानक-15 के अंतर्गत यथा अपेक्षित बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान नहीं किया गया था।

ख. लेखाओं में संशोधन का प्रभाव

प्राधिकरण ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर अपने लेखाओं को संशोधित किया था। संशोधन के परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों/देयताओं में 0.16 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और 0.74 करोड़ रुपये के अधिशेष को 0.06 करोड़ रुपये के घाटे में बदल दिया गया था।

ग. सहायता अनुदान

वर्ष के दौरान प्राप्त 4.50 करोड़ रुपये के सहायता अनुदान और पिछले वर्ष के 0.04 करोड़ रुपये के अव्ययित अनुदान (कुल 4.54 करोड़ रुपये) में से प्राधिकरण ने 3.10 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया, जिससे 31 मार्च 2020 तक 1.44 करोड़ रुपये की शेष राशि बच गई।

घ. प्रबंधन पत्र

जिन कमियों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से तटीय जलकृषि प्राधिकरण चेन्नई के ध्यान में लाया गया है।

V पिछले अनुच्छेदों में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा और प्राप्तियां एवं भुगतान खाता बही खातों के अनुरूप हैं।

vi हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखा नीतियों और खातों पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण, तथा ऊपर बताए गए महत्वपूर्ण मामलों एवं इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य मामलों के

अधीन, भारत में सामान्यत: स्वीकार किए जाने वाले लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

क. जहां तक यह 31 मार्च 2020 तक तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण, चेन्नई के मामलों की स्थिति के तुलन पत्र से संबंधित है; और

ख. जहां तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए घाटे के आय एवं व्यय लेखा से संबंधित है।

भारत के सी एंड एजी के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./-

प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक (मध्य), चेन्नई

स्थान: चेन्नई
तारीख: 30.12.2021

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

वर्ष 2019-20 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली इस हद तक अपर्याप्त थी कि वर्ष के दौरान प्राधिकरण की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई है।

3. अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन

वर्ष 2019-20 के लिए अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया था।

4. वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

वर्ष 2019-20 के लिए वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन किया गया था।

5. सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता

प्राधिकरण सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमित था।

सत्यमेव जयते

P.MADHAVI, IAAS

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय)
चेन्नै
लेखापरीक्षा भवन,
361, अण्णा सालै, तेनामपेट, चेन्नै - 600 018.
PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (CENTRAL)
Chennai
"LEKHA PARIKSHA BHAVAN",
361, Anna Salai, Teynampet, Chennai - 600 018.

अ.स.नं / D.O.No.: CE/M/28-037/2021-22//37
दिनांक / Date :.....30.12.2021.....

प्रिय महोदया,

कृपया 30.12.2021 को जारी वर्ष 2019-20 के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के वार्षिक लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट देखें। मैं उपचारात्मक कार्रवाई के लिए लेखाकरण पद्धतियों/प्रक्रियाओं में देखे गए निम्नलिखित विपथन को आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

अनुसूची-1-ख के अंतर्गत प्रदर्शित 1.44 करोड़ रुपये के अप्रयुक्त अनुदान को अनुसूची-3. वर्तमान देयता में ले जाया जाना चाहिए।

सादर,

भवदीय,

डॉ. वी. कृपा
सदस्य सचिव
तटीय जलकृषि प्राधिकरण,
चेन्नई-600035

दूरभाष / Phone : 044 - 2431 6406
फैक्स / Fax : 044 - 2433 8924
तार / E-mail : dgacchennai@cag.gov.in

वित्तीय वर्ष 2019 – 20 से संबंधित पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के उत्तर

अवलोकन	उत्तर
क. सामान्य लेखाकरण मानक–15 के अंतर्गत यथा अपेक्षित बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान नहीं किया गया था।	प्राधिकरण ने वित्त वर्ष 2019–20 से सीएए कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण देयता का आकलन करने के उद्देश्य से बीमांकिक मूल्यांकन प्रदान करने हेतु बीमांकिक मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किया है। सीएए को वर्ष 2019–20 और 2020–21 के लिए एएस 15 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट मिली है और इस पर कार्रवाई की जा रही है।
ख. लेखाओं में संशोधन का प्रभाव प्राधिकरण ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर अपने खातों को संशोधित किया था। संशोधन के परिणामस्वरूप परिसंपत्तियोंध्देयताओं में 0.16 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और 0.74 करोड़ रुपये के अधिशेष को 0.06 करोड़ रुपये के घाटे में बदल दिया गया था।	लेखापरीक्षा द्वारा किए गए किसी भी अवलोकन को शून्य के रूप में नहीं माना जा सकता है।
ग. सहायता अनुदान वर्ष के दौरान प्राप्त 4.50 करोड़ रुपये के सहायता अनुदान और पिछले वर्ष के 0.04 करोड़ रुपये के अव्ययित अनुदान (कुल 4.54 करोड़ रुपये) में से प्राधिकरण ने 3.10 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया, जिससे 31 मार्च 2020 तक 1.44 करोड़ रुपये की शेष राशि बच गई।	यह प्रस्तुत किया जाता है कि मार्च 2020 के महीने में प्राप्त जीआईए राशि और इसलिए, पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सका। वित्तीय वर्ष 2019–20 से संबंधित 1.44 करोड़ रुपये (1,44,00,280/- रुपये) की जीआईए की अप्रयुक्त राशि को 30.03.2021 को वेतन और लेखा कार्यालय, सचिवालय–1, मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, नई दिल्ली को सौंप दिया गया है और 27.11.2020 को यूसी प्रस्तुत किया गया है।

वर्ष 2019–20 के लिए पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक का उत्तर

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता वर्ष 2019–20 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।	सीएजी द्वारा सूचीबद्ध फर्म मैसर्स प्रिज्म एंड एसोसिएट्स को आंतरिक लेखापरीक्षा सेवा प्रदान करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है। आंतरिक लेखापरीक्षकों ने लेखापरीक्षा किया है और वर्ष 2020–21 के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता आंतरिक नियंत्रण प्रणाली इस हद तक अपर्याप्त थी कि वर्ष के दौरान प्राधिकरण की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई है।	
3. अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन वर्ष 2019–20 के लिए अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया था।	लेखापरीक्षा द्वारा किए गए किसी भी अवलोकन को शून्य के रूप में नहीं माना जा सकता है।
4. वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली वर्ष 2019–20 के लिए वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन किया गया था।	
5. सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता प्राधिकरण सांविधिक देय राशियों के भुगतान में नियमित था।	

प्रबंधन पत्र सीई/II/28–037/2021–22/137 दिनांक 30.12.2021 का उत्तर

अनुसूची–ष–ख के तहत प्रदर्शित 1.44 करोड़ रुपये के अप्रयुक्त अनुदान को अनुसूची–3 में ले जाया जाना चाहिए। वर्तमान देयता।	यह निवेदन किया गया है कि मार्च 2020 के महीने में प्राप्त जीआईए राशि और इसलिए, पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सका। वित्तीय वर्ष 2019–20 से संबंधित 1.44 करोड़ रुपये (1,44,00,280/- रुपये) की जीआईए की अप्रयुक्त राशि को 30.03.2021 को वेतन और लेखा कार्यालय, सचिवालय –1, मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, नई दिल्ली को सौंप दिया गया है और 27.11.2020 को यूसी प्रस्तुत किया गया है।

संदर्भ : पीडीए(सी)/सीई/ट/28–037/2021–22/ 134 दिनांक: 30.12.2021

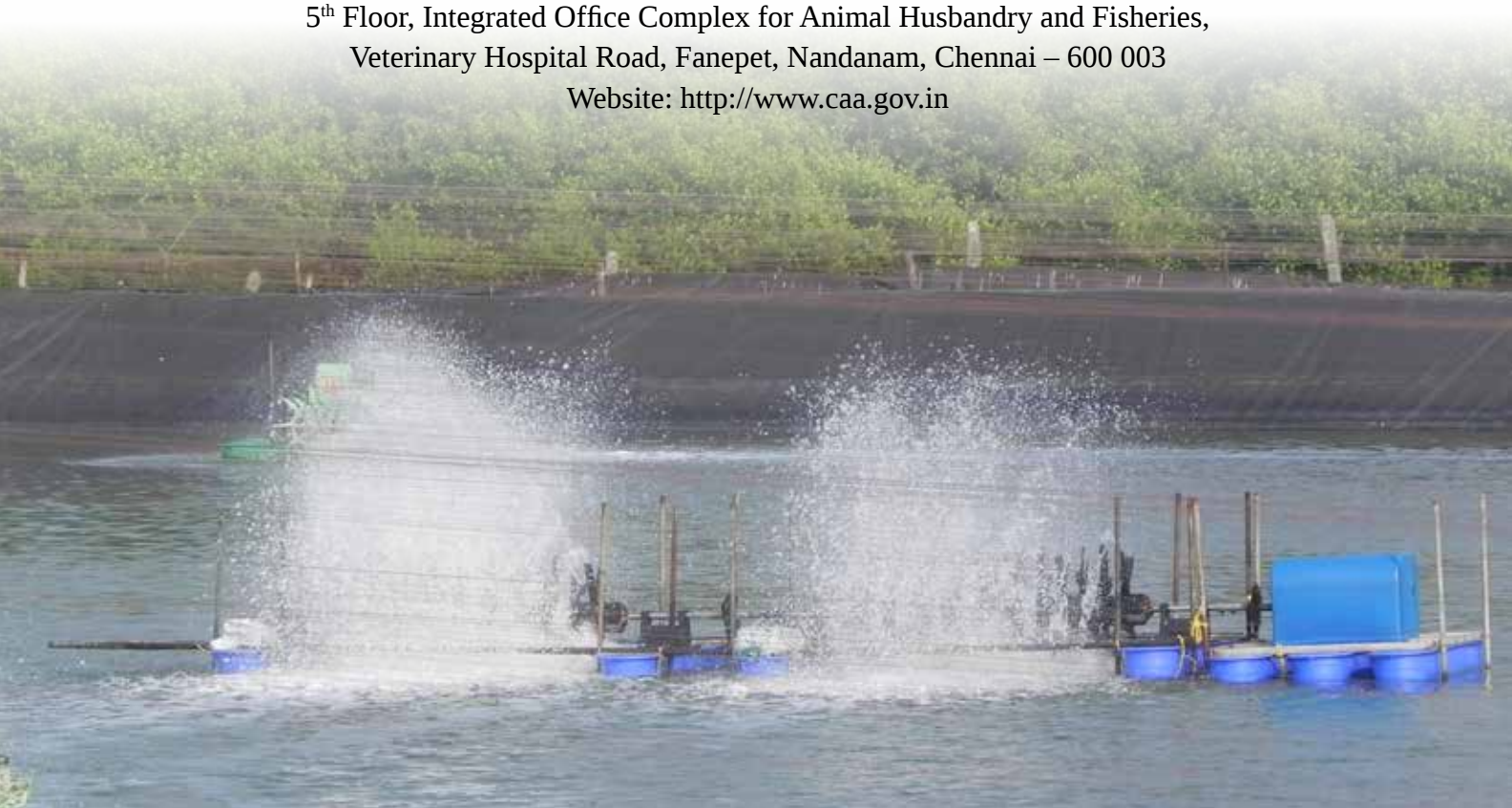
सत्यमेव जयते

ANNUAL REPORT 2019-20

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING
DEPARTMENT OF FISHERIES

5th Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries,
Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam, Chennai – 600 003
Website: http://www.caa.gov.in



Published by

Member Secretary,
Coastal Aquaculture Authority

Compilation and Editing

Kripa Vasant
Antony Xavier A
Kanakasabapathi D
Priya G
Ramesh Kumar S

Printed by

Contents

	Preface	117
	Executive Summary	119
1	About CAA	123
	Composition of Authority during 2019-20	124
	Aims and Objectives of CAA	127
	Powers and Functions of the Authority	127
	Regulation of SPF *Litopenaeus vannamei* culture in India	129
	Certification of Antibiotic free inputs	130
2	Targets and Performance	133
	Annual Targets and performance	133
3	Authority Meetings & Expert Committee Meetings	137
	Meeting of the Authority	137
	Meetings on the Technical Committee on Monitoring of Aquatic Quarantine Facility	137
4	Registration and Renewal of Registration of Coastal Aquaculture Farms	143
	State-wise CAA registered farms from 2006 to March 2020	144
	Registration of farms during April 2019 to March 2020	146
	Renewal of Registration of coastal aquaculture farms	147
	State-wise details of renewed farms during the current year (April 2019 to March 2020)	147
5	Registration and Renewal of Registration of hatcheries	151
	Empanelment of overseas broodstock suppliers and import by Indian hatcheries	151
	Import of SPF *L. vannamei* broodstock	153
	Growth of SPF *L. vannamei* hatcheries in India	153
	State wise Registration of hatcheries in 2019-20	154
	Nauplii Rearing Hatcheries (NRHs) for SPF *L. vannamei* Seed Production	156
6	Regulations on aquaculture inputs	161
7	Environmental Monitoring & Surveillance	163
8	Outreach activities	164
9	New initiatives	165
10	State-wise coastal aquaculture status 2019-2020	169
11	Targets for 2020-21	181
12	Participation in events by CAA	183
13	In-house activities	184
	Administrative and Accounts matters	
14	Finance: Summary of Actual Financial	185
15	Staff and existing organisational structure of the Authority	186
	Contractual staff	187
	Recruitment / Retirement / Repatriation/ Deputation	187
16	Right to Information Act	187

17 **Annexure: Annual Accounts and Separate Audit Report of the CAG for the year 2019-20**

1	Balance Sheet	191
2	Income and Expenditure Accounts	192
3	Receipt and Payment Accounts	193
4	Schedule of Balance Sheet (1 to 11)	198
5	Schedules of Income and Expenditure (12 -23)	205
6	Accounting Policies	208
7	Contingent Liabilities & Notes on Accounts	211
8	Separate Audit Report of the CAG	218

Abbreviations

AISHA	All India Shrimp Hatcheries Association
A&N	Andaman and Nicobar
AQF	Aquatic Quarantine Facility
AQCS	Aquatic Quarantine and Certification Services
BMC	Broodstock Multiplication Centre
CIBA	Central Institute of Brackishwater Aquaculture
CMFRI	Central Marine Fisheries Research Institute
CRZ	Coastal Regulation Zone
DAHD&F	Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries
DLC	District Level Committee
DoF	Department of Fisheries
EIA	Environment Impact Assessment
EMP	Environment Management Plan
ETS	Effluent Treatment System
LoP	Letter of Permission
MoA	Ministry of Agriculture
MoFAH&D	Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying
MPEDA	Marine Products Export Development Authority
NBC	Nucleus Breeding Centre
NBFGR	National Bureau of Fish Genetic Resources
NFDB	National Fisheries Development Board
OIE	Office International des Epizooties (OIE))
PPL	Parent Post Larvae
RGCA	Rajiv Gandhi Centre for Aquaculture
SLC	State Level Committee
SPF	Specific Pathogen Free
TFA	Total Farm Area
WSA	Water Spread Area

आई. रानी कुमुदिनी, आई ए एस
सदस्य सचिव
I. Rani Kumudini, IAS
Member Secretary



तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, मत्स्यपालन,
पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
चेन्नई.६०००३५, तमिलनाडु, भारत
COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
Government of India, Ministry of Fisheries,
Animal Husbandry and Dairying
Chennai - 600 035, Tamil Nadu, India

PREFACE

Coastal aquaculture plays a pivotal role in India in ensuring a vibrant rural economy in coastal areas, apart from earning a substantial quantum of foreign exchange through export of aquaculture produces. The inception mandate of Coastal Aquaculture Authority is to promote sustainable aquaculture while ensuring the protection of the coastal environment. The principles of precautionary approach weaved into the guidelines implemented by the authority instils the element sustainability in every coastal aquaculture practice and resulted in the unprecedented growth of coastal aquaculture with a record shrimp production of 7,47,111 MT in the year 2019-20 as against the level of 75,000 MT during the year 2008-09. It is evident that no other food production sector in the country has achieved such high growth rates as coastal aquaculture sector achieved in the past 10 years. This Authority has made a commendable contribution in this achievement by ensuring the import of high quality SPF brood stock from well-established International brood stock suppliers to Indian hatcheries to produce high health seeds which are the primary input for a healthy and progressive coastal aquaculture. The Authority has initiated a slew of measures during the current year to enable ease of doing business which are expected to yield quantum jump in the growth trajectory of coastal aquaculture in India. The unstinted support of the Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Govt. of India has encouraged the authority to continue its endeavour to accomplish the production target of a million tones through environmentally friendly, sustainable coastal aquaculture practices.

IRku

(I.Rani Kumudini, IAS)
Member secretary

EXECUTIVE SUMMARY

The Coastal Aquaculture Authority which was set up under the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (Act No. 24 of 2005) enacted by the Parliament of India, completed 14 glorious years of service to the nation in the year 2020. Till 2019 February, CAA was under the Ministry of Agriculture. With the formation of separate Ministry for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying vide Cabinet Secretariat's Notification F.No.1/21/21/2018-Cab dated 05.02.2019, CAA started functioning under the Department of Fisheries, New Delhi.

During the period 2005 to 2020, the CAA was successful in maintaining a balance between economic development through coastal aquaculture and protection of the coastal environment which provides a productive habitat for a rich and diverse group of fauna and flora. The CAA has followed the precautionary principle of environmental law and has enforced the guidelines formulated based on scientific advisories which are eco-friendly and more efficient than the destructive and unregulated practises followed two decades back.

With the support of 66 Districts and 12 States / UTs level committee, having representations from Departments of Agriculture, Forests, Fisheries and Revenue of respective state/UT and also from MPEDA, the registration of farms in coastal area has been carried out following the guidelines prescribed by CAA. During the years 2005 to 2020 through 63 meetings of the Authority, CAA has registered 39134 farms covering a total area of 59741.48 ha with a water spread area of 40838.53 ha.

In 2019-20, 775 farms with 825 ha total area and 552 ha water spread area were approved by the committees and registration certificates were issued to the respective farmers Also 277 farms with total area 871ha and 579 water spread area were renewed.

All seed production units, hatcheries and Nauplii Rearing Hatcheries have to register with CAA. Till March 2020, 315 hatcheries with a production capacity of 32578 million seed per annum have been registered with CAA. Apart from this, 122 Nauplii Rearing Hatcheries with a production capacity of 10843 million seed per annum were also registered with CAA. The registered hatcheries were permitted to import 4,07,700 pairs of SPF broodstock from CAA empanelled international suppliers. During 2019-20, five new hatcheries and 34 Nauplii Rearing Hatcheries permitted for SPF *L.vannamei* seed production granted permission, for SPF *L.vannamei* seed production.

CAA has played a major role in empanelling SPF broodstock suppliers. The technical committee with experts from CIBA, AQCS and NFDB along with CAA representatives have critically evaluated the facility and processes of potential broodstock suppliers; and had empanelled 13 suppliers; 11 for *L. vannamei* and 2 for *P.monodon*. During 2019 -20 one SPF *L. vannamei* broodstock supplier from USA was also enlisted. List of empanelled overseas suppliers were posted in CAA website for the benefit of shrimp hatchery operators and AQF management team.

List of hatcheries who have imported SPF broodstock was also updated in CAA website periodically. This is for the benefit of farmers who can contact the hatchery for getting quality seed. During 2019-20, 126982 pairs of broodstock were imported to the country by the hatchery operators.

Antibiotic usage in farm and hatchery operations has been a threat to the industry, especially during export. CAA has banned use of 20 antibiotics and these are listed in CAA guidelines and also uploaded in the website. However, the incorporation of antibiotic in aquaculture inputs other than seed and utilization of these by the farmers can also lead to presence of antibiotic resides in the farmed produce. CAA started issuing the certificate that the products are antibiotic free since 2015. Based on the scrutiny of documents indicating the production process and product quality 3470 products under eight categories from 13 states are registered as antibiotic-free inputs, of which 108 were registered during the reporting period.

During the year 2019-20, CAA monitoring team visited 67 hatcheries and 739 shrimp farms located at various states of Tamil Nadu, Odisha, Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Kerala and West Bengal permitted by the CAA. The production facilities were inspected and the records were also verified.

As a policy support for sustainable aquaculture, Terms and Conditions for the supply of quality Specific Pathogen Free (SPF) Broodstock and Parent Post Larvae of shrimp by overseas suppliers to hatcheries in India was formulated.

Considering the need to expand CAA, a proposal for strengthening of CAA was submitted to the Ministry. CAA website was updated with relevant data sets and guidelines.

As a part of the constant efforts made by CAA to have a permanent office in Chennai, various efforts had been made in the past. The efforts fructified during the year as the Government of Tamil Nadu allotted an exclusive office space in its new building complex of the State fisheries department in Chennai. CAA shifted its office on 05.09.2019 from Vanuvampet, Madipakkam, Chennai to the Integrated Animal Husbandry and Fisheries Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries Department, located at Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam, Chennai

One meeting of the Authority was convened and all the registrations recommended by DLCs were approved. One meeting of the expert committee on AQF was organised and important decisions were taken to resolve issues of stakeholders.

ABOUT CAA



1 ABOUT CAA

Genesis of Coastal Aquaculture Authority

The Supreme Court in its verdict in Writ Petition No. 561 of 1994 (Jagannathan vs Union of India) raised concern on the environmental protection of coastal areas and directed the Central Government to constitute an authority to protect the ecologically sensitive coastal areas and seashore as well as to promote sustainable and responsible coastal aquaculture development in the country.

Coastal Aquaculture Authority was set up under The Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 enacted by the Parliament of India, which received the assent of the President on 23rd June, 2005.

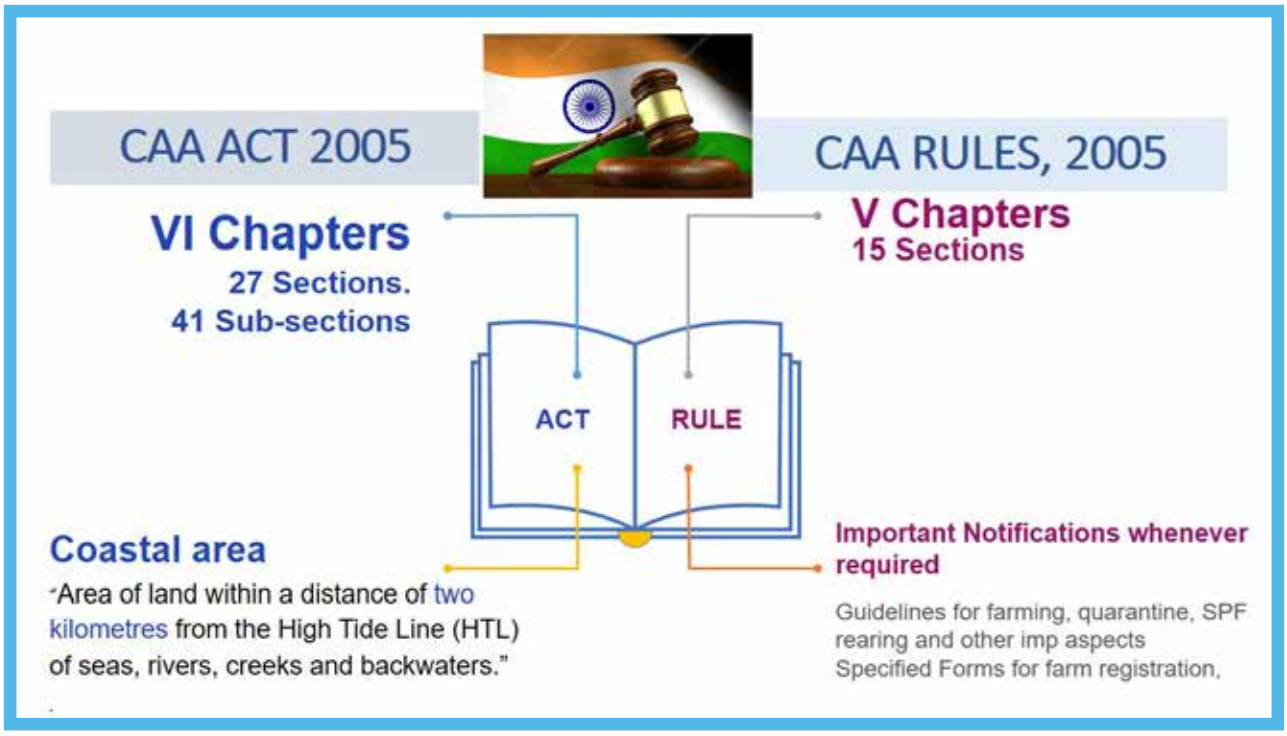
As per CAA Act, Coastal aquaculture is defined as 'culturing, under controlled conditions in ponds, pens, enclosures or otherwise, in coastal areas, of shrimp, prawn, fish or any other aquatic life in saline or brackish water; but does not include fresh water aquaculture'. Coastal area means 'area of land within a distance of two kilometres from the High Tide Line (HTL) of seas, rivers, creeks and backwaters.

The main objective of the Authority is to promote sustainable development without causing damage to the coastal environment following responsible coastal aquaculture practices and to protect the livelihood of various stakeholders living in the coastal area.

THE COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY ACT, 2005

Act No. 24 of 2005

An Act to provide for the establishment of a Coastal Aquaculture Authority for regulating the activities connected with coastal aquaculture in the coastal areas (2km from the HTL) and for matters connected therewith or incidental thereto.



Composition of the Authority during 2019-20

As per Section 4 (3) of the CAA Act 2005, the Authority shall consist of eleven members who will be appointed by the Central Government and notified in the Gazette.

During the period April 2019 to March 2020, the following members constituted the Authority of CAA, Which was constituted vide Notification S.O.5649 (E) dated 2nd November 2018.

Chairperson, CAA — **Chairman**
(vacant)

Dr. K.K. Vijayan — Member
Director,
Central Institute of Brackishwater Aquaculture, Chennai,
Indian Council of Agricultural Research, New Delhi
(Expert in the field of Coastal Aquaculture)
(Re-appointed with effect from 2nd November, 2018)

Dr. G. Dharani — Member
Scientist 'F',
National Institute of Ocean Technology, Chennai,
Ministry of Earth Sciences,
Government of India,
(Expert in the field of Coastal Ecology)
(With effect from 2nd November, 2018)

Dr. W. Bharat Singh — Member
Scientist 'F',
Ministry of Environment, Forests & Climate Change, New Delhi,
Government of India
(Expert in the field of Environmental Protection)
(With effect from 2nd November, 2018)

Dr. J. Balaji, IAS — Member
Joint Secretary (Marine Fisheries)
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
Government of India

Shri. K. S. Srinivas, IAS — Member
Chairman, Marine Products Export Development Authority,
MPEDA House, Panampilly Avenue,
Cochin, Kerala
(With effect from 4thJanuary, 2019)

Shri. Mohammed Shahid, IAS — Member
Commissioner of Fisheries, Department of Fisheries,
Government of Gujarat
(With effect from 2nd November, 2018)

Shri. Anoop Kumar, IAS — Member
Secretary (Fisheries)
Department of Agriculture & ADF, Mumbai,
Government of Maharashtra
(With effect from 2nd November, 2018)

Dr. K. Gopal, IAS — Member
Principal Secretary,
Department of Animal Husbandry Dairying & Fisheries
Government of Tamil Nadu, Chennai
(With effect from 2nd November, 2018)

Shri. Prabhat Kumar Mishra, IAS — Member
Principal Secretary, Department of Fisheries,
Government of West Bengal, Kolkata
(With effect from 2nd November, 2018)

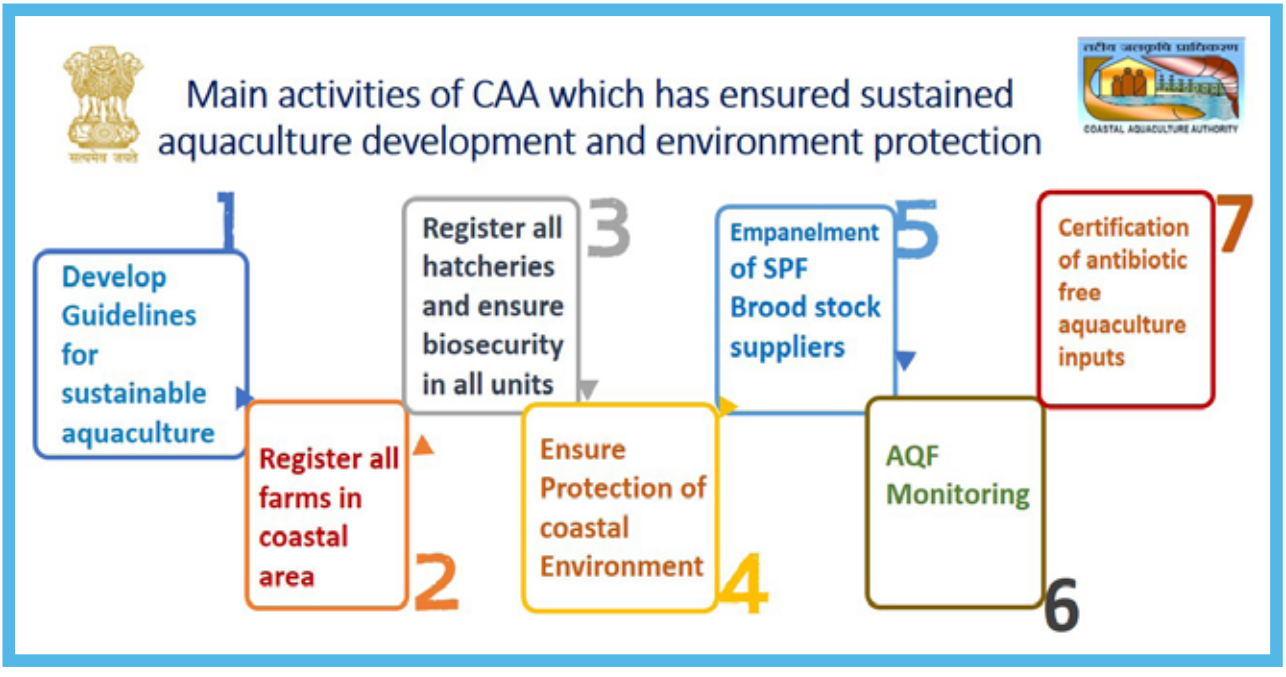
Dr. C. Gopal — Member Secretary
Member Secretary
Coastal Aquaculture Authority, Chennai
(upto 19th May, 2019)

Smt I. Rani Kumudini, IAS — Member Secretary
(Chief Executive, NFDB)
Member Secretary in charge
Coastal Aquaculture Authority, Chennai
Department of Fisheries
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
Government of India
(MS- in-charge from 22nd May, 2019)

Aims and Objectives of the Authority

The aims and objectives of the Authority are to regulate 'coastal aquaculture' activities in the areas notified by the Central Government as 'coastal areas' and for matters connected therewith.

The Authority is empowered to make regulations for the construction and operation of aquaculture farms in coastal areas, inspection of farms and hatcheries, monitor the impacts on environment, registration of aquaculture farms and hatcheries, removal or demolition of coastal aquaculture farms which cause pollution, fixing standards for all coastal aquaculture inputs, viz. seed, feed, growth supplements, chemicals, and other inputs used in coastal aquaculture and for the overall monitoring of coastal aquaculture activities in the country.



Powers and Functions of the Authority

The powers and functions of the Authority are specified in Chapter IV of the CAA Act, 2005, the Rules framed there under, and the Regulations framed by Coastal Aquaculture Authority, notified in March 2008. The CAA, shall *inter alia* make regulations for the orderly and sustainable development of the coastal aquaculture sector to facilitate environmentally responsible and socially acceptable coastal aquaculture for the socio-economic benefits of the various stakeholders involved in the activity.

The major responsibility of Coastal Aquaculture Authority towards achieving these goals is to ensure registration of all coastal, brackish and saline aquaculture farms and hatcheries. Special emphasis is given for the permission for farming and seed production of *Litopenaeus vannamei*, with due biosecurity in the country within the notified area. This is an ongoing process. Several measures have been initiated by the Authority for registering all eligible coastal aquaculture farms through various awareness programs organised to sensitize the farmers.

It is mandatory for all persons carrying on coastal aquaculture to register their farms with the Coastal Aquaculture Authority, as per the procedures laid down in the Coastal Aquaculture Authority Act and

Rules. Registration is valid for a period of five years, which can be renewed from time to time for a like period. The registration process would be continued in respect of existing farms, new farms as well as for farms that may be renovated for taking up coastal aquaculture activities in future.

Aquaculture is not permitted within two hundred meters from the High Tide Line of the seas, creeks, rivers and backwaters within the Coastal Regulation Zone. However, this condition is not applicable to the 'existing farms' that is, farms set up before the commencement of the Act and to the non-commercial and experimental aquaculture farms operated by the Government or any research Institute of the Government. However, all such farms need to be registered with the CAA. Any person carrying on coastal aquaculture without such registration is liable to be punished with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to one lakh rupees, or with both as provided in Section 14 of the Act.

Additional functions required to be performed by the Authority: Section 5 of CAA Rules, 2005

- Ensure that agricultural lands, salt pan lands, mangroves, wet lands, forest lands, land for village common purposes and land meant for public purposes and national parks and sanctuaries are not converted as aquaculture farms in order to protect the livelihood of coastal community living in coastal areas;
- Survey the entire coastal area and advise the Central Government and the State/ UT Governments for formulating suitable strategies for achieving eco-friendly development;
- Advise and extend support to the State/ UT Governments for constructing common infrastructure, common water in-take, discharge canals and common effluent treatment systems;
- Fix standards for seed, feed, growth supplements and chemicals used for the maintenance of the water bodies and the organisms reared and other aquatic life;
- Carryout or sponsor investigations and studies/ schemes relating to environment protection and demonstration of eco-friendly technologies;
- Collect and disseminate the data and other scientific and socio-economic information related to coastal aquaculture;
- Prepare materials relating to sustainable development of coastal aquaculture and related activities;
- Give publicity and train personnel regarding sustainable utilization and fair and equitable sharing of the coastal resources;
- Constitute various technical committees, sub-committees and working groups for preparation of technical manuals and other technical brochures
- Direct the owners of the farm to carry out modifications to minimize the impacts on coastal environment;
- Order seasonal closure for ensuring sustainability; or in the interest of maintaining environmental sustainability and protection of livelihoods in the interest of coastal environment;
- Cancel the registration where any person has obtained registration by furnishing false information or contravened any of the provisions of these rules or of the conditions mentioned in the certificate of registration;
- Deal with any issue pertaining to coastal aquaculture including those which may be referred to it by the Central Government;
- Make suitable recommendations to the Government for amending the Guidelines from time to time.

Regulation of SPF *L. vannamei* culture in India

Coastal Aquaculture Authority has been authorised, vide Notification dated 15th October 2008, issued by the Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries, Ministry of Agriculture, under the Livestock Importation Act, 1898, (as amended by Livestock Importation Act, 2001), to register hatcheries and to grant permission for importing broodstock of SPF *Litopenaeus vannamei*. The overseas broodstock suppliers were approved by CAA in consultation with National Fisheries Development Board (NFDB), Central Institute of Brackish water Aquaculture (CIBA) and the Marine Products Export Development Authority (MPEDA). The biosecurity requirements for the quarantine, import permit, port of entry, pre-border quarantine requirements, quarantine requirements on arrival of imported broodstock, disinfection methods, and other particulars are detailed in the said Guidelines contained in the above Notification.

Under the Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Rules, 2009, Guidelines were issued for regulating hatcheries for import of SPF *L. vannamei* and for farming the species. These Guidelines contain the criteria for applicants to breed *L. vannamei*, the technical requirements, procedures for production and sale of SPF *L. vannamei* seeds and, specific norms and regulations for approval and operation of farms.

To facilitate smooth operations by the hatchery operators and shrimp farmers, Government of India came out with further amendments to the CAA Rules, 2005 through a Notification in March, 2012 by permitting import of SPF juveniles of *L. vannamei* up to 10 g for rearing to adult broodstock, sale of nauplii among the permitted hatcheries, and for shifting culture of one species to another after adequate dry-out period. This Notification also strengthens the inspection process to deal with unauthorized seed production and farming of *L. vannamei* through destruction of the unauthorized stock or through confiscation and disposal of stock by the Inspection Team of CAA.

Box 1

CAA and import of SPF Broodstock

Coastal Aquaculture Authority is authorized to grant permission for importing broodstock of SPF *L. vannamei* from approved overseas SPF broodstock suppliers and to allot annual requirements of broodstocks, as detailed in the Guidelines issued under Notification dated 15th October 2008, issued by the Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries (DAHD&F), under the Livestock Importation Act, 1898, (as amended by Livestock Importation Act, 2001).

CAA is also empowered to monitor SPF *L. vannamei* hatcheries and farms for strict compliance of the Guidelines issued through Notification under the Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Rules, 2009.

An amendment Notification was issued on 16th February 2015 whereby Guidelines have also been issued for permitting farms which are registered for *Penaeus monodon* to take up *L. vannamei* culture with low stocking density following zero water exchange. Coastal Aquaculture Authority is following these Guidelines in permitting hatcheries and farms to take up *L. vannamei* farming and in the inspection and monitoring of the farms and hatcheries for the sustainable development of this venture. The introduction of SPF L. *vannamei* paved way for revival of a large number of abandoned shrimp farms and has resulted in substantial increase in the production and export of farmed shrimp in the country.

Certification of Antibiotic free inputs

In view of the concerns raised regarding food-safety issues of coastal aquaculture products, it was decided as per the provisions under the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 and Rules and Guidelines thereunder to register all the aquaculture inputs which are free of antibiotics of concern. All manufacturers (indigenous) and distributors (imported) of aquaculture inputs are requested to submit the application for registration of each of their product and get it registered. The first list of registered products was released in 2016. The application proforma and the terms and conditions of the registration is available in CAA website (www.caa.gov.in). Antibiotic free aquaculture inputs like larval feed, adult feed, feed additives, probiotics, chemicals, drugs and immune-stimulants are registered with CAA and the list is updated periodically in the CAA website.

TARGETS
AND
PERFORMANCE



2 TARGETS AND PERFORMANCE

As per the CAA rule, in the Annual report of CAA, the targets planned for the year have to be listed and the performance reported. Accordingly the Annual targets for 2019-20 and the achievements are given below. Details under each category are given in the subsequent sections

Annual Targets and performance

	Target	Achievement
1	**Authority Meetings**: Convening meetings of the Authority at least once in two months to take appropriate decisions for implementation	One meeting of the Authority was held. All applications received were scrutinized, and Certificates issued to the all respective stakeholders.
2	**Registration and renewal of coastal aquaculture farms** Additional 1,000 coastal aquaculture farms were expected to be registered subject to the receipt of proposals with the recommendations from the District and State Level Committees	Target was achieved and 1056 certificates of registration, new/ renewal were issued.
3	**Empanelment of SPF broodstock suppliers** Selection of broodstock suppliers by the Technical Committee depending upon the need and on reviewing the performance of existing suppliers.	One supplier was added to the list of overseas suppliers list and the details were posted in CAA website for the benefit of shrimp hatchery operators and AQF management team.
4	**Renewal and registration of hatcheries** allocation of broodstock import quota based on their capacity.	Five new hatcheries granted permission for SPF *L.vannamei* seed production.315 hatcheries issued Letter of Permission (LoP) for importing 4,07,700 pair of broodstock of SPF *L. vannamei* from 13 suppliers short-listed by the CAA. 1,26,982 pairs of broodstock were imported.

	Target	Achievement
5	**Registration of NRH** Processing of the applications received for seed production of *SPF L. vannamei* by Nauplii Rearing Hatcheries	34 Nauplii Rearing Hatcheries permitted for SPF *L. vannamei* seed production. 122 Nauplii Rearing Hatcheries issued LoP for SPF *L. vannamei*- production capacity 10,843 million seeds / year.
6	**Surveillance of aquaculture activities** Violations of CAA guidelines by hatchery operators can affect the quality of seed produced. Hence surveillance is given utmost priority.	During the year 2019-20, CAA monitoring team visited 67 hatcheries and 739 shrimp farms located at various states of Tamil Nadu, Odisha, Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Kerala and West Bengal permitted by the CAA.
7	**Functioning of AQF** Organize meetings of high level expert committees.	One meeting of expert committee on AQF was organised and important decisions were taken to resolve issues of stakeholders and those faced by AQF for its smooth functioning.
8	**Antibiotic free aqua-inputs** Registration of antibiotic free aquaculture inputs.	Based on the scrutiny of documents indicating the production process and product quality 3470 products under eight categories were registered as antibiotic-free inputs of which 108 were during 2019-20.
9	**Monitoring of water quality** Sampling and testing of wastewater discharged from Effluent Treatment System (ETS) to ensure that water quality parameters conform to the standards notified by the CAA.	Water samples collected from farms/hatcheries were analysed.
10	**Outreach programs** Organising awareness programmes, in Maritime States, to sensitize the farmers on registration of farms and on issues concerning banned drugs and other substances	Short programs were organised in different coastal districts



AUTHORITY MEETINGS
&
EXPERT COMMITTEE MEETINGS



3 AUTHORITY MEETINGS & EXPERT COMMITTEE MEETINGS

During the period from April 2019 to March 2020, CAA conducted one Authority meeting. In addition to these other high-level expert committee meetings with varying objectives as per the mandate of CAA were also organised. Details are given below.

Meetings of the Authority

One Authority meeting was convened; the detail of the meeting and important decisions taken are given below.

Major decisions taken in the 63rd meeting of the Coastal Aquaculture Authority on 4th July 2019 at Chennai

- Approved registration of 775 shrimp farms Approved renewal of registration of 277 shrimp farms.
- Resolved to permit 4 shrimp farms to culture SPF *L. vannamei*.
- *Post-facto* approval for five hatcheries for registration and Issue of LoP.
- *Post-facto* approval for 34 Nauplii Rearing Hatcheries for SPF *L.vannamei* and seed production.
- Approved registration of 102 antibiotic free inputs.
- Recommendations of the Technical Evaluation Committee for short listing overseas suppliers of SPF *L. vannamei* broodstock to Indian hatcheries in the list based on personal presentation made on 22nd October, 2019 by the M/s. Sy Aqua Americas INC, Florida, USA was taken note of and approved.
- Shifting of CAA office to new premise at Saidapet was approved.
- Approved the draft Annual Accounts of CAA for the year 2019-20, prior to CA &G audit

Technical Evaluation committee had recommended and approved M/s. Sy Aqua Americas INC, Florida, USA for the supply of broodstock of SPF *L. vannamei*. This was taken note of and approved.



Meeting of the Technical Committee on Monitoring of Aquatic Quarantine Facility

The Aquatic Quarantine Facility at Neelankarai, Tamil Nadu was established with financial support from NFDB and is managed and operated by the RGCA of the MPEDA. This facility is now used to quarantine imported broodstock Specific Pathogen Free (SPF)

L.vannamei and SPF *P.monodon*. Quarantine of SPF Parent Post Larvae (PPL) is also done as and when required. The Technical committee is composed of members from NFDB, CIBA, MPEDA, RGCA AQCS, DoF and CAA.



The 18th meeting of the expert Technical Committee constituted to oversee and monitor the functioning of the Aquatic Quarantine Facility (AQF) at Neelankarai, Chennai was convened on 10thJanuary, 2020. The objectives of these meetings were to discuss and resolve technical concerns and operations in the AQF and the main decisions taken are presented in Table 3. 1.

Meeting of Committee for import of broodstock of SPF *L. vannamei* / *P. monodon* from overseas suppliers

As resolved during the 63rd meeting of the Authority, a draft terms and conditions was formulated relating to the supply of SPF Shrimp broodstock to India with clauses on the responsibilities, accountability on the part of the suppliers and importer hatcheries, performance indicators and the penal provisions for noncompliance.

A preliminary stakeholder's consultation with the hatchery operators and the Indian representatives of overseas suppliers of SPF brood stock was held on 27.8.2019 to discuss the draft Terms and Conditions.

Table 3.1. Major decisions of 18th Technical Committee Meeting for Monitoring of Aquatic Quarantine Facility on 10th January 2020

- The timeframe of the Window Period for the Pre-border Quarantine was enhanced from the prevailing 20 days to 30 days before the actual shipment for the import of SPF *L. vannamei* into India, to facilitate easy and quick documentation process.
- Adjustment of any consignment that arrives beyond the buffer period was to be accommodated in the emergency handling area depending on the availability.
- Proposal for the representation of the importer and supplier to be present at the time of opening the consignment at AQF facility in order to have a fair and reasonable judgment of mortality and size variation was approved. In the absence of any one of the representatives, the declaration of deficiencies shall be countersigned by the competent authority present at the AQF at the time of arrival of the consignment.
- Cubicle user fee was enhanced by an amount of Rs.5, 600/- cubicle for screening of EHP pathogen in the consignment.
- The Standard Operating Procedures (SoPs) for quarantining Parent Post larvae, was decided to be circulated among members.
- The draft Terms and Conditions for the supply of quality specific pathogen free (SPF) broodstock and Parent Postlarvae of shrimp by overseas suppliers to hatcheries in India under the Provisions of Livestock Importation Act, 2001 (Act 28 of 2001) as was done for the SOP of AQF, was approved as proposed.

Subsequently, a stakeholders consultation with the overseas principals of the empanelled SPF brood stock suppliers, the hatchery operator, AQF and others was held on 22nd October, 2019 at Chennai. Based on the suggestions received through these meetings, a revised draft of the Terms and Conditions for the supply of quality Specific Pathogen Free (SPF) Broodstock and parent postlarvae of shrimp by overseas suppliers to hatcheries in India was formulated

The same was placed before a Coordination Committee comprising of the officials from CAA, AQCS & AQF on 16th October, 2019 at CAA, Chennai in which the Committee agreed on the Terms and Conditions for the supply of quality Specific Pathogen Free (SPF) Broodstock and parent postlarvae of shrimp by overseas suppliers to hatcheries in India.

Terms & Conditions for overseas suppliers

Terms and Conditions for the supply of quality Specific Pathogen Free (SPF) Broodstock and parent postlarvae of shrimp by overseas suppliers to hatcheries in India was formulated

The final draft of terms and conditions for the supply of quality specific pathogen free (SPF) Broodstock and parent postlarvae of shrimp by overseas suppliers to hatcheries in India prepared incorporating all appropriate views of the stake holders was placed before the Technical Committee on AQF in its 18th meeting held on 10.01.2020.

The Technical Committee accorded approval on the draft Terms and Conditions and recommended notifying the same under the provisions of Livestock Importation Act, 2001 by the Ministry, as was done for the SOP of AQF.

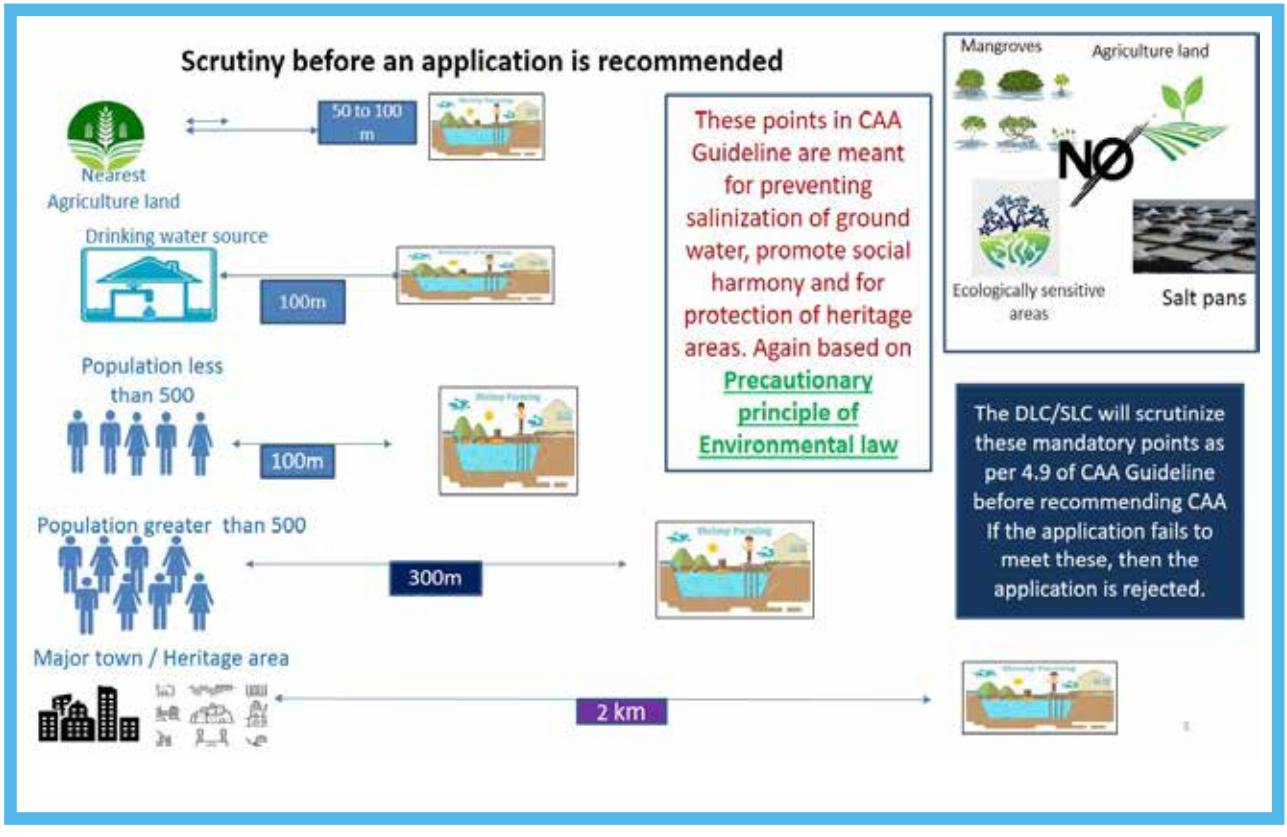
Accordingly, the Ministry was requested on 10.01.2020 itself to notify the terms and conditions for the supply of quality Specific Pathogen Free (SPF) Broodstock and parent post larvae of shrimp by overseas suppliers to hatcheries in India.

REGISTRATION & RENEWAL OF REGISTRATION OF COASTAL AQUACULTURE FARMS



4 REGISTRATION & RENEWAL OF REGISTRATION OF COASTAL AQUACULTURE FARMS

CAA Act mandates registration of all coastal aquaculture farms of the country operating in the coastal area as defined in the Act. Detailed guidelines are in place for this purpose. The District Level Committees receive applications for new registrations and applications of farms with less than 2 ha area are recommended to CAA after due diligence. Applications of large farms (greater than 2 ha water spread area) are recommended to State Level Committee which meet all the criteria laid down under CAA Rules. The SLC on satisfaction recommends the application to the CAA for consideration of registration.



The CAA guidelines clearly states that mangroves, agricultural lands, saltpan lands, ecologically sensitive areas like sanctuaries and marine parks should not be used for shrimp farming. The guidelines also give importance to heritage sites, common resource use, ground water and other environmentally relevant points, thereby ensuring a good balance between economic development and environment sustainability

The CAA scrutinizes the applications recommended and forwarded by the District and State Level Committees for registration of farms and places it in the Authority meetings held once in two months on a regular basis. In the current year, the Authority considered and approved 775 applications for registration of farms and the certificates were issued directly to the farmers. The certificates returned/ undelivered were sent to the Member Conveners of the respective DLC/SLCs of the States as per the protocol adopted by the Authority. The details of registered farms are also made available to the end users in the Authority's website www.caa.gov.in, which is updated periodically.

State wise CAA registered farms from 2006 to March 2020

Spread across the east and west coasts, there are 66 District level committees in 9 maritime states and three Union territories including the island union territories of A&N Islands. The 12 State / UT level committees have also been supporting CAA in registration and renewal of farms. Details of national level coastal aquaculture farm details during the last 15 years is given below

- During 2006-07, immediately after the formation of CAA, there were only 1334 farms with a total area 1856.61 ha and water spread area of 1352.3 ha. By 2019-20 this has increased to 39134 registered farms covering a total area of 59741.48 ha with a water spread area (WSA) of 40838.53 ha (Table 4.1)
- As of March 2020, 51 percent of registered farms are in Andhra Pradesh, followed by Odisha (26%), West Bengal (10%) and Tamil Nadu (5%). In all other states and UTs the number of farms was less than 4 percent of the national total.

SMALL FARMERS ARE THE MAJORITY

Majority (89%) of the farms in the country are less than 2 ha WSA. Slightly bigger farms of size 2.01 to 5.0 ha were 9 percent and only 0.9 percent of the farms were in the category 5.01 to 10 ha

- Majority (89%) of the farms in the country are less than 2 ha WSA. Slightly bigger farms of size 2.01 to 5.0 ha were 9 percent and only 0.9 percent of the farms were in the category 5.01 to 10 ha and 0.1 percent were in larger size group of 10.01 to 40 ha.Only 4 farms were above 40 ha (Table 4.1)

Table 4.1 Details of Registration Certificates issued by CAA from 2005 – 2020

States	Number of farms in different area categories						Area in ha	
	0-2	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01-40	above 40.01	Total	TFA(ha)	WSA (ha)
Andaman & Nicobar Islands	3	1	0	0	0	4	22.18	5.29
Andhra Pradesh	19374	479	85	56	7	20001	28855.32	20149.81
Daman & Diu	0	12	0	0	0	12	60.00	38.4
Goa	23	13	2	1	0	39	122.78	91.01
Gujarat	146	668	7	1	2	824	3698.22	2645.53
Karnataka	270	38	1	1	0	310	456.82	346.94
Kerala	1167	202	12	4	0	1385	2728.31	1870.58
Maharashtra	134	111	18	19	6	288	2280.28	1446.19
Odisha	10235	68	20	18	0	10341	12563.81	7864.51
Puducherry	57	5	1	0	0	63	107.66	81.1
Tamil Nadu	1415	446	46	4	0	1911	5070.38	3743.14
West Bengal	3946	10	0	0	0	3956	3775.71	2556.03
Grand Total	**36770**	**2053**	**192**	**104**	**15**	**39134**	**59741.47**	**40838.53**

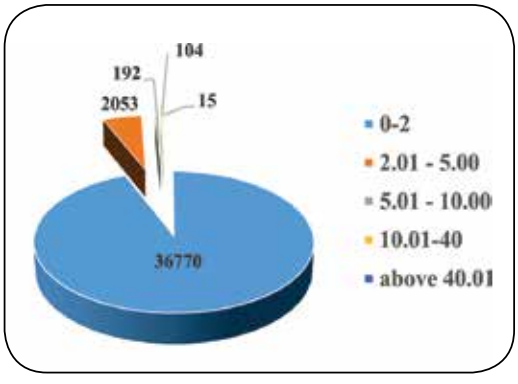


Figure 1: Registration of farms (Area-wise) in all coastal states from 2005-2020

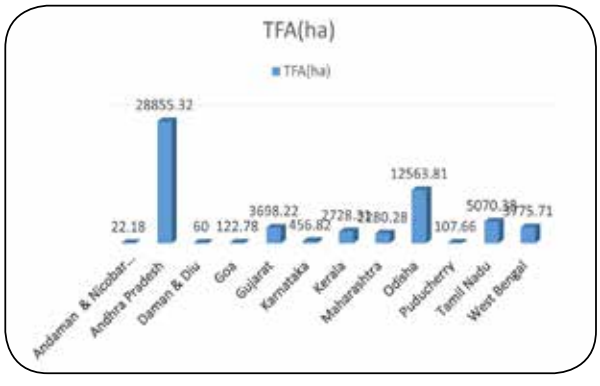


Figure 2: Registration of farms (State-wise) in all coastal states during 2005-2020

Registration of farms during April 2019 to March 2020

The total area of the 775 farms registered during the current year was 825 ha with a water spread area of 552 ha

- Maximum applications were from Odisha (310 nos.) followed by West Bengal (258 nos.) and Andhra Pradesh (136 nos.) (Table 4.2)
- Applicants owning small farms of size less than 2 ha area formed 88.5 percent, followed farms of 2.01 to 5 ha (10%). Larger farms above 5 ha to 40 ha were formed less than one percent and there were no application of larger than 40 ha area.

Table 4.2. Details of Registration Certificates issued by CAA from April 2019 – March 2020

S.No.	States	Number of farms in different area categories						Area (ha)	
		0 - 2.00	2.0-1-5	5.01-10	10.01-40	above 40.01	Total	TFA (ha)	WSA (ha)
1	West Bengal	246	9	3	0	0	258	189.05	120.22
2	Odisha	275	34	1	0	0	310	346.86	207.61
3	Andhra Pradesh	122	13	1	0	0	136	157.56	117.98
4	Tamil Nadu	27	4	0	0	0	31	40.82	31.59
5	Puducherry	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
6	Kerala	11	7	1	1		20	49.52	44.07
7	Karnataka	3	0	0	0	0	3	3.05	2.15
8	Goa	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Maharashtra	0	0	0	0	1	1	3.96	2.9
10	Gujarat	2	14	0	0	0	16	34.56	26.29
11	Daman & Diu	0	0	0	0	0	0	0	0
12	A & N Islands	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**686**	**81**	**6**	**1**	**1**	**775**	**825.38**	**552.81**

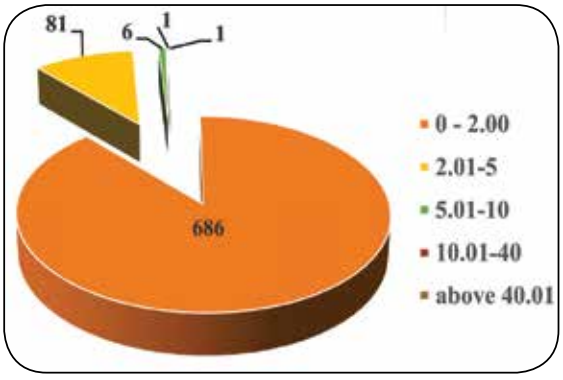


Figure 3: Registration of farms (Area wise) in all coastal states from April 2019 – March 2020

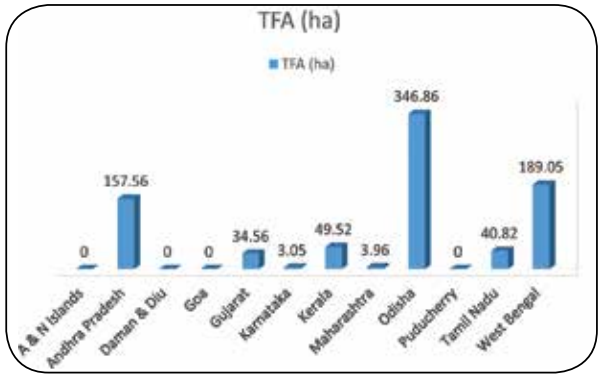


Figure 4: Registration of farms (State-wise) in in all coastal states from April 2019 – March 2020

Renewal of Registration of coastal aquaculture farms

Renewal of registration of coastal aquaculture farms is mandatory and has to be applied for the renewal two months prior to the expiry of the registration period. Application received by DLC after the expiry of the period of approval will be considered as a fresh application. Renewal of registration process is ongoing since September 2012 and about 7688 farms with total area of 14265.31 ha (WSA 9930 ha) were approved for renewal of registration till March 2020

Table 4.3. Details of Renewal of Registration Certificates issued by CAA from September 2012 to March 2020

S.No.	Name of the State	No of Farms under Total Area(ha)						Area Of Farm	
		0-2.00	2.01-5.00	5.01-10.00	10.01-40.00	above 40.01	No. of Farms	TFA	WSA
1	Andhra Pradesh	4381	122	9	10	3	4525	7300.33	5226.46
2	Goa	17	6	1	0	0	24	67.63	48.50
3	Gujarat	18	176	0	2	1	196	990.55	706.26
4	Karnataka	51	6	1	0	0	58	95.73	76.72
5	Kerala	179	67	3	0	0	249	414.11	312.98
6	Maharashtra	76	20	16	6	2	120	834.72	556.54
7	Odisha	1589	72	3	6	1	1671	2746.13	1668.84
8	Puducherry	5	0	0	0	0	5	15.48	12.07
9	Tamilnadu	654	161	5	0	0	820	1745.77	1286.40
10	West Bengal	11	0	0	0	0	11	9.86	6.23
11	Daman & Diu	0	9	0	0	0	9	45.00	29.00
12	A & N Islands	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Total	**6981**	**639**	**38**	**24**	**7**	**7688**	**14265.31**	**9930.00**

State-wise details of renewed farms during the current year (April 2019 to March 2020)

- In total, 277 applications were received from farmers with a total area 871 ha (WSA 579 ha), and it was approved by the Authority for renewal and endorsement to that effect has been made in the original Registration Certificates. State-wise details of renewed farms during the current year (April 2019 to March 2020) is given in Table 4.4.

Table 4.4. Details of Renewal of Registration Certificates issued by CAA from April 2019 to March 2020

S.No.	Name of States	No.of Farms under Total Area (ha)						Area of Farm	
		0-2.00	2.01-5.00	5.01-10.00	10.01-40.00	above 40.01	Total	TFA (ha)	WSA (ha)
1	West Bengal	4	0	0	0	0	4	3.86	2.23
2	Odisha	86	19	0	0	0	105	140.97	84.04
3	Andhra Pradesh	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Tamil Nadu	63	27	0	0	0	90	147.67	114.3
5	Puducherry	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Kerala	22	13	2	0	0	37	75	57.32
7	Karnataka	4	0	0	0	0	4	3.48	3.01
8	Goa	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Maharashtra	0	12	6	6	2	26	486.05	308.24
10	Gujarat	9	2	0	0	0	11	14.44	10.06
11	Daman & Diu	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	A&N Islands	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Total	**188**	**73**	**8**	**6**	**2**	**277**	**871.47**	**579.2**

REGISTRATION
AND
RENEWAL OF REGISTRATION OF HATCHERIES



5 REGISTRATION AND RENEWAL OF REGISTRATION OF HATCHERIES

Healthy seed is the one of the key inputs for profitable and sustainable aquaculture. Hatcheries catering to the needs of coastal aquaculture farms are registered by CAA and they strictly follow the guidelines. Thus CAA registered private and Government hatcheries produce seed of *L vannamei*, *P.monodon*, finfish and crab which are utilised by the coastal aquaculture farmers spread across the Indian coast.

In the case of *L.vannamei*, which is a non-native species (exotic) the SPF broodstock is imported from the overseas suppliers empanelled by CAA based on the recommendation of an expert committee consisting of members from National Fisheries Development Board (NFDB), Central Institute of Brackishwater Aquaculture (CIBA), National Bureau of Fish Genetic Resources (NBFGR), Marine Product Export Development Authority (MPEDA) and CAA. The expert committee has also approved SPF *P.monodon* broodstock suppliers. The quarantine of the imported broodstock is done at the Aquatic Quarantine Facility (AQF) operated by the RGCA of MPEDA. CAA heads a technical committee which monitors the functioning of AQF.

During the reporting period, applications from new hatcheries were scrutinised and approved. Also, hatcheries whose registrations were due for renewal were considered. CAA staff along with the committee members have considered the broodstock rearing facilities and issued the annual allocation for the import of SPF broodstock.

The CAA also approves MoU between hatcheries for supply and rearing of nauplii. These units called Nauplii Rearing Hatcheries are basically hatcheries with all biosecurity measures and ETS.

CAA Registered Hatcheries

Seed production units of shrimps (Hatcheries and Naupli Rearing Hatcheries) are registered with CAA. Totally there are 437 units including seed production units of *L. vannamei* and *P.monodon* with a production capacity of 43,361 million seed per annum. These are spread across seven maritime states, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Odisha, Gujarat, Karnataka, Kerala and West Bengal. Majority of the units, (346 units) contributing to 77% of the total production units are in Andhra Pradesh, followed by Tamil Nadu (18%), Gujarat (2 %) and Odisha (1.5%)

CAA implemented following measures to enhance production of improved quality SPF *L. vannamei* seeds

Amendment to guidelines Annexure-1 of CAA Rules, 2005 regarding registration of hatcheries was issued by DAHD&F so as to include all shrimp hatcheries (including *P. monodon*) in the coastal areas by the Coastal Aquaculture Authority.

- Simplified the procedures for registration of hatcheries by granting approvals based on the recommendation of the Inspection

Important Regulations of SPF *Litopenaeus vannamei* culture in India–Notifications and Advisories issued from GoI /CAA

2008 Notification dated 15th October 2008 issued by the Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries, Ministry of Agriculture, under 1898 (as amended by Livestock Importation Act, 2001), to register hatcheries and to grant permission for importing broodstock of SPF *L.vannamei*.

2009 The Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Rules, 2009 Guidelines issued for regulating hatcheries and farms for introduction of SPF *L. vannamei* laying down the criteria to breed *L.vannamei*, the technical requirements/procedures for production and sale of SPF *L. vannamei* seeds and specific norms & regulations for approval and operation of farms.

2012 Notification in March, 2012 amending CAA Rules, 2005 : To facilitate smooth operations by the hatchery operators and shrimp farmers, towards (i) permitting import of SPF juveniles of *L. vannamei* up to 10g for rearing to adult broodstock, (ii) sale of nauplii among the permitted hatcheries and (iii) shifting culture of one species to another after adequate dry out period. This Notification also strengthens the inspection process to deal with unauthorized seed production and farming of *L. vannamei* through destruction of the unauthorized stock or through discard and disposal of stock by the Inspection Team of CAA.

2015 Notification dated 16th February 2015: Guidelines laid down for permitting farms which are registered for *P.monodon* to take up *L. vannamei* culture with low stocking density following zero water exchange. Amendment in November 2015 to the Guidelines at Annexure-1 of CAA Rules, 2005 regarding registration of all shrimp hatcheries (including *P. monodon*) in the coastal areas by the CAA inconsonance with the provisions of CAA Act.

- Introduced single window system for issuance of LoPs to hatcheries to dispose with the issue of LoP every year by which the DAHD&F issues SIP as per the recommended capacity of each hatchery as indicated in the Registration Certificate.
- Advocated the use of CAA approved antibiotic-free aquaculture inputs only in seed production to augment supply of good quality antibiotic-free seeds to ensure food safety in the cultured produce.
- Continued approval of consortia of hatcheries based on the production capacity of the lead hatchery to help the partner hatcheries (which have poor maturation performance) to get the nauplii production done at the lead hatchery of the consortium.

Details of various activities related to seed production for coastal aquaculture are given below

Empanelment of overseas broodstock suppliers and import by Indian hatcheries

CAA received proposals from M/s. Benchmark Genetics, Kona, Hawaii and M/s. Sy Aqua America, Florida, USA for supply of SPF *L. vannamei* broodstock to Indian hatcheries based on (i) the source and origin of founder population (ii) Selection programmes adopted (iii) Present status of the generation (iv) Field performance of the present

broodstock progeny (v) SPF and health status of broodstock with respect to OIE standards and without EMS and (vi) Agreeable to the terms and conditions of EOI and by holding intensive discussions with domains experts in organizations like CIBA, NFDB and MPEDA.

The Technical Evaluation Committee recommended both the suppliers and made a presentation on 22nd October, 2019 before the Selection Committee at CAA. The Committee comprises representatives of CIFE, CIBA (2), NBFGR (2), RGCA (MPEDA) (2) Expert, AISHA, SAP, SEAI (2), Member Secretary, CAA being the Chair.

Based on the recommendations of the Selection Committee, the proposal of M/s.Sy Aqua Americas INC, Florida, USA was approved and empanelled by CAA in the list of overseas suppliers of SPF *L. vannamei*, subject to the acceptance of Terms and Conditions of the CAA.

The Committee recommended reviewing the proposal of M/s. Benchmark Genetics after a brief period of Six months from the date of the order. The empanelment notification was uploaded in the website of the Authority

Committee recommended and approved eleven suppliers as qualified for the supply of broodstock of SPF *L. vannamei* and two suppliers for the supply of broodstock of SPF *P. monodon* in the month of March 2020.

The details of the M/s. Sy Aqua Americas INC, Florida, USA, supplier was included in the Overseas Suppliers list during the year 2019-20 and also hosted in the CAA website on 17.02.2020 and the DAHD&F have been informed for issuing SIP for import of SPF *L. vannamei and P. monodon* broodstock from these sources only.

Due to the prevalence of EMS in South East Asian Countries importers were advised to exercise due caution while importing broodstock from these sources. They were subsequently advised that since OIE (World Animal Health Organization) has officially reported four countries in Asian region (viz. China, Malaysia, Thailand and Vietnam) as EMS affected, import of broodstock from other countries which are reported to be free from EMS may be considered subject to furnishing the required certification from exporting countries and on fulfilling pre-border quarantine requirements.

Import of SPF *L.vannamei* broodstock

The biosecurity requirements for the quarantine, import permit, port of entry, pre-border quarantine requirements, and quarantine requirements on arrival of imported broodstock, disinfection methods and other operational details are given in the Guidelines published by CAA. About 4,07,700 pairs of *L. vannamei* broodstock were permitted for the import by the registered hatcheries. A total of 1,24,957 numbers of broodstock were imported from the empanelled overseas suppliers during the period from April, 2019 to March, 2020 (Table 5.1).

Growth in number of SPF *L.vannamei* Hatcheries in India

Remarkable growth in *L. vannamei* hatcheries has been achieved in India in a short span of ten years. A total of 315 SPF *L. vannamei* hatcheries and 122 Nauplii Rearing Hatcheries (NRH) spread all over the coastal states with a production capacity of 43361 million seeds were approved from 2009 till March, 2020 (Table 5.1).

Table 5.1. Details of CAA approved *L. vannamei* hatcheries in India since inception (from July 2009 upto March 2020)

Yeart	No. of Hatcheries Permitted	Production Capacity (million PL)	Permitted (Pairs)	Broodstock pairs supplied by BMC of RGCA	Imported (Pairs)
2008-09	9	-	-		-
2009-10	24	615	15,300		**12,367**
2010-11	21	1329	16100		**10733**
2011-12	74	5608	48720		**18980**
2012-13	105	8295	66360		**64580**
2013-14	117	8776	70,208		**52,818**
2014-15	183	13928	165156		**99899**
2015-16	259	24209	302632	9077	**84729**
2016-17	281	26783	339300	11065	**102360**
2017-18	298	29155	368300	16015	**1,28,550**
2018-19	310	31568	396700	9220	**115570**
2019-20	315	32518	407700	2025	**1,24,957**

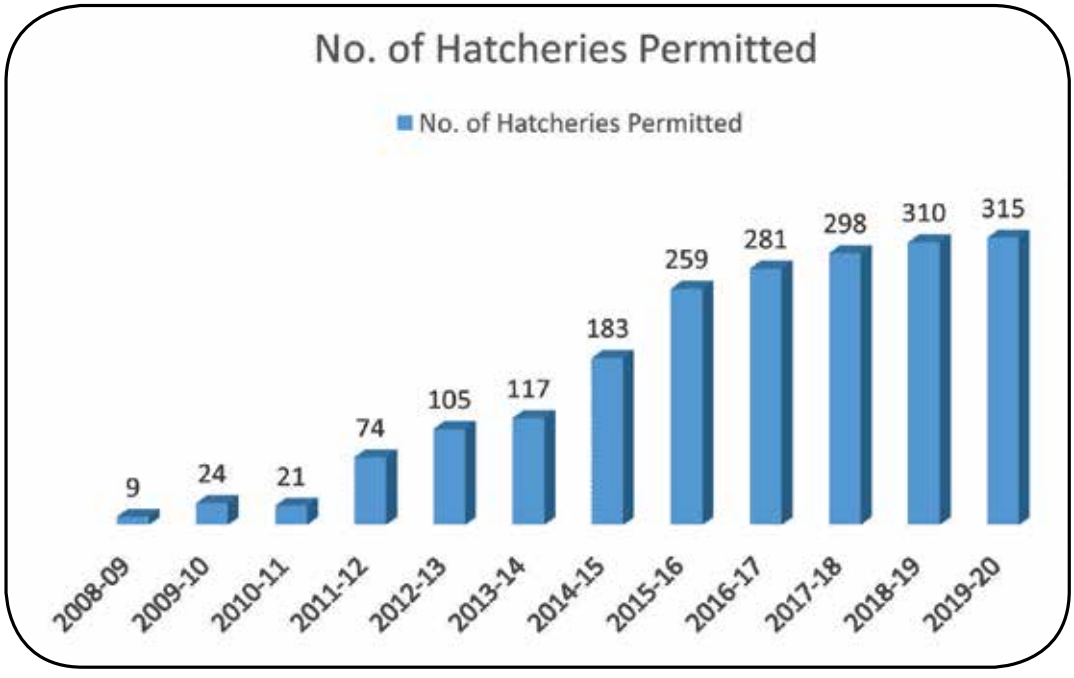


Figure 5.1 : CAA approved L. vannamei hatcheries in India (from July 2009 upto March 2020)

State-wise registration of hatcheries in 2019-20

Five new hatcheries granted permission for SPF *L. vannamei* seed production. The details of district wise, state wise distribution of hatcheries and their production capacities is given in Table 5.2

Table 5.2. State-wise distribution of CAA approved SPF *L. vannamei* hatcheries as on March 2020

	State/District	No. of Hatcheries	Seed Production Capacity (million/annum)	Number of broodstock permitted (nos.)
1	**Tamil Nadu**			
	Villupuarm	36	3240	**84000**
	Kancheepuram	27	2069	**54000**
	Nagapattinam	4	550	**14800**
	Cuddalore	1	120	**3200**
	Ramnad	1	50	**1200**
	Sub-Total	69	6029	**157200**
2	**Andhra Pradesh**			
	Nellore	72	7205	**179200**
	Prakasam	33	4955	**120000**
	Guntur	11	1753	**41000**
	East Godavari	75	6577	**168000**
	Visakhapatnam	29	3062	**76000**
	Vizianagaram	8	810	**21200**
	Srikakulam	2	240	**6000**
	Sub-Total	230	24602	**611400**
3	**Odisha**			
	a)Puri	1	90	**2400**
	b)Ganjam	5	492	**12000**
	Sub-Total	6	582	**14400**
4	**Gujarat**			
	a)Junagadh	2	95	**2800**
	b)Valsad	1	40	**1200**
	c)Gir-Somnath	2	300	**7200**
	d)Porbandhar	3	560	**13600**
	Sub-Total	8	995	**24800**

	State/District	No. of Hatcheries	Seed Production Capacity (million/annum)	Number of broodstock permitted (nos.)
5	**Karnataka**			
	Uttar Kannada	1	60	**1600**
6	**West Bengal**			
	Purba Medinipur	1	250	**6000**
	Total	**315**	**32518**	**815400**

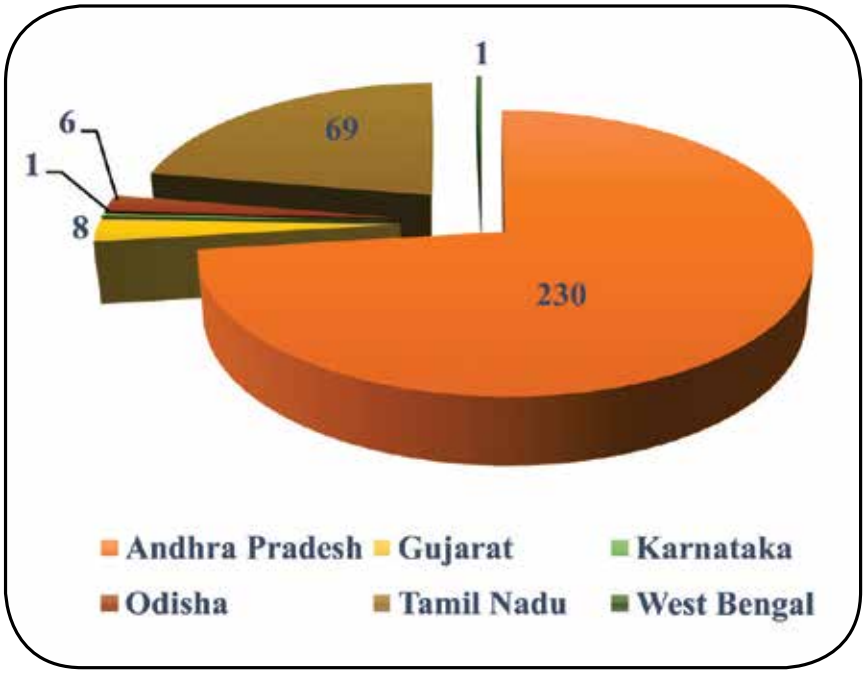


Figure 5.2 : State-wise distribution of CAA approved SPF L. vannamei hatcheries as on March 2020.

Nauplii Rearing Hatcheries (NRHs) for SPF *L.vannamei* Seed Production

During the period 2014-15, many registered hatcheries were not utilizing the maturation facilities even after huge investment in construction of maturation section due to delayed maturation and also due to lack of suitable technical persons. Some hatcheries depended on *L. vannamei* seed production by purchasing nauplii from nearby registered hatcheries without importing the allotted number of broodstock. Hence, recognition of Nauplii Rearing Hatcheries (NRHs) as an authentic seed production unit was done and as a result considerable growth of NRHs for SPF *L. vannamei* was achieved in India in a short span of five years. The number of NRHs have grown steadily, from five at the time of commencement of the programme (2015-16) and by March 2020 there were 122 units with a production capacity of 10843 million seeds per annum.

The trend in growth of Nauplii Rearing Hatcheries for SPF *L. vannamei* hatcheries approved by CAA since inception (2015-16) up to March 2020 in the country is presented and the year-wise growth of Nauplii Rearing Centers of the hatcheries are shown in Table 5.3.

Table 5.3. Details of Nauplii Rearing Hatcheries in India since Inception (2015-16) upto March 2020

State	District	No. of NRHs					Production Capacity				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
Andhra Pradesh	East Godavari	1	6	15	51	70	40	675	885	3648	5212
	Prakasam	2	1	3	8	8	125	40	415	885	885
	Nellore	0	1	4	4	8	0	70	270	392	672
	Visakhapatnam			1	8	9			100	822	922
	Vizianagaram			1	5	5			60	440	440
	Krishna			1	6	4			60	294	177
	Guntur			1	3	3			80	258	258
	Srikakulam					1					160
Tamil Nadu	Villupuram	1	1	5		6	100	30	1615		1645
	Kancheepuram				2	4				110	260
	Nagapattinam				1	1				60	60
Kerala	Ernakulam	1				1	2				2
Gujarat	Gir-Somnath		1			1					100
Odisha	Ganjam					1		100			50
	Total	**5**	**10**	**31**	**88**	**122**	**267**	**915**	**3485**	**6909**	**10843**

REGULATIONS ON AQUACULTURE INPUTS



6 REGULATIONS ON AQUACULTURE INPUTS

Concerns were raised by the DAHD&F and Department of Commerce as well as the Seafood Exporters Association over the reported large scale rejection of seafood meant for exports in recent times due to detection of antibiotics in the products. CAA as a Regulatory Authority is mandated to take strict measures to prevent use of antibiotics in shrimp hatcheries and farms.

Following a meeting held with the shrimp feed manufacturers at CAA on 24th July 2015; the issue was deliberated with the seafood exporters for developing standards for aquaculture inputs. A public notice to this effect was issued clarifying that the aqua farmers and hatchery operators will be permitted to use only the registered inputs in their facilities and consequently all manufacturers (indigenous) and distributors (imported) of aquaculture inputs were directed to register each of their product with CAA by submitting test reports to the effect that they are free from the antibiotics of concern *viz.*, Chloramphenicol & Nitrofuran parent compounds and metabolites [Furazolidone-AOZ, Furaltadone-AMOZ, Nitrofuration-AHD and Nitrofurazone (Semicarbazide)-SEM.

During the year under review, CAA registered 108 Antibiotic Free Aquaculture inputs in eight categories such as feed additive, probiotic, larval feed, adult feed, chemical, disinfectant, immunostimulant and drugs, the list of which is uploaded in CAA website. Of the eight categories, 56% are feed additives (60 numbers) followed by adult feed (17%) (19 Nos.) (Table 6.1).

A total of 3470 products from 13 states have been issued the Certificate of compliance by CAA. Maximum number of products (33%) are from Andhra Pradesh (1152 numbers) followed by Telangana (30%; 1012 numbers) and Tamil Nadu (18%; 641 numbers) altogether contributing 81% of the CAA registered aqua-inputs (Table 6.2).

The total number of registration of antibiotic free inputs under the eight categories issued by the Authority in all the states is given in Table 6.1 and their state-wise and year-wise registration in terms of antibiotic free inputs is presented in Table 6.2.

Table 6.1.Details of Registration of Antibiotic free inputs (Category-wise) issued by CAA from 2015 – 2020

No.	Category	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	TOTAL
1	Chemical	31	65	53	376	6	531
2	Disinfectant	11	35	55	180	5	286
3	Drug	1	2	1	5	0	9
4	Feed Additive	72	281	208	859	60	1480
5	Feed Adult	27	31	18	44	19	139
6	Feed Larval	37	11	14	23	2	87
7	Immunostimulant	4	12	19	57	3	95
8	Probiotic	75	147	130	478	13	843
	Total	**258**	**584**	**498**	**2022**	**108**	**3470**

Table 6.2. Registration of Antibiotic free inputs issued by CAA from 2015 – 2020

Sl.No.	Category	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	TOTAL
1	Andhra Pradesh	23	120	176	805	28	1152
2	Delhi	0	2	0	4	0	6
3	Gujarat	0	0	39	77	1	117
4	Haryana	0	0	3	17	8	28
5	Karnataka	15	17	20	82	10	144
6	Madhya Pradesh	0	0	0	12	0	12
7	Maharashtra	36	97	29	140	5	307
8	Odisha	0	0	0	4	0	4
9	Tamil Nadu	117	151	136	198	39	641
10	Telangana	66	197	74	658	17	1012
11	Uttar Pradesh	0	0	11	12	0	23
12	Uttarakhand	0	0	0	3	0	3
13	West Bengal	1	0	10	10	0	21
	TOTAL	**258**	**584**	**498**	**2022**	**108**	**3470**

7 ENVIRONMENTAL MONITORING & SURVEILLANCE

During the year 2019-20, CAA monitoring team visited 67 hatcheries and 739 shrimp farms located at various states of Tamil Nadu, Odisha, Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Kerala and West Bengal permitted by the CAA. The production facilities were inspected and the records were also verified. The hatcheries were advised to maintain proper records as per the guidelines issued by the Authority.



The results indicated that the quality of water discharged from the aquaculture units including farms and hatcheries were within the limits (Table 7.1) and the coastal ecosystem is not polluted by aquaculture.

Table 7.1: Standards for treatment of wastewater discharged from the aquaculture farms, hatcheries, feed mills and processing units as per CAA Rules

Sl. No	Parameters	Final Discharge Point	
		Coastal Marine Waters	Creek or estuarine courses when the same inland watersourses are used as water source & disposal point
1	pH	6.0 - 8.5	6.0 - 8.5
2	Suspended solids mg / 1	100	100
3	Dissolved oxygen mg / 1	Not less than 3	Not less than 3
4	Free Ammonia (as NH3-N) mg / 1	1.0	0.5
5	Biochemical Oxygen Demand-BOD(5 days @ 20°C) mg / 1 Max	50	20
6	Chemical Oxygen Demand-COD mg / 1 Max	100	75
7	Dissolved Phosphate (as P) mg / 1 Max	0.4	0.2
8	Total Nitrogen (as N) mg / 1	2.0	2.0

8 OUTREACH ACTIVITIES

During the period under report, CAA was actively involved in create awareness among farmers by visiting remote areas across the maritime states and for promotion of other good aquaculture practises. Thus, CAA has organised meetings with farmers in Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Odisha, West Bengal, Karnataka, Maharashtra and Gujarat.

- Farmers were advised directly as well as through farmer group organizations on the need for farm registration /renewal coastal aquaculture farms with CAA and the consequences of non-registration
- Awareness programs on registration and renewal of farms for undertaking farming of shrimp *(P. monodon, SPF L. vannamei*), fin fishes, crabs, and other resources were conducted in coastal states and by sensitizing the farmers.
- Brochures /handout prepared in local languages were distributed to aqua farmers and related stakeholders highlighting the need for registration and renewal of coastal aquaculture farms in different coastal districts.
- Farmers and hatchery staff were educated about the ban on use of anti-biotics and the consequences of detecting antibiotic residue in farmed stock or in larvae. Four Awareness programmes were organized along east coast to create awareness on the impact of usage of Antibiotic in the Aquaculture.

9 NEW INITIATIVES

Website updation

To promote the farming and hatchery operations, full details on the modalities for registration and renewal of aquafarms and hatcheries with the application format, guidelines on seed production and farming with related information, are provided in CAA website.

Similarly details on cultured shrimps and other products are made available to the buyers abroad for traceability, The website provides all necessary details including the powers and functions of the Authority, Act, Rules, Regulations and Guidelines, Notifications relevant to aquaculture, list of CAA members appointed by the Central Government, details on District level and State Level Committees (DLCs and SLCs), important developments from time to time etc.

Database having detailed information about registration and renewal of hatcheries/aquafarms with the required forms, list of shortlisted suppliers of SPF *L. vannamei* broodstock, quarterly compliance report, reservation of space in aquatic quarantine, details on DLCs and SLCs, list of banned antibiotics, biological sampling for testing antibiotics, wastewater quality standards etc., are given in a feasible downloadable format.

Farming activities of other species are also focused with list of banned antibiotics, procedures for biological sampling for testing antibiotics, wastewater quality standards, are also given in user-friendly downloadable format. New and latest information were uploaded periodically in the website.

Strengthening Coastal Aquaculture Authority

The Coastal Aquaculture Authority has the jurisdiction to regulate the coastal aquaculture activities in ten coastal States and four coastal Union Territories. A total of 21 staff originally sanctioned by the Central Government to the Aquaculture Authority existing in 1977 were continued when CAA was established under the statutory provision of CAA Act, 2005.

Until 2008, major activity of CAA was registration of shrimp farms, both new and old, with inspections carried out by the DLCs and SLCs. Since 2009, with the introduction of the exotic shrimp SPF *L. vannamei* in the country, many additional functions such as deeper engagement with the coastal States, DLCs/ SLCs and meetings with stakeholders, constitution of technical committee for overseeing the operation of aquatic quarantine, inspection of hatcheries for permitting import of *L. vannamei* broodstock and seed production, inspection of shrimp farms for permitting *L. vannamei* culture, constant monitoring

of hatcheries and farms to prevent unauthorised breeding/ farming of this species, collection/analysis of wastewater released from hatcheries & farms to assess their conformity with CAA standards, usage of banned drugs and chemicals in aquaculture, registration of antibiotic free aquaculture inputs, implementation of Nauplii Rearing Hatcheries (NRH) awareness creation on responsible aquaculture practices, etc, CAA is working on strengthening the Coastal Aquaculture Authority.

Proposal for the establishment of three Regional Centres in the States of Gujarat, West Bengal and Andhra Pradesh with staff strength of persons and additional posts for strengthening the headquarters at Chennai in Tamil Nadu was submitted to the Government.

STATE-WISE COASTAL AQUACULTURE STATUS 2019-2020



10 STATE-WISE COASTAL AQUACULTURE STATUS 2019-2020

Aquaculture is a growing sector, with economically viable technologies for farming of diverse aquatic species being developed and refined year after year. The R&D and promotional activities by different groups of researchers, planners and promoters has led to the adoption of various new types of farming in the country especially, cage culture of finfish, sea weed farming, crab fattening, bivalve farming and ornamental fish culture in addition to shrimp farming. However, shrimp farming still remains as the most popular coastal aquaculture activity and the fact that this has led to a production of 747111 tonnes (711674 tonnes of *L.vannamei* and 35437 tonnes of *P. monodon*; data source MPEDA) in 2019-20 is a valid indication of the popularity of these crustaceans as candidate species for aquaculture and also as a premier export product in the international market. Though there are fish and crab farms registered with CAA, majority of farmers registered with CAA during this 14 year period are practising shrimp farming in ponds in coastal area. Considering this fact, this section on shrimp aquaculture in the coastal states and UTs from during 2019-2020 presented.

Details pertaining to number of farms, area-wise farms in different states, the number of hatcheries and Nauplii Rearing Hatcheries and their seed production capacity in each district are from CAA's database. The state wise review presented is on alphabetical order.

Andhra Pradesh

- Apart from the State Level Committee (SLC), there are nine District Level Committees (DLC) in the coastal districts of East Godavari, Guntur, Krishna, Nellore, Prakasam, Srikakulam, Visakhapatnam, Vizianagaram and West Godavari which process the applications for coastal aquaculture farm registration and renewal
- With 20001 farms the state has 49 % of the total CAA registered farms in the country. Area wise, 97 % of farms are small farms with less than 2 ha area and 2 % are between 2.1 to 5 ha group.
- East Godavari district has the highest number of farms contributing to 25% of the states total, followed by Nellore and Krishna districts.
- In AP there are 338 seed production units registered with CAA with a total production capacity of 33328 million seed
- Maximum number of seed production units are in East Godavari where 145 units (42.9%) for seed production with a capacity of 11789 million seed per annum
- In Nellore (80 nos), Prakasam (41 nos.) Vishakapatnam (38 nos.) and Guntur (15 nos.) seed production units have registered with CAA with a total seed production capacity of 7877, 5840, 3984 and 2011 million seed per annum

Table 1. Details of District-wise farms registered with CAA in Andhra Pradesh

District	0-2.00	2.01-5.00	5.01-10.00	10.01-40.00	above 40.01	Grand Total	Total Farm Area (ha)	Water Spread Area (ha)
East Godavari	5058	10	3	2		5073	6466.12	4530.41
Guntur	2251	122	7	3		2383	3298.59	2559.55
Krishna	3829	2			1	3832	4598.90	2977.48
Nellore	3656	207	49	35	2	3949	7575.12	4639.52
Prakasam	2014	91	7	9	1	2122	3494.19	2688.89
Srikakulam	496	13	10	1	1	521	762.71	611.39
Visakhapatnam	75	23	8	5	2	113	566.70	449.35
Vizianagaram	9	2	1			12	35.77	27.25
West Godavari	1986	9		1		1996	2057.23	1665.97
Total	**19374**	**479**	**85**	**56**	**7**	**20001**	**28855.33**	**20149.81**

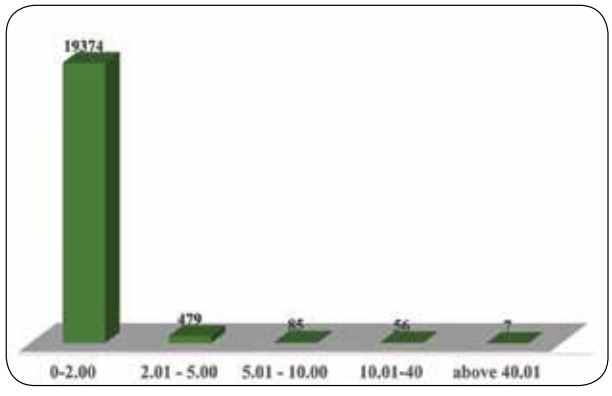


Figure 10.1 : No. of farms registered in Andhra Pradesh from December 2005- March 2020

Table 2. Details of District-wise seed production units registered with CAA in Andhra Pradesh upto March 2020

District	No of hatcheries	Seed Production Capacity (million		No of NRCs Permitted	Capacity (in millions)	Total units (Hatchery +NRH)	Total capacity (Hatchery + NRH)
Nellore	72	7205	179200	8	672	80	7877
Prakasam	33	4955	120000	8	885	41	5840
Guntur	11	1753	41000	3	258	14	2011
East Godavari	75	6577	168000	70	5212	145	11789
Visakhapatnam	29	3062	76000	9	922	38	3984
Vizianagaram	8	810	21200	5	440	13	1250
Srikakulam	2	240	6000	1	160	3	400
Krishna	0	0	0	4	177	4	177
Total	**230**	**24602**	**611400**	**108**	**8726**	**338**	**33328**

Goa

- The State has DLCs in two districts, North Goa and South Goa in addition to the State level committee where the coastal aquaculture applications of farmers are processed and recommended to CAA for consideration of registration.
- The state has 39 farms registered with CAA covering a total area of 122.7 ha (91.01 WSA).
- Majority of the farms (59%) are small farms of less than 2 ha area and 33 percent are farms of size 2.1 to 5 ha area. The state has farms (8 %) with more than 5 ha area.
- There are no registered hatcheries or Nauplii Rearing Hatcheries in Goa.

Table 3. Details of District-wise farms registered with CAA in Goa

District	0-2.00	2.01-5.00	5.01-10.00	10.01-40.00	above 40.01	Grand Total	Total Farm Area (ha)	Water Spread Area (ha)
North Goa	9	6	1	1		17	64.70	49.96
South Goa	14	7	1			22	58.08	41.05
Total	**23**	**13**	**2**	**1**		**39**	**122.78**	**91.01**

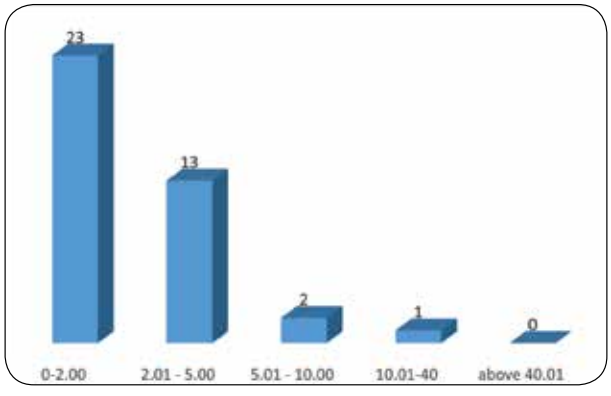


Figure 10.2 : No. of farms registered in Goa from December 2005- March 2020

Gujarat

- The state has nine DLCS spread across the coastal districts of Surat, Navsari, Valsad, Bharuch, Amreli, Junagadh, Girsomnath, Bhavnagar and Porbander and these have supported registration of 824 farms with a total area of 3698 ha.
- Maximum number of farms (40 %) are in Surat, followed by , Navsari (26.6 %) and Valsad (15.5 %). However, the Total area and WSA is higher in Navsari than Surat.
- In Gujarat, 81 percent of the farms are in the 2.1 to 5 ha area category and 18% are small farms of less than 2 ha area. The state has large farms above 5 ha area also.
- There are 9 seed production units spread across four coastal districts. The hatcheries /NRHs are in Gir-Somnath (3 nos), Porbandar (3 nos), Junagadh (2 nos) and Valsad (01 no) with a total production capacity of 1095 million seed per annum.

Table 4. Details of District-wise farms registered with CAA in Gujarat

District	0-2.00	2.01-5.00	5.01-10.00	10.01-40.00	above 40.01	Grand Total	Total Farm Area (ha)	Water Spread Area (ha)
Amreli		12				12	58.65	39.85
Bharuch	2	116				118	581.39	388.52
Girsomnath	3					3	4.20	2.80
Junagadh	6	6				12	44.53	28.25
Navsari	6	203	7	1	2	219	1329.56	950.21
Porbander	1					1	2.00	1.60
Surat	91	240				331	1200.33	873.01
Valsad	37	91				128	477.56	361.29
Total	**146**	**668**	**7**	**1**	**2**	**824**	**3698.22**	**2645.53**

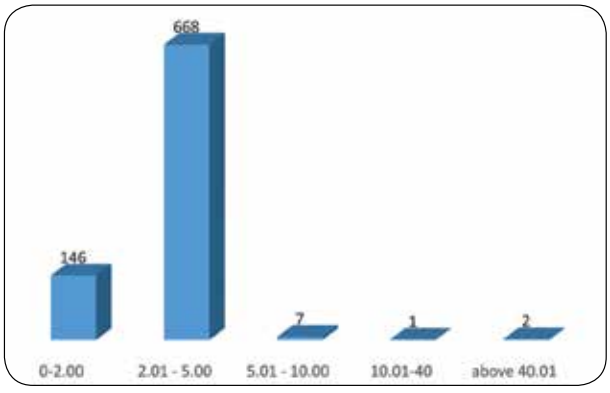


Figure 10.3 : No. of farms registered in Gujarat from December 2005- March 2020

Table 5 Details of District-wise hatcheries registered with CAA in Gujarat

District	No of hatcheries	Seed Production Capacity (million		No of NRCs Permitted	Capacity (in millions)	Total units (Hatchery +NRH)	Total capacity (Hatchery + NRH)
Junagadh	2	95	2800			2	95
Valsad	1	40	1200			1	40
Gir - Somnath	2	300	7200	1	100	3	400
Porbandhar	3	560	13600			3	560
Total	**8**	**995**	**24800**	**1**	**100**	**9**	**1095**

Karnataka

- Apart from State Level committee there are three DLCs, in Udupi, Uttar Kannada and Dakshina Kannada which have supported the registration of 310 farms covering 456.8 ha area.
- Though the number of farms are highest, (51%) in Udupi, the area under culture is highest in Uttar Kannada
- Majority (87%) of the farms in the state are small farms of less than 2 ha. Farms of size 2.1 to 5 ha contribute to 12 percent of the total farms and the rest are above 5 ha.
- In Karnataka one hatchery at Uttara Kannada with a production capacity of 60 million seed per annum is registered with CAA.

Table 6. Details of District-wise farms registered with CAA in Karnataka

District	0-2.00	2.01-5.00	5.01-10.00	10.01-40.00	above 40.01	Grand Total	Total Farm Area (ha)	Water Spread Area (ha)
Dakshina Kannada	27					27	21.01	17.26
Udupi	153	6				159	135.78	111.39
Uttar Kannada	90	32	1	1		124	300.03	218.29
Total	**270**	**38**	**1**	**1**		**310**	**456.82**	**346.94**

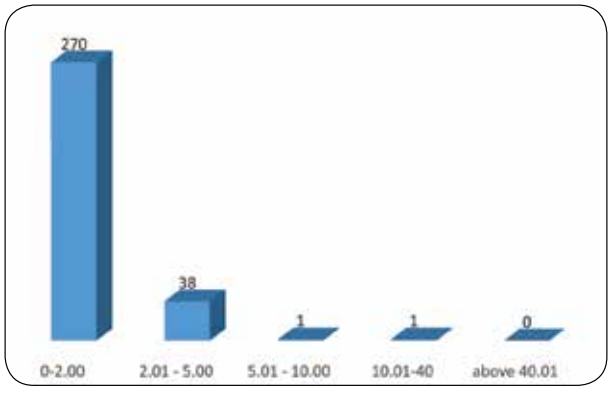


Figure 10.4 : No. of farms registered in Karnataka from December 2005- March 2020

Kerala

- There are nine coastal districts Ernakulam, Thrissur, Alappuzha, Kannur, Kollam, Kozhikode, Malappuram, Thiruvananthapuram, Kasaragod and each district has a committee to scrutinize the applications received from farmers and there is also the SLC.
- About 1439 farms have been registered with CAA covering an area of 2728 ha. Most of the farms (84%) are less than 2 ha area, while 15% are within 2.01 to 5 ha area category and 1% above 5 ha area.
- Maximum number of farms are in Ernakulam (27%) followed by Thrissur (23%) and Alappuzha (21 %).
- There is one NRH registered with CAA in Ernakulam district

Table 7. Details of District-wise farms registered with CAA in Kerala

District	0-2.00	2.01-5.00	5.01-10.00	10.01-40.00	above 40.01	Grand Total	Total Farm Area (ha)	Water Spread Area (ha)
Alappuzha	280	15				295	442.43	254.80
Ernakulam	297	67	8	3		375	808.02	611.06
Kannur	138	71	2	1		212	622.66	375.20
Kasaragod	5	3				8	19.35	13.46
Kollam	132					132	131.23	76.19
Kozhikode	22	5				27	59.85	43.99
Malappuram	9					9	15.45	10.65
Thiruvananthapuram	10					10	8.84	4.11
Thrissur	274	41	2			317	620.48	481.12
Total	**1167**	**202**	**12**	**4**		**1385**	**2728.31**	**1870.58**

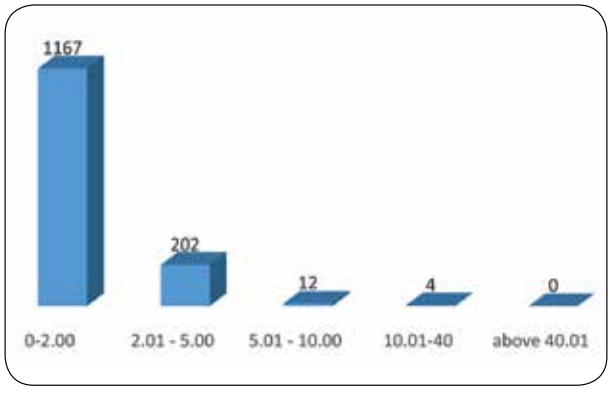


Figure 10.5 : No. of farms registered in Kerala from December 2005- March 2020

Maharashtra

- The state level committee and five DLCs in the coastal districts of Thane, Raigad, Sindhudurg, Ratnagiri and Palghar are responsible for scrutiny of the application forms. A total of 288 farms have been registered, with a total area of 2280 ha.
- Maximum number of farms are in Thane district, 40% followed by Raigad (26%).
- Majority of the farms (47%) are less than 2 ha, 39% of farms are in 2.01 to 5.0 category. Farms between 5.01 to 10 ha area form 6 % of the total registered farms, 7 % between 10.1 to 40 ha and the rest 2 % above 40.01 ha area
- There are no CAA registered hatcheries or Nauplii Rearing Hatcheries in Maharashtra.

Table 8. Details of District-wise farms registered with CAA in Maharashtra

District	0-2.00	2.01-5.00	5.01-10.00	10.01-40.00	above 40.01	Grand Total	Total Farm Area (ha)	Water Spread Area (ha)
Palghar	10	2				12	25.46	17.27
Raigad	41	20	6	8		75	486.65	309.61
Ratnagiri	29	12	3			44	135.38	102.61
Sindhudurg	30	9	1			40	101.89	76.43
Thane	24	68	8	11	6	117	1530.90	940.27
Total	**134**	**111**	**18**	**19**	**6**	**288**	**2280.28**	**1446.19**

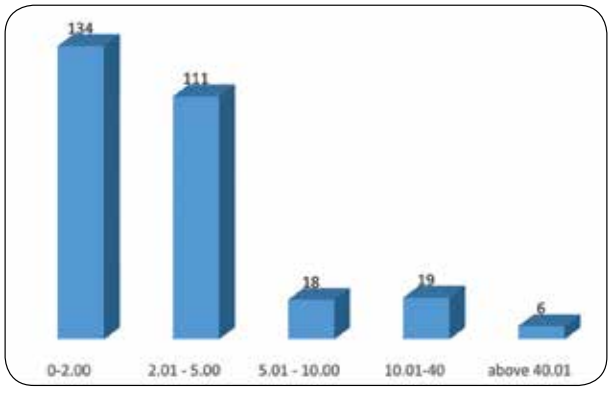


Figure 10.6 : No. of farms registered in Maharashtra from December 2005- March 2020

Odisha

- Apart from the state committee there are seven District level committee at Balasore, Bhadrak, Puri, Jagatsinghpur, Kendrapara, Ganjam and Khordha. There are 10341 registered farms in Odisha and these contribute to 26 % of the total farms registered with CAA (second largest, after AP). The total area and WSA are 12563 ha and 7864 ha respectively.
- Balasore has the highest number of farms (33%) followed by Bhadrak. However, the area under culture is higher at Bhadrak than Balasore.
- Majority (98.9%) of the farms in all the districts of Odisha are small farms of less than 2 ha and rest of farms are between 2.01 to 5 ha area. Larger farms have also registered with CAA
- There are 7 seed production units, 6 hatcheries spread across Ganjam and Puri districts and 1 NRHs with a total production capacity of 1264 million seed per annum. All the NRH units are in Ganjam district,

Table 9. Details of District-wise farms registered with CAA in Odisha

District	0-2.00	2.01-5.00	5.01-10.00	10.01-40.00	above 40.01	Grand Total	Total Farm Area (ha)	Water Spread Area (ha)
Balasore	3348	14	10	12		3384	3983.00	2379.24
Bhadrak	2782	8	6	4		2800	4379.20	2627.24
Ganjam	553	1	2	1		557	350.00	242.03
Jagatsinghpur	808	26				834	900.42	613.37
Kendrapara	716	13				729	877.90	671.31
Khordha	7					7	11.44	6.82
Puri	2021	6	2	1		2030	2061.85	1324.50
Total	**10235**	**68**	**20**	**18**		**10341**	**12563.81**	**7864.51**

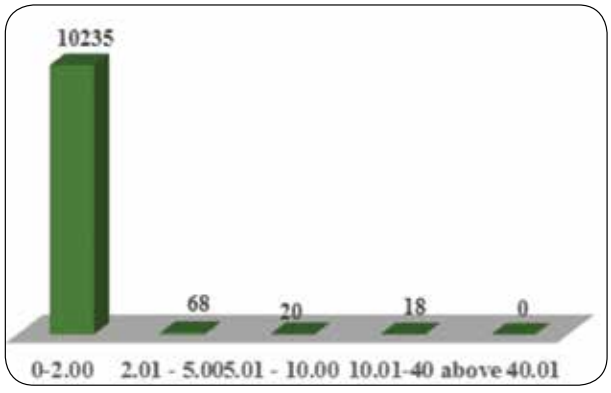


Figure 10.7 : No. of farms registered in Odisha from December 2005- March 2020

Table 10 Details of District-wise hatcheries registered with CAA in Odisha

District	No of hatcheries	Seed Production Capacity (million)		No of NRCs Permitted	Capacity (in millions)	Total units (Hatchery +NRH)	Total capacity (Hatchery + NRH)
Puri	1	90	2400			1	90
Ganjam	5	492	12000	1	50	6	542
Total	**6**	**582**	**14400**	**1**	**50**	**7**	**632**

Tamil Nadu

- Apart from SLC there are DLCs in the coastal districts of Chengalpattu, Cuddalore, Kanyakumari, Nagapattinam, Pudukottai, Ramanathapuram, Thanjavur, Thiruvallur, Thiruvarur, Thoothukudi, Villupuram, Tirunelveli.
- The state has 1911 farms and maximum number of farms are in Nagapattinam district (44%) followed by Thanjavur (15%). The same

dominance was observed in total area and water spread area.

- Small farms of less than 2 ha formed 74% of the farms followed by slightly bigger farms of 2.01 to 5 ha (23 %). Farms with area 5.01 to 10 ha formed 2 percent and larger farms 10.1 to 40 ha were less than one percent.
- The state has the second largest facility for shrimp seed production.
- TN has total seed production units a total of 80 units with a production capacity of 7994 million seed per annum respectively spread across 5 districts. Villupuram district has the maximum number of units (42 nos) with a production capacity of 4885 million seed per annum.

Table 11. Details of District-wise farms registered with CAA in Tamil Nadu

District	0-2.00	2.01-5.00	5.01-10.00	10.01-40.00	above 40.01	Grand Total	Total Farm Area (ha)	Water Spread Area (ha)
Chengalpattu	65	14				79	131.18	102.21
Cuddalore	112	23	5			140	338.43	231.14
Kanyakumari	1					1	0.60	0.50
Nagapattinam	637	180	27	2		846	2071.81	1565.29
Pudukottai	41	15				56	159.63	120.09
Ramanathapuram	71	50	2			123	422.40	286.15
Thanjavur	235	59	5			299	819.02	613.61
Thiruvallur	70	19	7	1		97	294.12	217.96
Thiruvarur	94	58		1		153	523.42	391.75
Thoothukudi		19				19	127.69	85.62
Villupuram	89	9				98	182.08	128.82
Total	**1415**	**446**	**46**	**4**		**1911**	**5070.38**	**3743.14**

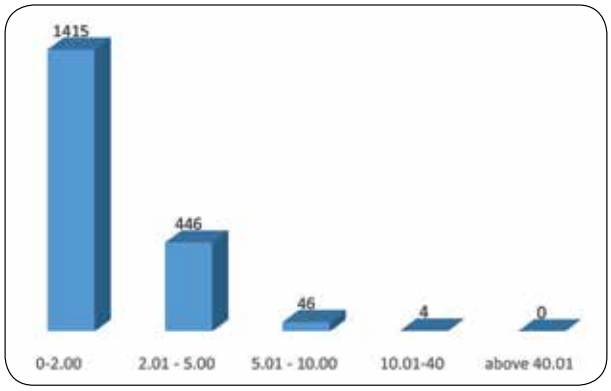


Figure 10.8 : No. of farms registered in Tamil Nadu from December 2005- March 2020

Table 12. Details of District-wise hatcheries registered with CAA in Tamil Nadu

District	No of hatcheries	Seed Production Capacity (in million)		No of NRCs Permitted	Capacity (in millions)	Total units (Hatchery +NRH)	Total capacity (Hatchery + NRH)
Villupuarm	36	3240	84000	6	1645	42	4885
Kancheepuram	27	2069	54000	4	260	31	2329
Nagapattinam	4	550	14800	1	60	5	610
Cuddalore	1	120	3200			1	120
Ramnathapuram	1	50	1200			1	50
Total	**69**	**6029**	**157200**	**11**	**1965**	**80**	**7994**

West Bengal

- With 3956 farms covering a total area 3775 ha the state has 10 % of the total CAA registered farms in the country. Area wise, 99.9% of farms are small farms with less than 2 ha area.
- Apart from the SLC there are three DLCs, Purba Medinipur, South 24 Parganas and North 24 Parganas which support in registration of coastal aquaculture farms.
- Majority (44%) of the CAA registered farms are in Purba Medinipur followed by South 24 Parganas (32%), and North 24 Parganas (24%).
- There is one *L vannamei* hatchery in Purba Medinipur in West Bengal with a seed production capacity of 250 million per annum.

Table 13. Details of District-wise farms registered with CAA in West Bengal

District	0-2.00	2.01-5.00	5.01-10.00	10.01-40.00	above 40.01	Grand Total	Total Farm Area (ha)	Water Spread Area (ha)
North 24 Parganas	961	-	-	-	-	961	1230.76	850.74
Purba Medinipur	1732	10	-	-	-	1742	1243.42	939.82
South 24 Parganas	1253		-	-	-	1253	1301.53	765.47
Total	**3946**	**10**	-	-	-	**3956**	**3775.71**	**2556.03**

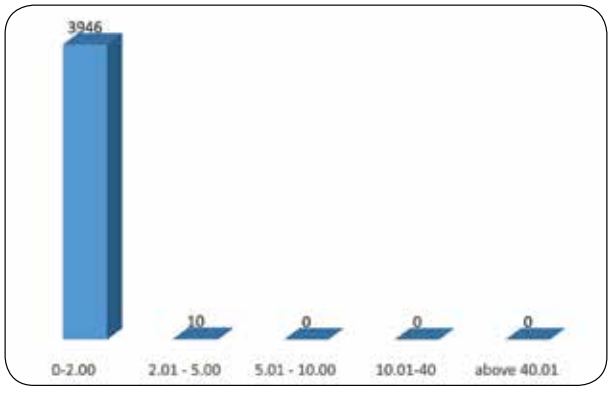


Figure 10.9 : No. of farms registered in West Bengal from December 2005- March 2020

Union Territories

Puducherry, Daman and Diu, Andaman and Nicobar

- Among the three UTs, only in Puducherry shrimp aquaculture is practised in a large scale. There are three DLCs at Yanam, Karaikal and Puducherry districts and the UT has 73 farms covering a total area of 107.6 ha. Majority (43 %) of farms are in Yanam district, followed by Karaikal (38%) and Puducherry (19%). 90 percent of farms are small, less than 2 ha; 8 percent between 2.01 to 5 ha and the rest between 5.01 to 10 ha area group.
- In Daman and Diu there were 12 farms registered with CAA in 2008-09 and in 4 farms during 2011-2013 period. There are no hatcheries in any of the UTs.
- Five farms were registered from A&N islands
- There are no CAA registered farms in Lakshadweep

Table 14 Details of District-wise farms registered with CAA in Puducherry

District	0-2.00	2.01-5.00	5.01-10.00	10.01-40.00	above 40.01	Grand Total	Total Farm Area (ha)	Water Spread Area (ha)
Karaikal	20	4				24	47.86	34.88
Puducherry	12					12	17.69	12.83
Yanam	25	1	1			27	42.11	33.39
Total	**57**	**5**	**1**			**63**	**107.66**	**81.10**

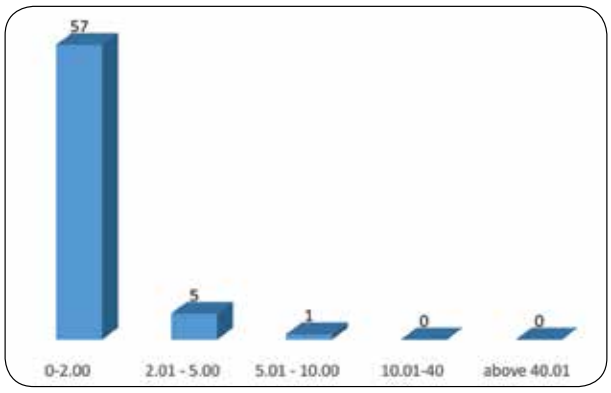


Figure 10.10 : No. of farms registered in Puducherry from December 2005- March 2020

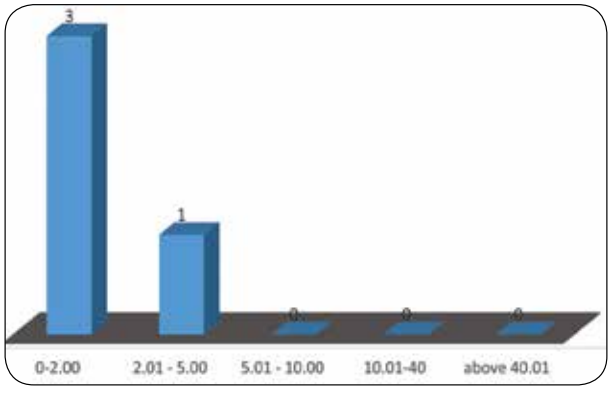


Figure 10.11 : No. of farms registered in Andaman & Nicobar Islands from December 2005- March 2020

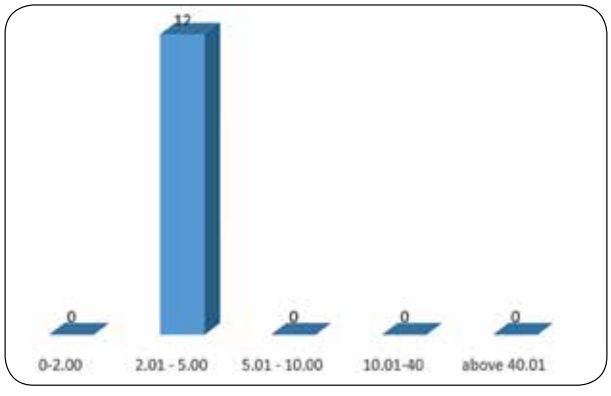


Figure 10.12 : No. of farms registered in Damn and Diu from December 2005- March 2020

11 TARGETS FOR 2020-21

Registration and renewal of coastal aquaculture farms

Registration and renewal of coastal aquaculture farms is a continuous process. Targeted efforts will be made to register more farms in all maritime states.

Registration and renewal of hatcheries and NRHs

All hatcheries whose registration is to be renewed in 2020-21 will be contacted and their renewal process will be completed before March 2021. Applications for new hatchery construction will be scrutinised and followed up without any delay.

Approval for Antibiotic-free Aquaculture Inputs

Since the awareness on Antibiotic residue is being stronger among farmers and hatchery operators, more products are expected to be registered. Also renewal of products already registered is also expected in 2020-21. Apart from this sampling of products certified and inspections are also planned through the task force committee.

Inspection and Environment Monitoring

Regular monitoring of the facilities especially those related to bio-security and effluent treatment will be undertaken in different maritime states. The operation of ETS, the quality of wastewater discharged from coastal aquaculture farms and hatcheries will be analysed to check whether they meet the optimum ranges prescribed in the CAA guidelines. These guidelines which are based on the main environment principles like the Precautionary Principle and Principle of sustainability are to be followed by the aquaculture stakeholders which would ensure preservation of natural biodiversity and ecosystem services.

Water Quality Analysis

Different Government and University laboratories which have facilities to analyse water samples will be identified and agreements made with them to analyse water samples collected by CAA from different areas across the east and west coasts. Water samples collected from across the coastal districts will be analysed at the nearest approved laboratories.

Awareness Programmes

Awareness programmes on need for environment protection, farm registration and renewal, good aquaculture practices and antimicrobial awareness programmes will be organised in different coastal districts.

Advertisement and Publication

Public notices are to be issued on important matters from time to time to caution stakeholders on unauthorised activities and for taking precautionary measures to avoid occurrence of diseases as well

as advise the stakeholders on current affairs and happening in aquaculture sector towards achieving the goal of sustainable aquaculture.

Preparation of Manuals/Brochures/ Audio-visual aids

Brochures, pamphlets and audio-visual programs highlighting salient features of CAA rules and regulations, good aquaculture practices and harmful impacts of anti-biotic use and other matter relevant to coastal aquaculture will be prepared.

Workshops and Meetings

Stakeholder meetings would be organized for addressing the problems encountered in the coastal aquaculture activities, where experiences of various groups on technological improvements and other aspects, will be shared.

12 PARTICIPATION IN EVENTS BY CAA

Participation of CAA members / officers in meetings/seminars/symposia organized by other institutes

- Eighth Meeting of the Technical Committee for Risk Assessment to import fish and fishery products into India on 24th April, 2019 at New Delhi.
- The Executive Committee Meeting of the Department of Fisheries, Government of Andhra Pradesh on 16th May, 2019 at AP Interim Secretariat, Velagapudi, Andhra Pradesh.
- Stakeholders Consultation Meeting organized by MEPDA on 17th June, 2019 at Vijayawada.
- Farmers meet organised by MPEDA on 18th June, 2019 at Veeravasaram (East Godavari District), Andhra Pradesh.
- Ninth Meeting of the Technical Committee for Risk Assessment to import fish and fishery products into India on 25th June, 2019 at New Delhi.
- The World Fisheries Day on 21st November, 2019, at Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, New Delhi.
- National Conference on Fisheries and Aquaculture “Harnessing the Untapped Potential of Fisheries and Aquaculture” held on 13th December, 2019 at Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, New Delhi.
- Director (Technical) and Senior Technical Assistant, CAA participated in the Aqua India 2020 “The Changing Face of Indian Aquaculture” held on 31st January – 1st February, 2020 at Kochi.

13 IN -HOUSE ACTIVITIES

Shifting of CAA office premises

As a part of the constant efforts made by CAA to have a permanent office in Chennai, various efforts had been made in the past. The efforts fructified during the year as the Government of Tamil Nadu, allotted an exclusive office space in its new building complex of the State fisheries department in Chennai.



A formal ceremony was conducted in the new premises on 04.07.2019 and CAA shifted its office on 05.09.2019 from Vannuvampet, Madipakkam, Chennai to the Integrated Animal Husbandry and Fisheries Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries Department, located at Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam, Chennai.

Dr. I. Rani Kumudini IAS, Member Secretary I/C visited the new CAA office premises on 10.01.2020.

Hindi week celebration

- Every year a fortnight from 14th September the Rajbhasha Week is celebrated. This office celebrated Hindi Pakhwada from 22.09.2019 to 29.09.2019 by conducting various competitions among officers and staff. Competitions included Hindi Noting and drafting, essay competitions and other programs. Cash prizes were given to the winners of the competition.

Vigilance week celebration

- Coastal Aquaculture Authority observed Vigilance Awareness Week from 26th October, 2019 to 1st November, 2019.

14 FINANCE

(i). Summary of actual financial results for financial year 2019-20

The Accounts pertaining to the financial year 2019-20 was audited under the section 19(2) of the CAG's (DPC) Act, 1971 by the Director General of Audit (Central), Chennai and its report is presented in ANNEXURE.

As per Section 16 and 17 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005, the grant-in-aid based on budget estimation made by the CAA, was provided in 2 (two) installments, under the budgetary provisions of the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, New Delhi. Administrative Ministry has sanctioned GIA of Rs.450 lakhs for the financial year 2019-20. Ministry has admitted Revised Estimates for Rs.450 lakhs.

Budget Estimates / Revised Estimates and Expenditure for the financial year 2019-20 are as follows:

Major Head 2405

Sub Head - 131731Grant-in-Aid (General)
- 131736 Grant-in-Aid (Salaries)

(₹ in Lakhs)

BE admitted by the Ministry	RE admitted by the Ministry	Amount received	Amount spent	Unspent balance
450	450	450	306	1.44

(₹ in Lakhs)

Sl. No	Name of the Scheme	Sub-head	BE 2020-21
1	Coastal Aquaculture Authority	**131731Grant-in-Aid** (General) **131736 Grant-in-Aid** (Salaries)	450

(ii). Details of the Annual Accounts for the year 2019-20

The Details of the Annual Accounts for the year 2019-20 are presented in ANNEXURE

15 STAFF AND EXISTING ORGANISATIONAL STRUCTURE OF THE AUTHORITY

At present, CAA has got sanctioned strength of 21 posts and the staff in position during the financial year 2019-20 is as follows:

Sl. No	Group	Post	Sanctioned Strength	Number of staff at the beginning	No. of staff repatriated during the year	No. of new staff added during the year	Staff at the end of the year
1	A	Director	1	0	0	1	1
		Asst. Director	1	0	0	0	0
		Sr. Admin. Officer	1	1	1	0	0
2	B	Superintendent	1	1	0	0	1
		Private Secretary	2	2	0	0	2
		Sr. Tech. Assistant	2	2	0	0	2
		Accountant	1	0	0	0	0
		Steno. Gr. 'C'	2	0	0	0	0
3	C	Sr. Clerk	2	0	0	0	0
		Steno. Gr. 'D'	1	1	0	0	1
		Jr. Clerk	2	2	1	0	1
		Staff Car Driver	1	1	0	0	1
		MTS	4	4	0	0	4
		Total	**21**	**14**	**2**	**1**	**13**

Consultants and Computer Programmer

Sl. No	Designation	Number at the beginning	Number left during the financial year	New added during the financial year	At the end of financial year
1	Consultants	0	0	3	3
2.	Computer Programmer	0	0	2	1

On contract through a Manpower Agency

Sl. No	Designation	Number at the beginning	Number left during the financial year	New added during the financial year	At the end of financial year
1.	Support Staff	2	2	1	1

Recruitment / Retirement / Repatriation / Deputation

- **Dr. C. Gopal,** after serving 19 months as Member Secretary of the CAA relinquished charge on 18.05.2019.
- **Smt. I. Rani Kumudini, IAS,** Chief Executive, NFDB took charge as Member Secretary (I/C) of CAA w.e.f. 22.05.2019.
- **Shri. A. Antony Xavier,** Director (Tech) joined on deputation basis in April 2019.
- **Shri. V. Anand**, joined as SAO in April 2019 and also repatriated to his parent department in July 2019.
- **Smt. G. Rajasree,** Jr. Clerk has been relieved from CAA in May 2019 to join as Accountant in CBDT on deputation basis.

16 RIGHT TO INFORMATION ACT

Totally 13 (thirteen) applications were received under RTI Act during the year 2019-20. Information sought were furnished.

ANNEXURE

Annual Accounts of CAA
and
Separate Audit Report of the C & AG
for the year 2019-20

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING, DEPARTMENT OF FISHERIES
5th Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries,
Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam, Chennai – 600 003

BALANCE SHEET AS AT 31.03.2020

(Amount - ₹)

	Schedule	Current Year	Previous Year
CORPUS/ CAPITAL FUND AND LIABILIITES			
CORPUS /CAPITAL FUND	1	59,71,178	1,28,75,112
GOI - GRANT	1	1,44,00,280	-
EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	2	9,56,08,528	7,51,22,432
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	3	1,70,42,137	93,45,704
TOTAL		**13,30,22,124**	**9,73,43,248**
ASSETS			
FIXED ASSETS	4	71,23,198	82,27,094
INVESTMENTS - FROM EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	5	32,25,916	30,69,183
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	6	12,26,73,010	8,60,46,971
TOTAL		**13,30,22,124**	**9,73,43,248**
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	14		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	15		

Sd/-
Sr. Admin. Officer

Sd/-
Member Secretary

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING, DEPARTMENT OF FISHERIES
5th Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries,
Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam, Chennai – 600 003

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD/YEAR ENDED 31.03.2020

(Amount - ₹)

	Schedule	Current Year	Previous Year
INCOME			
Grants/ Subsidies	7	3,09,78,615	3,99,93,038
Fees/Subscriptions	8	860	20
Income from Investments (Income on Invest from earmarked/endow.Funds transferred to Funds)	9	-	-
Interest Earned	10	6,09,716	2,79,782
Other Income	11	17,475	12
TOTAL(A)		**3,16,06,666**	**4,02,72,852**
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	12	1,34,15,055	1,96,06,020
Other Administrative Expenses etc.	13	1,75,63,560	1,85,43,095
Expenditure on Grants, Subsidies etc.,		-	-
TOTAL(B)		**3,09,78,615**	**3,81,49,115**
Balance being excess/(shortage) of Income over Expenditure (A-B)		6,28,051	21,23,737
Depreciation	4	11,96,022	13,61,778
Prior Period Items			
- Telephone		-	-
- Postage and telegram		-	-
Transfer to Special Reserve (Specify each)			
Transfer to / from General Reserve			
BALANCE BEING SURPLUS / (DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND		**(5,67,971)**	**7,61,959**
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	14		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	15		

Sd/-
Sr. Admin. Officer

Sd/-
Member Secretary

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING, DEPARTMENT OF FISHERIES
5th Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries,
Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam, Chennai – 600 003

RECEIPTS FOR THE PERIOD/YEAR ENDED 31.03.2020

(Amount - ₹)

Receipts	(Amount-Rs.)	
	Current Year	Previous Year
1. **Opening Balances**		
a) Cash in hand	-	-
b) Bank Balances		
i) In current accounts	-	-
ii) In deposit accounts	-	-
iii) Savings accounts	8,53,77,602	4,53,60,998
iv) IOB - '10000	-	1,22,276
Opening Balance - Adjustment	(172)	
II. Grants Received		
a) From Government of India-		
Capital Receipts	1,03,250	6,962
Revenue Receipts		3,99,93,038
GIA Salary	2,15,00,000	
GIA General	2,33,96,750	
b) From State Government	-	-
c) From Other Source	-	-
(Grants for capital & revenue exp to be shown separately)		
III. Income on Investment from		
a) Earmarked/Endowment Funds(FDR Interest)	-	
b) Own Funds (other Investment)	-	-
IV. Interest Received		
a) On Bank deposits	6,09,716	2,79,782
b) Loans, Advances etc.	-	-
c) On Earmarked fund	47,57,317	31,62,038

Receipts	(Amount-Rs.)	
	Current Year	Previous Year
V. Other Income (Specify)		
Rebate from PO	-	-
Misc Income	-	12
Festival Advance	-	-
RTI Fees	860	20
MTS Application Fees	-	-
Refund of deposit - CPWD CCD	-	-
Sale of scrap	28,599	-
Share of parliament expenditure - Epfo	-	-
VI. Amount Borrowed		
D.D.O	-	-
V**II. Any other receipts (give details)**		
Earnest Money Deposit	10,000	-
Festival Advance Recovery	-	-
Stamps in Hand	-	-
Letter of Credit	-	-
Endowment Fund (Processing Fees)	27,84,100	78,91,950
Application Fees - 30%	3,16,540	3,37,384
State Fisheries- Andhra Pradesh	-	-
Security Deposit	20,800	-
Feed Products	72,82,750	2,11,01,290
NPS - K Srinivasan Babu	-	14,078
Professional tax	-	-
TDS	-	-
Staff Deduction & Remittances	60,442	-
Muthu Soft labs		
Fund Transfer from CPF, GPF,Pension A/c		
Advance Refund		
a)Advance for Meeting	1,052	28,481
b)Advance for campain week	-	2,832
c)Advance for crockeries	-	-

Receipts	(Amount-Rs.)	
	Current Year	Previous Year
d)Advance for audit	-	-
e)Advance for Independence / republic day	-	1,647
f)Advance for hindi seminar	-	-
g)Advance for stamps	-	-
h) Advance for Travelling / Tour Expenses	-	89,940
i) Advance for pooja expense	-	8,520
j) Advance for repair and maintenance	-	-
k) Advance for consultant and programmer deposit	-	-
l) Advance for contingent expense	-	
m) Advance for staff welfare	225	515
n) Advance for telephone	-	-
o) Advance for MS seal	-	-
Direct Expenses reversal		
a) Establishment Expenses	1,41,779	4,61,097
b) Administrative Expenses	-	38,490
Total	**14,63,91,611**	**11,89,01,350**

Sd/-
Sr. Admin. Officer

Sd/-
Member Secretary

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING, DEPARTMENT OF FISHERIES
5th Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries,
Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam, Chennai – 600 003

PAYMENTS FOR THE PERIOD/YEAR ENDED 31.03.2020

(Amount - ₹)

Payments	(Amount-Rs.)	
	Current Year	Previous Year
I. Expenses		
a) Establishment Expenses	1,17,20,831	1,58,05,557
b) Administrative Expenses	1,20,61,468	1,35,58,327
II. Payments made against funds for various projects (Name of the fund or project should be shown along with the particulars of payments made for each project)	-	-
III. Investments and deposits made		
a) Out of Earmarked/Endowment funds	-	-
b) Out of Own Funds	-	-
IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital work-in-Progress		
a) Purchase of Fixed Assets	1,03,250	6,962
b) Expenditure on Capital Work-in-progress	-	-
V. Refund of surplus money/loans		
a) To the Government of India	-	-
b) To the State Government	-	-
VI. Finance Charges (Interest)		
a) Interest Refund to PAO, Agri	2,79,782	
VII. Other Payments (Specify)		
a) Rent payable	2,17,888	2,17,888
b) Performance security Deposit Refund	-	-
c) bank charges (earmarked fund)	15	-
d) Prepaid Expenses	-	-
e) Expenditure out of Earmarked fund	3,20,000	1,00,000
f) Medical Advance	-	-
g) LSPC/ CPC arrears	-	-
h) Post Master, St. Thomas Mount	-	5,00,000
i) Stamps in Hand	-	25,000
j) Bonus payable	-	-
k) Travelling expenses for Inspection	-	-
l) Sundry Creditors	-	-
m) TDS	9,07,083	11,38,164
n) NPS - K Srinivasan Babu	-	-
o) Professional Tax	-	-
p) Indirect expenses	-	-
q) Salary payable	-	12,08,025
s) Processing fee (LV hatchery) refunded	-	-

Payments	(Amount-Rs.)	
	Current Year	Previous Year
VIII. Loans and Advances	-	-
a)Advance for Meeting	81,349	1,79,620
b)Advance for crockeries	-	-
c)Shifting advance	75,000	
		5,000
d)Advance for Hindi Week	-	5,000
e)Advance for republic day	-	14,000
f)Advance for campaign week	-	6,500
g)Advance for audit	-	10,000
h)Advance for stamps	-	-
i)Advance for hindi seminar	-	-
j)Advance for MS seal	-	-
k)Advance for pooja expenses	-	20,000
l)Advance for staff welfare	33,000	48,000
m)Advance for travelling / tour expenses	1,00,000	6,47,405
n)LTC Advance	1,00,000	28,300
o)Advance for consultant & Programmer Interview	-	-
p)Advance for Telephone	-	-
q)Advance for Contingent expense	-	-
r)Advance for repair and maintenance	-	-
Fund Transfer to CPF, GPF,Pension A/c		
IX. Closing Balances		
a) Cash in hand	-	-
b) Bank Balances		
i) In current accounts	-	-
ii) In Deposit accounts	-	-
iii) Savings accounts	9,77,91,945	8,53,77,602
iii) Funds in Transit	2,26,00,000	
Total	**14,63,91,611**	**11,89,01,350**

Sd/-
Sr. Admin. Officer

Sd/-
Member Secretary

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING, DEPARTMENT OF FISHERIES
5th Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries,
Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam, Chennai – 600 003

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2020

Schedule 1 - Corpus/ Capital Fund

(Amount- ₹)

	Current Year	Previous Year
A. Balance at the Begning of the year	1,28,75,112	1,21,06,191
Opening Balance - Adjustments		
Less: Bank Interest and Other Receipts	17,52,847	
Less: Grant Expenditure wrongly booked in EMF Schedule	20,80,346	
Less: Bank charges	172	
Less: CAT salary	8,62,835	
Less: Salary and Allowance - Mar 2019 provision	9,81,086	
Less: Unspent balance (Disclosed separately)	4,82,145	
Add : Grant received towards Corpus/Capital Fund	1,03,250	6,962
Add : IOB - Account 209501000010000	-	-
Less: Interest Refund to PAO, Agri	2,79,782	-
	65,39,150	1,21,13,153
Less :Expenditure Over Income transferred from the Income & Expenditure A/c		
Add: Excess of Income over Expenditure Transferrerd from Income & Expenditure A/c	(5,67,971)	7,61,959
BALANCE AS AT THE YEAR - END	**59,71,178**	**1,28,75,112**
	Current Year	**Previous Year**
B - Detail of GOI - Grant		
Opening Balance	4,82,145	
Add: Fund Received during Year	4,50,00,000	
Less: Expenditure	3,10,81,865	
Unspent Balance as at 31.03.2020	**1,44,00,280**	-

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING, DEPARTMENT OF FISHERIES
5th Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries,
Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam, Chennai – 600 003

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2020

Schedule 2: Earmarked/ Endowment Funds

	FUND-WISE BREAK UP							TOTALS	
	Farm Registration Fees	Processing Fees (L.V Farms)	Processing Fees (L.V Hatchery)	Interest	Feed Products	Other receipts	Account Inter-transfer (Payable / Receivable)	Current Year	Previous
a) Opening balance of the funds	20,08,757	90,42,045	2,98,21,362	-	3,42,50,269		-	7,51,22,432	4,24,90,418
Opening Balance - Adjustments								-	
-- Bank Interest and Other Receipts				16,75,137		77,710		17,52,847	
-- Grant Expenditure wrongly booked in EMF Schedule	20,80,346							20,80,346	
-- Payable to Main A/c							17,16,928	17,16,928	
b) Addition to the Funds:								-	-
i.Donations/grants	-							-	-
ii. Income from Investment made on account of Earmarked funds	-	-	-	-				-	-
iii Fees	3,16,540	33,600	27,50,500	47,57,317	72,82,750		-	1,51,40,707	3,27,32,014
iv Contributions								-	-
v. Interest receipts transferred to Endowment Funds				-				-	(62,85,641)
v Interest receipts transferred from Interest Fund	4,278.30	16,698.24	59,928.84	-	75,827.63			1,56,733	62,85,641
vi. Received during the year							50,50,000	50,50,000	
TOTAL (a+b)	**44,09,921**	**90,92,343**	**3,26,31,791**	**64,32,454**	**4,16,08,847**	**77,710**	**67,66,928**	10,10,19,993	7,52,22,432
c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds									
i. **Capital Expenditure**									
- Fixed Assets	-	-	-	-	-		-	-	-
- Others - Settlement	-	-	-	-	-		-	-	-
Total	-	-	-	-	-		-	-	-
ii. **Revenue Expenditure**								-	-
- Salaries, Wages and Allowances etc.	-	-	-	-	-		-	-	-
- Travelling Expenses on Inspection of Farms etc	-	-	-	-	-		-	-	-
- JIFSAN Training Expenses	-	-	-	-	-		-	-	-
- Seminar/conference etc Expenses	-	-	-	-	3,20,000			3,20,000	1,00,000
- Expenses out of Earmarked Fund adjusted during the year					15		-	15	-
Total	-	-	-	-	-		-	-	-
d) paid during the year							50,91,450	50,91,450	-
TOTAL (c)	-	-	-	-	3,20,015		50,91,450	54,11,465	1,00,000
NET BALANCE AS AT THE YEAR - END (a+b-c)	**44,09,921**	**90,92,343**	**3,26,31,791**	**64,32,454**	**4,12,88,832**	**77,710**	**16,75,478**	**9,56,08,528**	**7,51,22,432**

Notes: 1) Disclosures shall be made under relevant heads based on conditions attaching to the grants.
2) Plan Funds received from the Central/State Governments are to be shown as separate Funds and not to be mixed up with any other Funds

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING, DEPARTMENT OF FISHERIES
5th Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries,
Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam, Chennai – 600 003

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2020

Schedule 3 : Current Liabilities and Provisions

(Amount- ₹)

	Current Year		Previous Year	
A. CURRENT LIABILITIES				
1.Acceptances				
2. Sundry Creditors:				
i) For Goods	-	-	-	-
ii) Others		**31,194**		31,194
a. Muthu soft labs	31,194		31,194	
3. Performance Security Deposit		**24,462**		**3,662**
a) Aishwarya Construction	3,662		3,662	
b) Stuby Technology	20,800			
4.Earnest Money Deposit		**60,000**		**50,000**
a) Merit Enterprises	-		-	
b) Orbit Tecnologies	-		-	
c) Day N Day services(P) Ltd	30,000		30,000	
d)Bio-incorp/Agilent Technology	-		-	
e) Siva Cabs	-		-	
f) Broadline	5,000		5,000	
g) Muthu Soft Labs	5,000		5,000	
h) Nucum Technology	5,000		5,000	
i) Sri Vignesh Cabs	5,000		5,000	
j) Denab - Dena	10,000			
5. Interest accrued but not due on				
a) Secured Loan/borrowings				
b) Unsecured Loans/borrowings				
6. Statutory Liabilities				
a) New Pension Scheme(Employee Contribution)	93,990	93,990		

	Current Year		Previous Year	
7. Security Deposit				
a) Hitachi System Micro Clinic Pvt Ltd	7,293	**7,293**	7,293	**7,293**
8. State fisheries- Andhra Pradesh	50,700	**50,700**	50,700	**50,700**
9. Other Provision (Contingent)	5,00,000	**5,00,000**	5,00,000	**5,00,000**
10. CAT - Salary payable	53,20,558	**53,20,558**	30,00,000	**30,00,000**
11.Interior Work to TNPWD	41,70,000	**41,70,000**	-	-
12. NPS deduction - Shri K Srinivasan Babu	1,09,737	**1,09,737**	1,09,737	**1,09,737**
13. CPC / LSPC Arrears	14,45,845	**14,45,845**	14,45,845	**14,45,845**
14. Maintaines payable to TNPWD	15,31,028	**15,31,028**	-	-
15. Rent payable - Vanuvampet	-	-	2,17,888	**2,17,888**
16. Rent payable FY 2019-2020 (TNPWD)	24,13,320	**24,13,320**		
17. Staff Deduction & Remittances	1,87,725	**1,87,725**	-	-
18. Salary and Allowance payable	7,15,995	**7,15,995**		
19. Rent Arrears		-	32,98,672	**32,98,672**
20. M/s.Day N Day	-	-	2,50,423	**2,50,423**
21. Jayaraman LSPC / GPF	3,80,290	3,80,290	3,80,290	**3,80,290**
TOTAL		**1,70,42,137**		**93,45,704**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING, DEPARTMENT OF FISHERIES
5th Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries,
Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam, Chennai – 600 003

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2020

Schedule 4 : Fixed Assets

(Amount- ₹)

Item	Rate of Dep.	Gross Block					Depreciation					Net Block	
		Cost /Valuation as at Beginning of the Year	Addition during the year		Deduction during the Year	Cost Valuation at the Year end	As at the Beginning of the Year	on Addition during the Year	at 100% on purchase of assets below Rs. 5,000	On Deduction during the Year	Total upto the Year end	As at the Current Year end	As at the Previous Year end
			up to Sep	after Sep									
Plant & Machinery	15%	1,08,07,581				1,08,07,581	79,36,308	4,30,691	-		83,66,999	24,40,582	28,71,273
Lab Equipments	15%	52,54,588				52,54,588	32,48,211	3,00,957			35,49,168	17,05,420	20,06,377
Office Equipment	15%	46,18,029	-	-		46,18,029	31,71,158	2,17,031			33,88,189	12,29,840	14,46,871
Car	15%	3,30,860			11,124	3,19,736	3,18,326	1,410			3,19,736	-	12,534
Furniture & Fixtures	10%	46,20,673	8,850	-		46,29,523	27,91,578	1,83,795			29,75,373	16,54,150	18,29,095
Computers & Peripherals	40%	33,85,900	94,400	-		34,80,300	33,39,588	56,285			33,95,873	84,427	46,312
Library Books & Technical Books	40%	23,58,882				23,58,882	23,44,250	5,853	-		23,50,103	8,779	14,632
TOTAL of Current Year		**3,13,76,513**	**1,03,250**	-	**11,124**	**3,14,68,639**	**2,31,49,419**	**11,96,022**	-	-	**2,43,45,441**	**71,23,198**	**82,27,094**
Previous Year													
B.Capital Work-In-Progress													
TOTAL												**71,23,198**	**82,27,094**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING, DEPARTMENT OF FISHERIES
5th Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries,
Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam, Chennai – 600 003

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2020

Schedule 5 : Investments from Earmarked/ Endowment Funds

(Amount- ₹)

	Current Year	Previous Year
Fixed Deposit Receipts (IOB)	32,25,916	30,69,183
Total	**32,25,916**	**30,69,183**

Schedule 6 : Current Assets, Loans, Advances *etc*.

	Current Year	Previous Year
A. CURRENT ASSETS:		
1. Bank Balances:		
a) With Scheduled Banks:		
- On Savings Accounts	9,77,91,945	8,53,77,602
- Funds in Transit	2,26,00,000	
2. Stamps in Hand		
a) Stamps (Franking Machine)	4,09,757	62,113
b) Stamps (Postal)	17,558	24,084
b) Post Master	-	5,00,000
TOTAL (A)	**12,08,19,260**	**8,59,63,799**
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS		
Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received:		
a) Prepayments (Annexure-1)	-	-
b) LTC Advance	1,28,300	28,300
c) Advance for meeting	-	5,000
d) Advance for Travel (Annexure - 1)	10,000	10,000
e) Salary recoverable	190	90
f) Telephone deposits	39,782	39,782
g) Receivable from EMF A/c	16,75,478	
TOTAL (B)	18,53,750	83,172
TOTAL (A + B)	**12,26,73,010**	**8,60,46,971**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING, DEPARTMENT OF FISHERIES
5th Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries,
Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam, Chennai – 600 003

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED 31-03-2020

Schedule 7 : Grants/Subsidies

(Irrevocable Grants & Subsidies Received) **(Amount- ₹)**

	Current Year	Previous Year
Central Government	3,09,78,615	3,99,93,038
Total	**3,09,78,615**	**3,99,93,038**

Schedule 8 : Fees / Subscriptions

	Current Year	Previous Year
1) Tender Fees	-	-
2) RTI Fees	860	20
3) MTS Application Fees	-	-
Total	**860**	**20**
Note - Accounting Policies towards each item are not be disclosed		

Schedule 9 : Income from Investments

(Income on Invest from Earmarked/Endowment Funds transferred to Funds)

	Investment from Earmarked Fund	
	Current Year	Previous Year
Interest on Fixed Deposit with Indian Bank	-	-
Total	-	-
Transferred to Earmarked/ Endowment Funds	-	-

Schedule 10 : Interest Earned

	Current Year	Previous Year
1) On Term Deposits:		
a) With Scheduled Banks		
2) On Savings Accounts:		
a) With Scheduled Banks	6,09,716	2,79,782
Total	**6,09,716**	2,79,782

***Note*:** Tax deducted at source to be indicated

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING, DEPARTMENT OF FISHERIES
5th Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries,
Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam, Chennai – 600 003

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31.03.2020

Schedule 11 : Other Income

(Amount- ₹)

	Current Year	Previous Year
Miscellaneous Income	-	12
Other Income - profit on sale of car	17,475	
TOTAL	**17,475**	**12**

Schedule 12 : Establishment Expenses

	Current Year	Previous Year
a) Salaries and Wages	1,17,34,888	1,44,07,253
b) Bonus	82,896	84,623
c) LTC facility	-	2,20,848
d) PF Contribution	1,70,668	7,37,890
e) Reimbursement of Tution Fees	-	1,98,000
f) Medical expenses	62,135	22,665
g) Staff welfare	35,775	47,485
h) Leave encashment	1,32,735	7,492
i) GSLI	240	660
j) Nps	10,06,718	8,34,894
j) Pension contribution	-	30,26,210
j) Children Education Allowance	1,89,000	-
k) Sitting fee		18,000
TOTAL	**1,34,15,055**	**1,96,06,020**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING, DEPARTMENT OF FISHERIES
5th Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries,
Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam, Chennai – 600 003

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE FOR PERIOD / THE YEAR ENDED 31.03.2020

Schedule 13: Other Administrative Expenses *etc.*

(Amount- ₹)

	Current Year	Previous Year
1. Advertisement and Publicity	1,61,749	71,619
2. Domestic Travelling Expenses	9,77,558	26,66,119
3. Office Expenditure		
Repairs and maintenance	73,27,628	88,096
Electricity and Power	3,24,782	5,12,048
Fuel Charges	3,000	64,500
Rent, Rates, and Taxes	38,24,860	59,13,328
Water Charges	4,460	3,090
Postage, Telegram	1,58,882	2,22,133
Printing ,Stationery and Consumables	3,47,754	5,36,140
Computer Maintenance	2,42,590	-
Telephone Expenses	2,06,332	4,13,764
Professional Charges	10,81,718	2,70,287
Foreign Travel Expenses	1,00,000	-
Vehicle Hire Charges	5,09,309	9,41,990
Meeting Expenses	3,10,083	3,92,348
Miscellaneous Expenses	-	19,657
Seminar/Workshops/Training Expenses	1,72,337	8,96,169
Other Contractual Service	-	8,07,142
Shifting expenses	2,95,336	5,120
Lab Chemicals	1,82,664	7,37,053
AMC Expenses(A.C, Computers, Office Equipment Etc)	79,674	50,250
Conveyance	-	7,227
Consultant Fees	8,65,170	32,48,182
Newspaper and Magazine	5,904	748
Software Development	3,23,240	4,41,217
Lab equipments	35,482	3,068
Hindi Week Celebration / competition	-	1,09,838
Independence / republic day celebration	-	12,353
Bank Charges	982	5,529
Audit Expenses	22,066	12,261
Internal audit fees	-	73,556
Campaign Week	-	3,668
Pooja expense	-	14,595
TOTAL	**1,75,63,560**	**1,85,43,095**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING, DEPARTMENT OF FISHERIES
5th Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries,
Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam, Chennai – 600 003

Annexure-1

STAFF FESTIVAL ADVANCE

S.No	Name	31.03.2020	31.03.2019
1	Smt G. Priya ,STA	-	-
2	Shri. Ramesh Kumar,STA	-	-
3	Kumari.S.Priya, StenoGr D	-	-
4	Shri. V.Selvam,Staff Car Driver	-	-
5	Shri.Elavarasan,MTS	-	-
6	Shri.P.Rajesh, MTS	-	-
7	Shri.V.Prasad, MTS	-	-
8	Smt.Jayanthi,Jr.clerk	-	-
	Total	-	-

S.NO	Other Advances		
1	Prepaid Expenses	-	-
2	Advance for Meeting	-	-
3	LTC Advance	-	-
4	Advance for travel - Mr. Jayara-man	10,000	10,000
	Total	**10,000**	**10,000**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING, DEPARTMENT OF FISHERIES
5th Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries,
Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam, Chennai – 600 003

SCHEDULE - 14

ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION

The Financial Statement are prepared under the historical cost convention, in accordance with Generally Accepted Accounting Principles(GAAP), the applicable mandatory Accounting Standards (AS) issued by ICAI and relevant Presentational requirements for Central Autonomous Bodies as prescribed by CGA. The Authority Follows the accrual method of accounting in respect of all items of expenditure and

Income except where otherwise stated.

2. FIXED ASSESTS

a) Fixed Assets are accounted for after these are taken on charge duly inspected.

b) Fixed Assets are stated at cost less accumulated depreciation cost comprises the purchase price, inward freight, duties & taxes and any other directly attributable cost of bringing the Assets to its working conditions for its intended use. Financing cost relating to acquisition/construction of qualifying fixed assets are also included to the extent they relate to the period till such assets are ready for their intended use.

c) Fixed Assets of erstwhile Aquaculture Authority was also taken into account at cost less depreciation for the period from the date of buying to date of takeover by the CAA for the value known assets. In the case of value un-known assets, notional value of Rs.1/- is considered for capitalizing in the books of accounts of CAA.

d) Fixed Assets received by way of non-monetary grants are capitalized at value stated by corresponding credit to capital fund. Fixed Assets received as free gift are taken into account at nominal value of Rs.1/-

e) Fixed Assets acquired against specific grant-in-aid accounted for as fixed assets in the Authority's account. Cost of assets created out of grants-in-aid is credited to Capital Fund. Depreciation on those assets is also charged over the useful life of the assets at the rates prescribed by the Income Tax Act and Rules and is recognized in the income and Expenditure Account.

3. DEPRECIATION

a) Depreciation is provided on written down value method as per rates

Specified in Income tax Act.1961

b) In respect of additions/ deductions of fixed assets during the year, full depreciation is charged at the rates specified in the Income Tax Rules on the assets acquired in the first half of the financial year and 50% of depreciation is charged on the assets acquired in the second half of financial year.

c) Each item of fixed assets costing Rs.5000/- and below are fully depreciated in the year of acquisition.

d) As per latest amendment in Finance Act 2017 the rate of depreciation in respect of books and Computers were limited to 40% of the WDV of the block as at 31.03.2020

4. LEASE/ RENT

Lease/ Rent rentals are accounted as expenses according to the terms and conditions of lease.

5. IMPAIRMENT OF ASSETS

An asset is treated as impaired when the carrying cost of the asset exceeds its recoverable value. The impairment loss is charged to Income & Expenditure statement for the year in which the assets is identified as impaired. The impairment loss is recognized or recoverable amount.

6. GOVT.GRANTS / SUBSIDIES

Capital expenditure i.e. cost of depreciable assets created out of grant-in-aid is credited to 'Capital Fund" account. Revenue expenditure incurred out of grant-in-aid will be debited to "Income and Expenditure Account'. Excess of grant over the expenses is transferred to capital fund account at the end of the year.

7. RETIREMENT BENEFITS

a) Authority's contribution paid/ payable during the year to new pension scheme is recognized in the Income and Expenditure Statement.

b) The liabilities in respect of Retirement benefits viz., Gratuity, leave encashment, pension are ascertained annually as per DOPTM No.7/5/2012-P&PW(F)/B dated 26.08.2016, Central Civil Sevice Pension rules, 1972, Central Civil Service leave rules and as approved by the authority.

8. TAXATION

The Authority is not liable to pay to Union/ State in respect of wealth tax, income tax, service Tax, CST or any other tax in respect of their wealth, income, profits of gains derived. No provision is, therefore, made for current and deferred income tax.

9. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGEMENT ASSETS

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that there will be an outflow of resources. Contingent liabilities are not recognized but are disclosed in the Notes forming part of the accounts. Contingent assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

10. INCOME AND EXPENSES

All the income and expenses of the year, except those specified later in this paragraph, are accounted for on accrual basis under the specific direct heads of accounts:

a) Income or Expenditure of earlier year, which arise as a result of errors of omissions in making provision/ creating the liability in the one or more prior periods, is accounted for under "prior period Adjustment" account.

b) If actual expenditure or income exceeds the liability created/provision made on expenditure basis, the same is accounted for on cash basis.

c) Expenditure/Income accruing to the Authority on account of decision taken after the date of finalization of annual accounts and extra-ordinary items. if any, having retrospective effect, is accounted for on cash basis.

d) In determining the accounting treatment and manner of disclosure of an item in the Balance sheet and/or Income and Expenditure Account, due consideration is given to the concept of materiality and hence pre paid/prior period items up to Rs. 1,000 in each case are accounted for to the natural heads of account on cash basis.

11. REVENUE RECOGNITION

a) Authority is receiving fee collected for registration of farms by DLC/SLC in the ratio of 70:30 between DLC/SLC and CAA. In addition to that Authority is Collecting Processing Fees for *Litopenaeus vannamei* Farms and Hatchery and Feed Products. As per the exiting policy of the Authority; fee is accounted as Earmarked/Endowment Fund of the authority in the year of receipts and retained by the Authority to be utilized for specific or earmarked purposes.

b) Interest income is recognized on a Cash basis taking into account the amount outstanding and rate applicable.

12. SEPARATE DISCLOSURE

Separate disclosers are made in the Income and Expenditure Account in respect of:

a) “Prior period” items which comprise material items of income or expenses which arise in the current period as a result of errors or expenses which arise in the current period as a result or errors of omissions in the preparation of the financial statements of one or more prior periods.

b) “Extra–ordinary” items, which are material items of income or expenses that arise from event or transactions that are clearly distinct from the ordinary activities of the entity and. Therefore, are not expected to recur frequently or regularly.

c) Any item under the head “Miscellaneous Income” which exceeds Rs.50,000/- is shown against an appropriate account head in the Income and Expenditure Account.

d) Any item under the head ‘Miscellaneous Expenses’ which exceeds Rs.50,000/- is shown against an appropriate account head in the Income and Expenditure Account.

Sd/-
Sr. Admin. Officer

Sd/-
Member Secretary

SCHEDULE – 15

CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS.

CAG reported that there is closing balance mismatch between EMF Schedule and Bank balance pertaining to the Annual Accounts for the Financial Year 2016-17, 2017-18 and 2018-19. Reasons for the same were identified and accordingly revised final accounts for the year 2019-20 has been prepared by making necessary adjustments in capital fund account. The closing balance for the year 2018-19 has been taken as the opening balance for the year 2019-20 and the adjustment entries have been made in the revised Annual Accounts for the Financial Year 2019-20 to arrive at the revised opening and closing balance in the revised Annual Accounts for the Financial Year 2019-20.

Contingent liabilities

As on 31st Mar.2018, As per AG Letter No. PDA(C)/CE/V/2018-48/17-18/156 dated 01.09.2017 Part IIB para no.2, Due to difference in floor area of rented building as per CPWD fair rent certificate and property tax receipt an amount of Rs. 126,872 was withheld since July 2017. Hence there existed a doubtful liability to the tune of Rs. 11,41,848/- as on 31.3.2018. The audit para no.2/IIB is settled as per the AG Letter No.DGA(C)/CE/V//28-48/17-18/54 dated 18.9.2019. Accordingly, the liability has been settled.

Fixed Assets

Fixed Assets of erstwhile Aquaculture Authority was also taken into account at cost less depreciation for the period from the date of buying to date of takeover by the CAA for the value known assets. In the case of value un-known assets, notional value of Rs.1/- is considered for capitalizing in the books of accounts of CAA. Depreciation on all the assets at the prescribed rate in Income Tax Rules have been calculated and charged for the financial year 2019-20 to Income and Expenditure Account.

During the year, the authority earned profit on sale of car amounting to Rs. 17,475 /- the whose written down value of which upto the date of sale is Rs.11,124 /-.

Current Assets, Loans and Advances

Authority has taken Franking Machine from Post Office and the same is filled with stamps for a lump sum amount in addition to that Authority purchase Govt. Postal stamp from Post Office, The amount so paid is shown as stamps in hand. On the basis of register maintained for daily consumption of stamp, total expenditure incurred on stamps is debited to relevant expenditure head by corresponding credit to stamps in hand account on yearly basis. As on 31st Mar, 2020 the stamps in hand amounted to Rs.4,27,315/-

Current Liabilities

Security deposits of Rs. 24,462/- received as performance guaranty will be retained till completion of its warranty period.

Taxation

The Authority is not liable to pay wealth tax, income –tax or any other tax in respect of their wealth, income, profits of gains derived. No Provision is, therefore, made for current and deferred income tax.

Government Grants/Fees Collected

Capital expenditure i.e. cost of depreciable assets created out of grant-in-aid is credited to 'Capital Fund" account. Revenue expenditure incurred out of grant-in-aid will be debited to "Income and Expenditure Account'. Excess of Income over Expenditure is transferred to capital fund account at the end of the year as on 31st March, 2020.

Authority is receiving fee collected for registration of farms by DLC/SLC shared in the ratio of 70:30 between DLC/SLC and CAA. In addition to that Authority is Collecting Processing Fees for L.V Farms and Hatchery. As per the exiting policy of the Authority; fee is accounted as Earmarked/Endowment Fund of the authority in the year of receipts and retained by the Authority to be utilized for specific or earmarked purposes.

Previous year Figures

The accounting procedure laid down by the CAG for autonomous bodies, specifies to show the previous year's figures in the Balance Sheet, Income & Expenditure Account & Receipt & Payment account along with various schedules attached thereto.

Sd/-
Sr. Admin. Officer

Sd/-
Member Secretary

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING, DEPARTMENT OF FISHERIES
5th Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries,
Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam, Chennai – 600 003

Contributory Provident Fund

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2020

Capital Fund / Liabilities	Current Year	Previous Year
CPF Fund		
Opening balance	11,28,053	5,43,681
Excess / (Shortage) of Income over Expenditure	1,13,317	5,84,372
	12,41,370	11,28,053
Total	**12,41,370**	**11,28,053**
Assets		
Fixed Assets		
Investments	-	-
Current Assets	-	-
Cash at Bank		
- Indian Bank	12,39,417	11,26,109
- IOB	1,953	1,944
Total	**12,41,370**	**11,28,053**

Income and Expenditure account for the year ended 31st March 2020

Income	Current Year	Previous Year
CPF Contributions	48,438	5,48,800
Interest	64,938	35,631
Total	**1,13,376**	**5,84,431**
Expenditure		
Bank charges	59	59
CPF Settled/Transferred	-	-
Excess / (Shortage) of Income over Expenditure	1,13,317	5,84,372
Total	**1,13,376**	**5,84,431**

Receipts and Payments account for the period : 1st April 2019 to 31st March 2020

Receipts	Current Year	Previous Year
- Indian Bank	11,26,109	5,41,747
- IOB	1,944	1,934
CPF Contributions	48,438	5,48,800
Interest	64,938	35,631
Total	**12,41,429**	**11,28,112**
Payments		
Bank charges		
CPF Settled / Transferred	59	59
Closing Balances	-	-
- Indian Bank	12,39,417	11,26,109
- IOB	1,953	1,944
Total	**12,41,429**	**11,28,112**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING, DEPARTMENT OF FISHERIES
5th Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries,
Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam, Chennai – 600 003

General Provident Fund

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2020

Capital Fund / Liabilities	Current Year	Previous Year
GPF Fund		
Opening balance	13,89,125	12,23,133
Excess / (Shortage) of Income over Expenditure	2,34,859	1,65,992
	16,23,984	13,89,125
Total	**16,23,984**	**13,89,125**
Assets		
Fixed Assets		
Investments	-	-
Current Assets	-	-
Cash at Bank		
- Indian Bank	16,21,512	13,86,681
- IOB	2,472	2,444
Total	**16,23,984**	**13,89,125**

Income and Expenditure account for the year ended 31st March 2020

Income	Current Year	Previous Year
GPF Contributions	1,43,000	1,56,000
Interest	91,918	72,051
Total	**2,34,918**	**2,28,051**
Expenditure		
Bank charges	59	59
GPF Settled/Transferred	-	62,000
Excess / (Shortage) of Income over Expenditure	2,34,859	1,65,992
Total	**2,34,918**	**2,28,051**

Receipts and Payments account for the period : 1st April 2019 to 31st March 2020

Receipts	Current Year	Previous Year
Opening Balances		
- Bank Balances	13,86,681	12,20,717
- IOB	2,444	2,416
GPF Contributions	1,43,000	1,56,000
Interest	91,918	72,051
Total	**16,24,043**	**14,51,184**
Payments		
Bank charges	59	59
GPF Settled / Transferred	-	62,000
Closing Balances		
- Indian Bank	16,21,512	13,86,681
- IOB	2,472	2,444
Total	**16,24,043**	**14,51,184**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING, DEPARTMENT OF FISHERIES
5th Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries,
Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam, Chennai – 600 003

Pension Fund

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2020

Capital Fund / Liabilities	Current Year	Previous Year
Pension Fund		
Opening balance	1,51,11,154	1,13,84,993
Excess / (Shortage) of Income over Expenditure	9,02,441	37,26,161
	1,60,13,595	1,51,11,154
Total	**1,60,13,595**	**1,51,11,154**
Assets		
Fixed Assets		
Investments	-	-
Current Assets	-	-
Cash at Bank		
- Indian Bank	1,59,86,159	1,50,84,600
- IOB	27,436	26,554
Total	**1,60,13,595**	**1,51,11,154**

Income and Expenditure account for the year ended 31st March 2020

Income	Current Year	Previous Year
Pension Contributions	-	30,26,210
Interest	9,02,500	7,00,010
Total	**9,02,500**	**37,26,220**
Expenditure		
Bank charges	59	59
Pension Settled/Transferred	-	-
Excess / (Shortage) of Income over Expenditure	9,02,441	37,26,161
Total	**9,02,500**	**37,26,220**

Receipts and Payments account for the period : 1st April 2019 to 31st March 2020

Receipts	Current Year	Previous Year
Opening Balances		
- Indian Bank	1,50,84,600	1,13,59,293
- IOB	26,554	25,700
Pension Contributions	-	30,26,210
Interest	9,02,500	7,00,010
Total	**1,60,13,654**	**1,51,11,213**
Payments		
Bank charges		
Pension Settled / Transferred	59	59
Closing Balances	-	-
- Indian Bank	1,59,86,159	1,50,84,600
- IOB	27,436	26,554
Total	**1,60,13,654**	**1,51,11,213**

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) चेन्नै का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT
(CENTRAL) CHENNAI

सत्यमेव जयते
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

No. PDA(C)/CE/V/28-037/2021-22/ 134 **Dated: 30.12.2021**

To

The Secretary to Government of India,
Ministry of Agriculture,
Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries,
Shastri Bhavan,
New Delhi – 110 001.

Sir,

Sub: Separate Audit Report on the accounts of the Coastal Aquaculture Authority, Chennai for the year 2019-20 – Reg.

I am to forward herewith the Separate Audit Report on the accounts of the Coastal Aquaculture Authority, Chennai for the year 2019-20 along with the statement of accounts.

The date of presentation of the accounts to Parliament for the years 2018-19 and 2019-20 may please be intimated to this office. It may also please be ensured that previous year Report is laid first before laying of current year Report in Parliament. In addition, a copy of the report as presented to Parliament may also be sent to this office in due course.

The receipt of this letter with enclosures may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

Encl: As above

sd-

Deputy Director/CE

लेखापरीक्षा भवन, 361, अण्णा सालै, तेनामपेट, चेन्नै - 600 018. "LEKHA PARIKSHA BHAVAN", 361, ANNA SALAI, TEYNAMPET, CHENNAI - 600 018.
Phone : 91-044 - 2431 6406, Fax: 91- 044 - 24338924, E.mail : dagacchennai@cag.gov.in

No. PDA(C)/CE/V/28-037/2021-22/ 136 **Dated: 30.12.2021**

Copy together with a copy of the Separate Audit Report for the year 2019-20 is forwarded to the **Member Secretary, Coastal Aquaculture Authority, Chennai**. It is requested to furnish a copy of the Hindi version of the Separate Audit Report and one copy of Annual Report as presented to Parliament at an early date. It may please be ensured that previous year Report is laid first before laying of current year Report in Parliament. It is also requested to furnish the dates of presentation of the accounts to Parliament for the years 2018-19 and 2019-20.

Deputy Director/CE.

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Coastal Aquaculture Authority, Chennai for the year ended 31 March 2020.

We have audited the attached Balance Sheet of Coastal Aquaculture Authority, Chennai as on 31 March 2020, Income & Expenditure Account and Receipts and Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 20(3) of the Coastal Aquaculture Authority Act 2005. These financial statements are the responsibility of the Authority's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards, disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Report/ CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material mis-statements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4 Based on our audit, we report that:

i We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

ii The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance.

iii In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Coastal Aquaculture Authority, Chennai as required in the rules and regulations of the Authority, in so far as it appears from our examination of such books.

iv We further report that:

A. General

Provision for retirement benefits was not made based on actuarial valuation as required under Accounting Standard-15.

B. Effect of Revision in Accounts The Authority had revised its accounts on the basis of audit comments. As a result of revision, the Assets/Liabilities were increased by ₹0.16 crore and Surplus of ₹0.74 crore was converted into deficit of ₹0.06 crore.

C. Grants in aid

Out of the grants-in-aid of ₹4.50 Crore received during the year, and the unspent grant of ₹0.04 crore of previous year (total ₹4.54 crore), the authority utilised a sum of ₹3.10 Crore, leaving a balance of ₹1.44 crore as on 31st March 2020.

D. Management Letter

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of Coastal Aquaculture Authority Chennai through a management letter issued separately for remedial /corrective action.

v Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

vi In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India

a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of Coastal Aquaculture Authority, Chennai as at 31 March 2020; and

b. In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the deficit for the year ended on that date.

For and on behalf of the C&AG of India.`

Place: Chennai
Date: 30.12.2021

Principal Director of Audit (Central), Chennai

Annexure to Separate Audit Report

1. Adequacy of Internal Audit System

Internal Audit was not conducted for the year 2019-20.

2. Adequacy of Internal Control System

Internal control system was inadequate to the extent that internal audit of the Authority has not been conducted during the year.

3. Physical verification of fixed assets.

Physical verification of fixed assets was done for the year 2019-20.

4. System of Physical Verification of Inventory

Physical verification of inventory was done for the year 2019-20.

5. Regularity in payment of statutory dues

The Authority was regular in payment of statutory dues.

सत्यमेव जयते

P.MADHAVI, IAAS

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय)
चेन्नै
लेखापरीक्षा भवन,
361, अण्णा सालै, तेनामपेट, चेन्नै - 600 018.
PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (CENTRAL)
Chennai
"LEKHA PARIKSHA BHAVAN",
361, Anna Salai, Teynampet, Chennai - 600 018.

अ.स.नं / D.O.No.: CE/M/28-037/2021-22//37
दिनांक / Date :.....30.12.2021.....

Dear Madam,

Please refer to the Separate Audit Report on the Annual Accounts of Coastal Aquaculture Authority, Chennai for the year 2019-20 issued on 30.12.2021. I wish to bring the following deviation noticed in accounting practices/procedures to your notice for remedial action.

Unutilised Grant of ₹.1.44 crore exhibited under Schedule-I-B should be taken to Schedule – 3. Current Liability.

Best regards,

Yours sincerely,

Dr. V. Kripa
Member Secretary
Coastal Aquaculture Authority,
Chennai-600035

दूरभाष / Phone : 044 - 2431 6406

फैक्स / Fax : 044 - 2433 8924
तार / E-mail : dgacchennai@cag.gov.in

REPLY TO THE SEPARATE AUDIT REPORT PERTAINING TO THE FINANCIAL YEAR 2019 – 20

Observation	Reply
A. General Provision for retirement benefits was not made based on actuarial valuation as required under Accounting Standard- 15.	The Authority has appointed actuarial valuer for providing actuarial valuation for the purpose of assessing the gratuity and leave encashment liability of CAA employees from the FY 2019-20. CAA has received the Actuarial valuation report as per AS 15 for the year 2019-20 & 2020-21 and are being processed.
B. Effect of Revision in Accounts The Authority had revised its accounts on the basis of audit comments. As a result of revision, the Assets/Liabilities were increased by Rs.0.16 crore and Surplus of Rs.0.74 crore was converted into deficit of Rs.0.06 crore.	No observation made by audit hence may be treated as Nil.
C. Grants in aid Out of the grants-in-aid of Rs.4.50 crore received during the year, and the unspent grant of Rs.0.04 crore of previous year (total Rs.4.54 crore), the authority utilized a sum of Rs.3.10 crore, leaving a balance of Rs.1.44 crore as on 31st March 2020.	It is submitted that the GIA amount received in the month of March 2020 and hence, could not be utilized fully. The unutilized amount of GIA of Rs.1.44 Crores (Rs.1,44,00,280/-) pertaining to the financial year 2019-20 has been surrendered on 30.03.2021 to the Pay and Accounts Office, Secretariat – I, Dept of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, New Delhi and submitted the UC on 27.11.2020.

REPLY TO ANNEXURE OF SEPARATE AUDIT REPORT FOR THE YEAR 2019-20

1. Adequacy of Internal Audit System Internal Audit was not conducted for the year 2019-20.	A CAG empaneled firm M/s. Prism & Associates has been engaged as Internal Auditors for providing internal audit service. The internal auditors have conducted the audit and submitted its report for the year 2020-21.
2. Adequacy of Internal control System Internal control system was inadequate to the extent that internal audit of the Authority has not been conducted during the year.	
3. Physical verification of fixed assets. Physical verification of fixed assets was done for the year 2019-20.	No observation made by audit hence may be treated as Nil.
4. System of Physical Verification of Inventory Physical verification of inventory was done for the year 2019-20.	
5. Regularity in payment of statutory dues The Authority was regular in payment of statutory dues.	

REPLY TO THE MANAGEMENT LETTER CE/II/28-037/2021-22/137 DATED 30.12.2021

Unutilized Grant of Rs.1.44 crore exhibited under Schedule-I-B should be taken to Schedule – 3. Current Liability.	It is submitted that the GIA amount received in the month of March 2020 and hence, could not be utilized fully. The unutilized amount of GIA of Rs.1.44 Crores (Rs.1,44,00,280/-) pertaining to the financial year 2019-20 has been surrendered on 30.03.2021 to the Pay and Accounts Office, Secretariat – I, Dept of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, New Delhi and submitted the UC on 27.11.2020.

Ref : PDA (C) / CE / V / 28 - 037 / 2021 - 22 / 134 Dated : 30.12.2021



तटीय जलकृषि प्राधिकरण
COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
मत्स्यपालन विभाग
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
Department of Fisheries
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying
Government of India

5वीं मंजिल, इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्पलेक्स
पशुपालन व मत्स्यपालन विभाग
वेटरनरी हॉस्पिटल रोड, फैनपेट, नन्दनम,
चेन्नई–600 035, तमिलनाडु, भारत

5th Floor, Integrated Office Complex For
Animal Husbandry and Fisheries Department
Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam,
Chennai – 600035, Tamilnadu, India.
फोन / Phone : + 91 44 24353502 / 24353784
ई.मेल/ E-mail : caaheadoffice@caa.gov.in
वेबसाइट / website : http: //www.caa.gov.in